खण्ड-272, अंक-7
बुधवार, 7 आषाढ़, शक संवत् 1889
(28 जून, 1967 ई0)

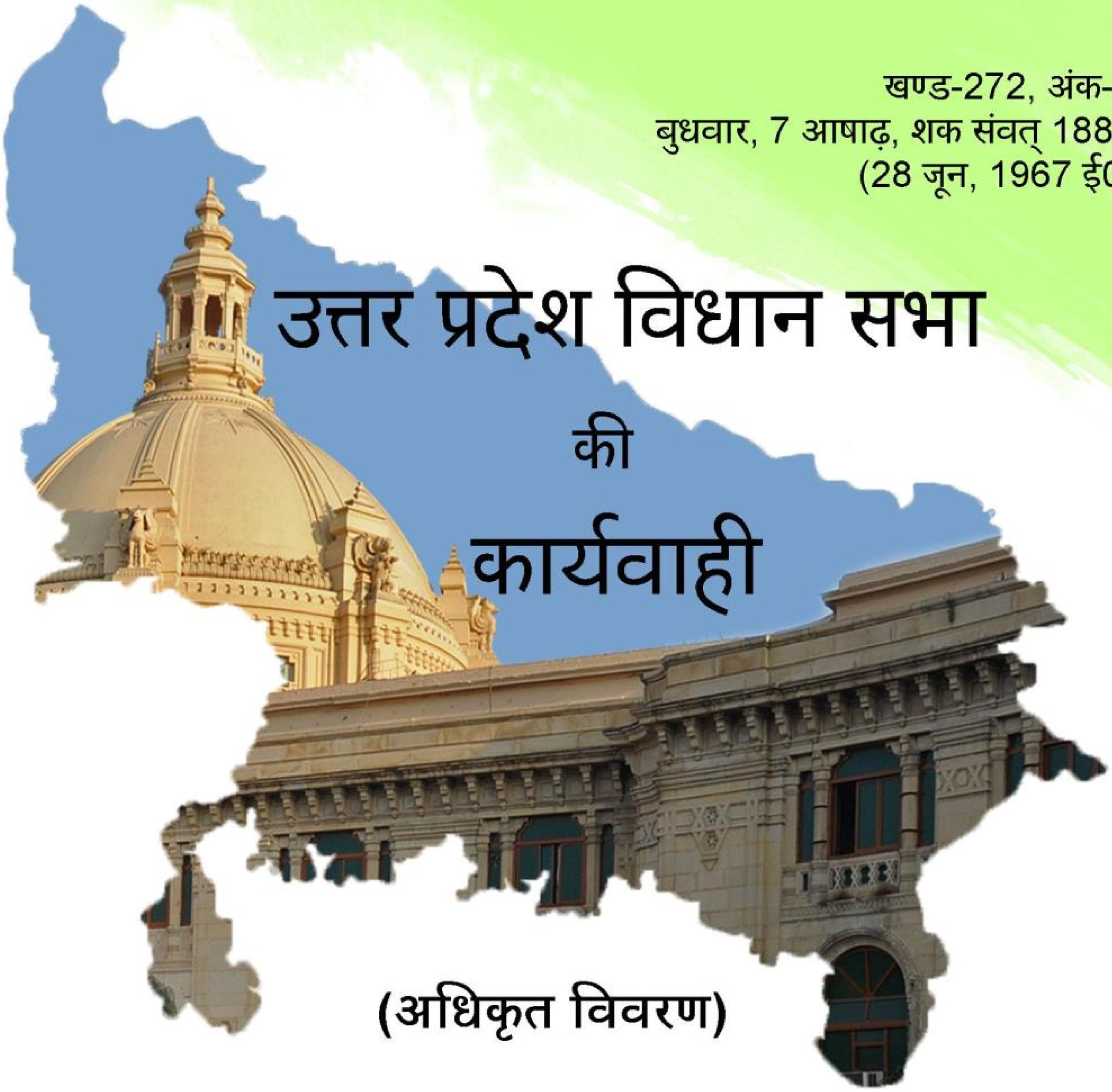

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 272 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६७

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	१–५
प्रश्नोत्तर	५–३५
सर्वश्री लोटनराम, रामेश्वर सहाय, जगदीशसिंह तथा माधोनारायण मुद्गल के निधन पर शोकोद्गार	३५–३७
सदन के अवशिष्ट कार्य-क्रम को कार्य सूची में सम्मिलित न करने तथा सरकार के कथित वैधानिक रूप से गठित न होने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न ..	३७–४३
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् परिषद् तथा न्यायाधिकरण के समक्ष अपीलों के लिये अवधि) नियमावली, १९६६ (सदन के पटल पर रखी गयी)	४३
उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) नियमावली, १९६६ (सदन के पटल पर रखी गयी)	४३–४४
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (द्वितीय संशोधन) नियमावली, १९६६ (सदन के पटल पर रखी गयी)	४४
उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, १९६७ (सदन के पटल पर रखी गयी)	४४
उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (पांचवां संशोधन) नियमावली, १९६७ (सदन के पटल पर रखी गयी)	४४–४५
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (आवास आयुक्त की सेवा की शर्तें) नियमावली, १९६६ (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	४५
उत्तर प्रदेश नगर महापालिका सेवा (संशोधन) नियमावली, १९६६ (सदन के पटल पर रखी गयी)	४५
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (वेतन या मजदूरियों से कटौती करके किराये की वसूली के लिये अनुबन्ध) नियमावली, १९६७ (सदन के पटल पर रखी गयी)	४५
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (परिषद् के अधिकारियों तथा सेवकों पर आवास आयुक्त द्वारा पर्यवेक्षण तथा नियन्त्रण) नियमावली, १९६६ (सदन के पटल पर रखी गयी)	४५-४६
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (संविधाओं और हस्तान्तरण–पत्रों का निष्पादन) नियमावली, १९६६ (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	४६
उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९६७ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	४६
सदन के परिसर में कांग्रेस के अवंटित कमरे को यू० पी० सेक्रेटेरियट मिनिस्टीरियल) आफिसर्स एसोसियेशन की बैठक के लिये दिये जाने के संबंध में श्री चन्द्रभानु गुप्त के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	४६-४८

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार २८ जून, १९६७

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री जगदीश शरण अग्रवाल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य ३७७

अंगनेलाल, श्री
अख्तर अली खां, श्री
अजीत प्रताप, श्री
अठई राम, श्री
अब्दुल खालिक, श्री
अयोध्या प्रसाद, श्री (झांसी)
अयोध्या प्रसाद, श्री (मिर्जापुर)
अयोध्या प्रसाद आर्य, श्री
अर्जुन, श्री
अवेधनाथ, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अश्वनी कुमार, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', श्री
आत्मा, श्री
आनन्द सिंह, कुंवर
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रपाल सिंह, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्रलाल, श्री
ईश्वर शरण, श्री
उदय प्रताप, श्री
उदयवीरसिंह, श्री
उदित नारायण, श्री
उमादत्त, श्री
ऊदल, श्री
एस० बी० दत्त, श्री
ए० सी० फ्राइस, श्री
ओंकार सरन, श्री
ओम प्रकाश, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्धई लाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री (इटावा)
कन्हैयालाल, श्री (झांसी)
कन्हैयालाल बाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमला प्रसाद, श्री (जौनपुर)
कमला प्रसाद, श्री (बहराइच)
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण चन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याण सिंह, श्री
कामता सिंह, श्री
कालीचरण, श्री
काशीनाथ, श्री
किशनलाल, श्री
किशनलाल दिलेर, श्री
किशनसिंह, श्री
किशुनलाल, श्री
कृष्ण बहादुर, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदार राज जंगबहादुर राणा, श्री
केशरी लाल, श्री
खूब सिंह, श्री
खेमा, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (एटा)
गंगाप्रसाद, श्री (मथुरा)
गंगाभक्तसिंह, श्री

गंगाराम, श्री
गंगास्वरूप भटनागर, श्री
गजाधर, श्री
गया प्रसाद, श्री (उपनाम मास्टर साहब)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाशंकर, श्री
गिरधारीलाल, चौधरी
गिरिराज सिंह, श्री
गिरीशचन्द्र तिवारी, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपाल राम दास, श्री
गोविन्द नारायण तिवारी, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
गौरी राम, श्री
गौरीशंकर सराफ, श्री
गौरीसिंह राठौर, श्री
घनश्याम गिरि, महन्त
घनश्यामदास, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्र किशोर, श्री
चन्द्र कुमार, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रशेखर, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चरण सिंह, श्री
चेतराम पचपेड़ा, श्री
चेतराम वर्मा, श्री
जंगबहादुर, श्री
जगत सिंह, श्री
जगदीश नारायण त्रिपाठी, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगपत सिंह, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जमीलुर्रहमान, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह, श्री
जवाहरलाल, डाक्टर
जवाहर लाल जाटव, श्री
जवाहिर लाल, श्री
जसोदा नन्द, श्री
जानकी प्रसाद, श्री
जितन्द्र नाथ मिश्र, श्री
जियाउर्रहमान, श्री
जी एस० चौधरी, श्री
जुगल किशोर, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
जैदत्त सिंह, श्री
जैनूराम, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
टम्बरेश्वर प्रसाद, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रेपन सिंह, श्री
दल बहादुर सिंह, श्री
दल सिंह, श्री
दशरथ, श्री
दीपंकर, आचार्य
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
दृगराज सिंह, श्री
देव राम, श्री
देवी दयाल सेन, श्री
देवी सहाय बाजपेयी, श्री
देवी सेवक, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर,
धनराज यादव, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मराज सिंह, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री
ध्रुव कुमार, श्री
नन्हेलाल, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणदास, श्री
नारायण सिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
निहाला सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेमपाल सिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पब्बर राम, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पीतम सिंह, श्री
प्यारेलाल, श्री (अलीगढ़)
प्यारेलाल, श्री (मेरठ)

प्रताप नारायण तिवारी, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमदत्त, श्री
फारुक चिश्ती, श्री
फतेह सिंह, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बजरंग बली, ब्रह्मचारी
बदनसिंह, श्री
बदलराम, श्री
बद्रीप्रसाद अवस्थी, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव सिंह, सरदार
बलवीर सिंह, श्री (मेरठ)
बलवीर सिंह, श्री (फतेहगढ़)
बसन्तलाल, श्री (जालौन)
बसन्तलाल, श्री (लखनऊ)
बाबू बदरे, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल, श्री
बिशन लाल, श्री
बुधिराम, श्री
बृज किशोर, श्री
बृजपाल सिंह, श्री
बृज मोहन दास अग्रवाल, श्री
बेचनराम, श्री (मिर्जापुर)
बेचनराम, श्री (वाराणसी)
बेनी बाई, श्रीमती
बेनीसिंह अवस्थी, श्री
बैजनाथ, श्री (वाराणसी)
ब्रह्माश्रम, स्वामी
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती, श्री
भगौती प्रसाद वर्मा, श्री
भग्गूराम, श्री (उपनाम भृगुनाथ)
भारत सिंह चौहान, श्री
भीखालाल, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भैरवदत्त धूलिया, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगला प्रसाद तिवारी, श्री
मंजूर अहमद श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मदन मोहन सिंह, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्सादीन, श्री
मलिखान सिंह, श्री
महरमसिंह श्री
महिपालसिंह, श्री
मही लाल, श्री
महेन्द्र प्रताप सिंह, कुंवर
महेशकुमार, श्री
माताप्रसाद, श्री
मारकण्डे, श्री
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुरलीधर, श्री
मुलायम सिंह, श्री
मुल्कीराज, श्री
मुहम्मद महमूद अली खाँ, श्री
मुहम्मद रऊफ, श्री
मुहम्मद रफी खाँ, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोहन लाल आचार्य, श्री
मोहन लाल कपूर, श्री
मोहन लाल गौतम, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
यादवेन्द्रसिंह, श्री (उपनाम लल्लन जी)
योगेश्वर प्रसाद, श्री
रईसउद्दीन, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री (आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (कानपुर)
रघुनाथ सिंह, श्री (झाँसी)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीर सिंह, श्री (एटा)
रघुवीर सिंह, श्री (मैनपुरी)
रफी मुहम्मद खाँ, श्री
रमाकान्त, श्री
रमावल्लभ मिश्र, श्री
रमाशंकर अग्रवाल, श्री
रवीन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राज किशोर, श्री
राजनाथ, श्री

राजनारायण सिंह, श्री
राजबली, श्री
राज बहादुर, श्री (जौनपुर)
राजबहादुर, श्री (सीतापुर)
राजबहादुर चन्द, श्री
राज बहादुर द्विवेदी, श्री
राज राजेश्वर, श्री
राजाराम, श्री (आगरा)
राजाराम, श्री (देवरिया)
राजाराम, श्री (बलिया)
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधे श्याम कपूर, श्री
राम अंजोर, श्री
राम अचल सिंह सेंगर, श्री
राम अधार, श्री
रामअधीन सिंह, श्री
रामआसरे, श्री
रामकरन, श्री
रामकिंकर, श्री
राम किशोर, श्री
राम कुमार, श्री
रामचन्द्र आजाद, श्री
रामचन्द्र जोशी श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्र सिंह, श्री
रामचरन दोहरे, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदत्त, श्री
रामदास, श्री
रामदुलारे पटेल, श्री
रामदुलारे, श्री (गोंडा)
रामदुलारे, श्री (रायबरेली)
रामदेव, श्री (गोंडा)
रामदेव, श्री (प्रतापगढ़)
रामनरेश पांडेय, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
राम नाथ, श्री (मिर्जापुर)
रामनाथ, श्री (शाहजहांपुर)
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
रामप्रसाद, श्री (आगरा)
रामप्रसाद, श्री (गढ़वाल)
रामप्रसाद, श्री (रायबरेली)
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन, श्री
राम लखन सिंह, श्री
रामश्री राजपूत, श्री
रामसजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
रामसरन, सिंह, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसेवक, श्री
रामस्वरूप, श्री (देहरादून)
रामस्वरूप, श्री (प्रतापगढ़)
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वर सिंह, श्री
रुस्तम सैटिन, श्री
रूपनाथ, श्री
रूपनरायन, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर, श्री
लटूरी सिंह, श्री
लालन, श्री
लालन शर्मा, श्री
लाल बहादुर, श्री
वरमेश्वर पांडेय, श्री
वसी नकवी, श्री
विजय कुमार त्रिपाठी, श्री
विजय शंकर सिंह, श्री
विपिन बिहारी तिवारी, श्री
विशुन प्रताप सिंह, श्री
विश्वनाथ प्रसाद, श्री (उपनाम जीवन साहू)
विश्वनाथ सिंह, श्री
विष्णु स्वरूप, श्री
वीर बहादुर, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेश्वर त्यागी, श्री
शंकर सिंह, चौधरी
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शफकत जंग, श्री
शमीम आलम, श्री
शशिभूषण सिंह, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवनाथ सिंह, श्री

शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शीतलादीन, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्याम सिंह, श्री
श्रीनाथ, श्री
श्रीपति मिश्र, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
श्री शंकर शर्मा, श्री (उपनाम लालो शर्मा वकील)
सईद अहमद, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सन्तू, श्री
सरदार सिंह, श्री
सहदेव सिंह, श्री
सालिक राम, श्री
सियाराम, श्री
सीताराम डाक्टर, श्री
सुखदेव, श्री
सुखदेव प्रसाद, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सुशील कुमार विद्यार्थी श्री
सोहन लाल, श्री
सोहनलाल, श्री
सोहन लाल धुसिया, श्री
हरिगेनराम, श्री
हरिहरनाथ अग्रवाल, श्री (उपनाम हरी बाबू)
हरीदत्त कांडपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीशचन्द्र, श्री
हरीशचन्द्र सिंह, श्री
हरीसिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरीसिंह, श्री (मेरठ)
हिम्मत बहादुर, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुक्मसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—मंत्री, श्री प्रभुनारायण सिंह भी उपस्थित थे।

प्रश्नों के उत्तर न मिलने पर आपत्ति

एक सदस्य—

मुझे आपत्ति है कुछ।

श्री अध्यक्ष—

आपत्ति काहे पर? अभी कोई बात आरम्भ नहीं हुई है।

एक सदस्य—

मेरे प्रश्न का लिखित उत्तर नहीं मिला है। कल भी नहीं मिला था।

श्री अध्यक्ष—

कई माननीय सदस्यों ने मुझसे इस विषय में लगातार शिकायतें कीं और बहुत काफी सख्ती से मैंने छानबीन की। मुक्तिनाथराय जी की एक शिकायत थी। उनका लिखित मेरे पास आ गया है कि उनकी अनुपस्थिति में उनकी पत्नी को वह मिल गया। कई माननीय सदस्यों के कमरों पर ताला लगा होने से चपरासी लौट आया। मैं यह जानना चाहूंगा कि माननीय सदस्यों की अनुपस्थिति में वह किसको दे आया करें। मैं अपने अनुभव से कहता हूं कि साधारणतया कमरे में डाल दिया जाता है। अगर यह काफी है तो मैं इसे करवाऊंगा। यदि आप चाहें कि किसी निश्चित आदमी को मिलें, तो कृपा करके लिखित दे दें। केयर-टकर को या जिसको आप लिखेंगे उसे वह दे आवेगा।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे कल भी निवेदन किया था। जहां कमरे खुले रहते हैं वहां भी एजेन्डा, प्रश्नों के उत्तर और प्रसीडिंग्स नहीं पहुंचती हैं।

श्री अध्यक्ष—

कल आपने कहा था। मैं चाहता हूं कि आप मेरे कमरे में अपराह्न में बात करने की कृपा करें। मैं आपसे और दूसरे सदस्यों से परामर्श करके व्यवस्था कर दूंगा।

श्री नेकराम शर्मा—

पौने ग्यारह बजे आप कमरे में आते हैं, सेक्रेटरी आपको घेर लेते हैं। आप हम लोगों को कोई निश्चित समय दीजिये ताकि आपको हम बतलावें कि क्या अव्यवस्था हो रही है।

श्री अध्यक्ष—

मैं बड़ा प्रतिग्रहीत हूंगा। साधारणतया मैं १० बजे आ जाता हूं। आप सदन के पहले या बाद में जब आवेंगे मैं आप से बात करूंगा।

एक सदस्य—

आज का तो मिला है। कल वाले तो स्थगित कर दीजिये, उनका उत्तर नहीं मिला है।

श्री अध्यक्ष—

कल तो गया। उत्तर आज पहुंच जायगा, अवश्य।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, २८ जून, १९६७

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २९(४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

नैनीताल जिले में चेचक

१—श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली) तथा श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि नैनीताल जिले में चेचक के भीषण प्रकोप से सैकड़ों व्यक्ति फरवरी, १९६७ में मर गये हैं? यदि हां, तो इस प्रकोप को रोक-थाम के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्री कृष्ण बहादुर)—

नैनीताल जिले में चेचक से ४-२-६७ से २५-२-६७ तक केवल ४ व्यक्तियों की मृत्यु हुई। इस रोग की रोकथाम के लिये सभी चेचक निरोधक कार्य किये गये तथा उपरोक्त अवधि में ३,५५२ चेचक निरोधक टीके लगाये गये।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

यह ४ का फिगर क्या अस्पताल से आया है या देहातों से?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री प्रतापसिंह)—

सारे जिले की छानबीन करके पता चला कि कुल जिले में ४ मौतें हुईं।

श्री रामदत्त जोशी (जिला नैनीताल)--

जैसे ही चेचक के प्रकोप की सूचना उन्हें मिली, क्या उनके विभाग ने पूर्ण सतर्कता बरती ?

श्री प्रतापसिंह--

जैसे ही सूचना मिली हमारे स्वास्थ्य अधिकारी वगैरह सतर्क हो गये और वहां पहुंच कर उसे कंट्रोल किया ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--

क्या यह जांच हेल्थ विभाग द्वारा कराई या किसी निष्पक्ष एजेंसी के द्वारा कराई ?

श्री प्रतापसिंह--

अपने विभाग से जांच कराई और कुछ हमारे माननीय सदस्य जो निर्दलीय हैं और कांग्रेस में चले गये हैं, उनसे भी कराई ।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)--

क्या माननीय मंत्रीजी को ज्ञात है कि नैनीताल और दूसरी जगह जहां चेचक का प्रकोप बढ़ रहा है। वहां उससे बचानेवालों की संख्या घटाई जा रही है, जैसे वैक्सीनेटर्स और स्माल पाक्स इंस्पेक्टर्स हैं ?

श्री प्रतापसिंह--

वैक्सीनेटर्स कम करने का आदेश पिछली सरकार ने दिया था। हम पुनर्विचार कर रहे हैं कि उनकी संख्या बढ़ाई जाय और उन्हें लिया जाय।

श्री हरीश कुमार गंगवार--

मेरी बात मान कर कि इसमें सैकड़ों मृत्युएं हुई हैं क्या मंत्रीजी देहातों में सर्वे करावेंगे वहां के प्रधानों या दूसरों से, जिससे गलत सूचना देने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जा सके जिन्होंने विभीषिका को कम करने का तरीका अपनाया है कम संख्या बतला कर ?

श्री प्रतापसिंह--

फिर से जांच होगी और श्री रामदत्त जोशी के द्वारा भी जांच करावेंगे ।

श्री नेकराम शर्मा--

वे निर्दलीय सदस्य कौन-कौन हैं जिनके द्वारा उन्होंने जांच कराई और जो उन्होंने कहा, कांग्रेस में चले गये ?

श्री प्रतापसिंह--

मान्यवर, कई सदस्य थे ।

श्री अध्यक्ष--

आपके उत्तर से प्रश्न उठता है कि वे सदस्य कौन-कौन थे ?

श्री प्रतापसिंह--

नोटिस चाहिये । ५ सदस्य हैं, उनके नाम मैं बता दूंगा ।

श्री नेकराम शर्मा--

माननीय मंत्री जी ने जानबूझ कर सदन में गलतबयानी की है, इसलिये विशेषाधिकार के प्रश्न की मैं नोटिस देता हूं ।

श्री प्यारेलाल (जिला अलीगढ़)--

इन ४ व्यक्तियों में बच्चे और महिलायें भी शामिल हैं या वे अलग-अलग हैं ?

श्री प्रतापसिंह--

यह सूचना कुल व्यक्तियों की है ।

श्री विपिन बिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)--

ये मृत्युयें टीका लेने के बाद हुईं या बगैर टीके के ?

श्री प्रतापसिंह--

टीका लेने से पहले ही मृत्युयें हो गईं ।

श्री रामायण राय--

पिछली सरकार ने एक सामान्य सिद्धान्त अपनी केबिनेट से पास कराया था कि जो भी कर्मचारी रिट्रेन्च किये जायेंगे उन्हें किसी दूसरे विभाग में सेवा का अवसर दिया जायगा और उनकी कंडीशंस आफ सर्विस में उनके पुराने वेतनक्रम, वेतन तथा पुरानी सर्विस का ख्याल भी रखा जायगा, क्या ये सुविधायें मंत्री जी इन लोगों को देने पर विचार कर रहे हैं ?

श्री प्रताप सिंह--

विभाग इस बात पर विचार कर रहा है कि नये लोगों को काम में लगाने के बजाय पुराने लोगों को ही काम पर ले लेना ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि उनको पिछली सरकार के जमाने का अनुभव प्राप्त है । अब विभाग इस बात पर विचार कर रहा है कि उनकी सेवाओं को किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाय ।

श्री इन्द्रलाल--

क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान १५-३-६७ के नेशनल हेरल्ड तथा नवजीवन तथा नैनीताल के लोकल अखबारों की ओर गया है जिनमें लिखा है कि सैकड़ों मृत्युयें चेचक की बीमारी से हुई हैं ?

श्री प्रताप सिंह--

अखबारों की ओर तो मेरा ध्यान नहीं गया लेकिन कुछ आंकड़े मेरे पास हैं । वे इस प्रकार से हैं--

	चेचकग्रस्त होने वालों की संख्या	मृत्यु संख्या
जनवरी, १९६७	५०	२१
फरवरी, १९६७	७	४
मार्च, १९६७	२१	१०

श्री इन्द्रलाल--

मैं स्वास्थ मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने अभी जो मृत्युओं की संख्या बतलाई हैं वह कहां-कहां की हैं । उन लोगों के नाम और पते क्या-क्या हैं ?

श्री प्रतापसिंह--

ये संख्या रामपुरा, किछा और बेनी फार्म की हैं ।

[२८ जून, १९६७ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न ।]

इटावा जिले में सहकारी समितियों की स्थिति

*१—श्री सहदेव सिंह (जिला इटावा)—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इटावा जिले के अन्तर्गत ताखा एवं समथर क्षेत्रीय सहकारी समितियों के कार्यालयों में जुलाई, १९६६ से ताला पड़ा हुआ है तथा लेन-देन का सारा काम-काज ठप है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है और सरकार इस संबंध में क्या कर रही है ?

सहकारिता उपमंत्री (श्री जोरावर वर्मा)—

इन दोनों समितियों में स्थानीय अनुशासन समिति के निर्णय के अनुसार तत्कालीन मंत्री व्यवस्थापक का स्थानान्तरण कर दिया गया। इस स्थानान्तरण व्यवस्था से असन्तुष्ट होकर संचालक मण्डल ने समिति के कार्यालयों में ३ अक्तूबर, १९६६ एवं ११ नवम्बर, १९६६ को ताला डाल दिया था जो दिनांक १५ जनवरी, १९६७ तथा ८ अप्रैल, १९६७ को खुलवाए जा चुके हैं।

*२—श्री सहदेव सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इटावा जिलान्तर्गत भरथना क्रय-विक्रय समिति का संचालक मण्डल कब से निलम्बित है और क्यों तथा सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री जोरावर वर्मा—

सहकारी क्रय विक्रय समिति लि०, भरथना, जिला इटावा का संचालक मण्डल दिनांक १ मार्च, १९६६ से निलम्बित है। विभागीय अधिकारियों के बार-बार प्रतिरोध करने पर भी समिति का संचालक मण्डल ऐसे कार्य करता रहा जो समिति के अहित में थे। अतः संचालक मण्डल निलम्बित कर दिया गया और एक प्रशासक की नियुक्ति कर दी गई जिसके द्वारा कार्य संचालन हो रहा है।

एक सदस्य—

मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

मैं एक बार प्रश्नों से पहले व्यवस्था का प्रश्न उठाने की आज्ञा दे चुका हूं। अब आप प्रश्नों के बाद में उठा लें। बीच में अब कोई व्यवस्था का प्रश्न उठाने की इजाजत मैं नहीं दूंगा।

श्री सहदेव सिंह (जिला इटावा)—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि संचालक मण्डल ने स्थानान्तरण से असंतुष्ट होकर ताला डाला या अथवा उनके स्थान पर जो व्यवस्थापक की नियुक्ति थी, उससे वे असंतुष्ट थे ?

सहकारिता मंत्री (श्री गंगा भक्त सिंह)—

जो दूसरे मंत्री की नियुक्ति की गयी थी उससे असंतुष्ट थे उनके विरुद्ध रिजोल्यूशन भी पास किया था और इसी कारण से ताला भी डाला था।

श्री सहदेव सिंह—

जब संचालक मण्डल उस नियुक्ति से असंतुष्ट थे तो सहकारिता विभाग ने संचालक मण्डल की इच्छा का आदर करते हुए उनके विश्वास का व्यक्ति हां क्यों नहीं भेजा ?

श्री गंगाभक्त सिंह--

पहले उन्होंने विरोध किया था लेकिन बाद में उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया। अब वे काम कर रहे हैं।

श्री सहदेव सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि संचालक मण्डल में कौन-कौन से काम किए जो समिति के लिए अहितकर थे ?

श्री गंगाभक्त सिंह—

वैसे तो संचालक मण्डल के विरुद्ध १०-११ आरोप थे लेकिन विशेष रूप से वहां पर एक राइस मिल चलाने के लिए समिति को ४० हजार रुपया दिया गया था। उस समिति ने ४० हजार रुपये का कोई उपयोग नहीं किया और उस अवधि में उसका लाइसेंस तक भी रद्द हो गया। इसके अतिरिक्त और भी कई कारण थे जिनकी वजह से यह सब हुआ।

श्री हरीश कुमार गंगवार—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रशासक की कब नियुक्ति हुई थी ?

श्री जोरावर वर्मा—

विभागीय निरीक्षक अधिकारी १ मार्च, १९६७ को उसका ऐडमिनिस्ट्रेटर बना दिया था।

श्री सहदेव सिंह—

इस संचालक मण्डल को निलम्बित हुए लगभग सवा या डेढ़ साल हो गया तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अब तक उसको बर्खास्त या बहाल क्यों नहीं किया गया ?

श्री गंगाभक्त सिंह—

अभी भी वहां पर संतोषजनक स्थिति नहीं बन पायी है। जब ऐसी स्थिति वहां पर हो जायगी, तो फिर कर दिया जायगा।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य (जिला मथुरा)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या वहां पर दुबारा चुनाव करा देना संभव नहीं था और यदि था तो क्यों नहीं कराया गया ?

श्री गंगाभक्त सिंह—

जब वहां की स्थिति ठीक हो जायगी तो देखा जायगा। चुनाव कराने की कोई निश्चित अवधि नहीं रहती है।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि चुनाव कराए जाने के मार्ग में कौन-कौन सी स्थितियां थीं, जिनके कारण चुनाव नहीं कराये गये ?

श्री गंगाभक्त सिंह—

यह वहां के प्रशासक पर निर्भर करता है, वह जब कहते हैं कि अब चुनाव कराने की स्थिति है तभी चुनाव कराया जाता है।

सहकारी समिति, टूंडला के हिस्सेदारों का रुपया

*३—श्री रमाशंकर अग्रवाल (जिला आगरा)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सहकारी समिति टूंडला, जिला आगरा जो २८ अप्रैल, १९५६ को विघटित कर दी गई है तथा समिति का ५,०८० रुपया टूंडला

क. आपरेटिव यूनियन के पास जमा है और समिति को ५,०४१ रुपये की धनराशि अपने हिस्सेदारों को वापस करनी है ? यदि हां, तो उक्त धनराशि हिसेदारों को कब वापस की जायेगी ?

श्री जोरावर वर्मा—

जी हां, जैसे ही समस्त धनराशि (५,०८० रुपये) टूंडला सहकारी संघ से वसूल हो जायगी, समिति के सदस्यों के हिस्सेदारी की धनराशि (५,०४१ रु०) का वितरण कर दिया जायगा।

श्री रमाशंकर अग्रवाल—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उनको इस धनराशि के वसूल करने में क्या कठिनाई है ?

श्री गंगाभक्त सिंह—

उसके लिए प्रयास हो रहा है अभी पूरी-पूरी वसूली नहीं हो सकी है, वैसे कोई विशेष कठिनाई नहीं है। बाकी वसूल करने में समय तो लगता ही है।

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो प्रयास हो रहे हैं और उन पर भी नाकामयाबी मिल रही है तो उन प्रयासों की रूप रेखा क्या है ?

श्री गंगाभक्त सिंह—

विभाग की और शासन की ओर से बराबर आदेश जा रहे हैं कि वसूली जल्द की जाय और वसूली हो जायगी ऐसी आशा है।

श्री चन्द्रशेखर (जिला वाराणसी)—

अगर प्रयास हुआ है और वसूली में नाकामयाबी हुई है तो क्या कुर्की और नीलामी के कदम नहीं उठाये जा सकते ?

श्री गंगाभक्त सिंह—

वह तो अंतिम कदम रहते ही हैं।

श्री रमाशंकर अग्रवाल—

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि इसमें कुछ गबन हुआ है ?

श्री गंगाभक्त सिंह—

ऐसी तो अभी तक कोई सूचना नहीं है।

*४-५—आचार्य दीपंकर—

[१ले गुरुवार के लिए प्रश्न संख्या ३९-४० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

राठ तहसील में चेचक का प्रकोप

*६—श्री रामश्री राजपूत (जिला हमीरपुर) (अनुपस्थित)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को विदित है कि जिला हमीरपुर की राठ तहसील में इस समय भयंकर चेचक की बीमारी फैली है जिससे प्रतिदिन लगभग १०० बच्चे काल के ग्रास में चले जा रहे हैं ? यदि हां, तो पूरी स्थिति का विवरण क्या है तथा इसे रोकने का क्या प्रबंध किया जा रहा है ?

श्री प्रतापसिंह—

हमीरपुर जिले की राठ तहसील में चेचक से जनवरी, १९६७ से अप्रैल २९, १९६७ तक कुल १७६ व्यक्ति चेचक की बीमारी से ग्रसित हुए तथा ६४ व्यक्तियों की मृत्यु हुई। बीमारी से राठ, तहसील के तीनों विकास खण्डों (राठ, गोहान्ड, सरीला) में २९ गांवों में रोग का प्रकोप हुआ। अब स्थिति पूर्णतया संतोषजनक है तथा बीमारी पर काबू पाने के सभी उपाय किए जा रहे हैं। जिले में १६,५८१ प्राथमिक तथा ६६,४१८ पुर्नभेदिक टीके लगाये जा चुके हैं। जिला स्वास्थ्य अधिकारी, १, पैरा मेडिकल असिस्टेंट, १ असिस्टेंट सुपरिन्टेंडेंट आफ वैक्सीनेशन, २५ वैक्सीनेटर, १० सेनेटरी इंस्पेक्टर और १ ऐपीडेमिक असिस्टेंट, सभी टीका लगाने के कार्य में व्यस्त हैं। केवल राठ तहसील में ही ६ वैक्सीनेटर, ३ इंसपेक्टर, १ असिस्टेंट सुपरिन्टेंडेंट, १ पैरा मेडिकल असिस्टेंट, १ ऐपीडेमिक असिस्टेंट टीका लगा रहे हैं।

कम्बाइण्ड अस्पताल, काशीपुर में रोग शैय्या

*७—श्री रामदत्त जोशी (जिला नैनीताल)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कम्बाइन्ड अस्पताल (काशीपुर), नैनीताल ने इनडोर मरीजों के लिये कितने बेड्स की व्यवस्था है तथा वहां कितनी नरसें और कितने वार्ड ब्वाय नियुक्त हैं? क्या उपरोक्त अस्पताल में अभी तक कोई स्थायी लेडी डाक्टर की नियुक्ति नहीं की गई। यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कृष्ण बहादुर—

कम्बाइन्ड अस्पताल, काशीपुर, जिला नैनीताल में इस समय ३६ इनडोर मरीजों के लिये बेड्स की व्यवस्था है। इस अस्पताल में इस समय एक आया तथा दो वार्ड ब्वाय हैं। यहां पर एक लेडी डाक्टर १५-६-६६ से कार्य पर हैं।

श्री रामदत्त—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि एक अस्पताल जहां पर इन्डोर में ३६ बेड्स की व्यवस्था हो वहां पर उन मरीजों की सेवा के लिये एक भी नर्स का न होना कोई शोचनीय बात नहीं है?

श्री प्रताप सिंह—

शोचनीय बात तो अवश्य है और प्रयास हो रहा है कि नर्सेज के सेंटर और ऐक्सीलियरी नर्सेज सेंटर २७ की संख्या में खोले जायं। जब यह सेंटर खुल जायेंगे तो यह कमी पूरी हो जायगी।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

अन्य सभी अस्पतालों में जो आम जनता के लिये बेड्स हैं उनमें बेड्स की फीस मुकर्रर कर दी गई है क्या इस वजह से भी मरीजों को दिक्कत हो रही है?

श्री प्रताप सिंह—

प्रश्नकर्ता स्वयं नहीं समझे हैं शायद लेकिन उनकी मंशा समझ कर मैं बताता हूं कि जनरल वार्ड्स में पिछले जमाने से ही जो २ रुपया फीस है सरकार इस पर विचार कर रही है कि जनरल वार्ड में कोई फीस न रखी जाय चाहे प्राइवेट वार्ड्स की संख्या और बढ़ा दी जाय।

परिवार नियोजन के फील्ड कर्मचारियों का वेतन

*८—श्री महेश कुमार (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि अप्रैल, १९६५ में उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि की गयी थी? यह सारे कर्मचारियों को तो दे दिया गया

है परन्तु परिवार नियोजन के फील्ड कर्मचारियों को अभी तक क्या वह बढ़ा हुआ वेतन नहीं दिया गया है? यदि हां तो क्यों?

श्री प्रताप सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

विकास क्षेत्र, तालग्राम में दाइयों का हटाया जाना

*९—श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फर्रुखाबाद के अन्तर्गत विकास क्षेत्र तालग्राम में किन दाइयों को १ जनवरी, १९६६ से ३१ अप्रैल, १९६६ तक सेवा से अलग किया गया? यदि हां तो क्यों तथा उनमें कौन कौन स्थायी थीं और कौन कौन अस्थायी और उनमें से किन-किन को चार्ज शीट देकर जवाब मांगा गया?

श्री कृष्ण बहादुर—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री होरी लाल यादव—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार को सूचना एकत्रित करने में क्या कठिनाई है और उस को अभी कितना समय और लगेगा?

श्री प्रताप सिंह—

केवल दस दिन हुये यह प्रश्न आया था और हम चाहते हैं कि सदन में सही बात आवे इसीलिये देर लग रही है अन्यथा और कोई कारण नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

मंत्री जी, मैं आपकी सूचना के लिये बतला दूं कि यह प्रश्न २४ अप्रैल को सरकार के पास गया है तो फिर यह १० दिन आप कैसे कहते हैं?

श्री प्रताप सिंह—

इस के संबंध में मैंने विभाग से पूछा है और इस में जो उत्तर आया है यही लिखा है।

श्री अध्यक्ष—

मैं चाहूंगा कि इस के संबंध में पुनः विभाग से जानकारी की जाय और मैं समझता हूं कि ऐसे सादे प्रश्न में तो सूचना उपलब्ध करने में कठिनाई नहीं होना चाहिये?

श्री प्रताप सिंह—

हमने तो यह हिदायतें दी हैं कि इस तरह का उत्तर नहीं होना चाहिये और जल्दी ही सूचना विभाग से आनी चाहिये, जितनी भी सूचना अवेलेबिल हो वह आ जानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

आप ने ठीक किया। मैं जिस विभाग के बारे में कहता हूं तो आपको और विभाग को अलग करके नहीं देख सकता।

श्री ऊदल—

एक स्थानीय सवाल है, एक विकास क्षेत्र के बारे में। इस तरह से विभाग की तरफ से जो जवाब दिया गया है मैं समझता हूं यह उचित नहीं है। अगर पूरे जिले की सूचना होती तो ठीक था।

श्री अध्यक्ष—

मैं यही कह चुका हूं कि इसकी सूचना उपलब्ध हो सकती थी।

कटरा दीवानखेड़ा चिकित्सालय में डाक्टर न होना

*१०—श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जिला उन्नाव के बीघापुर विकास क्षेत्र में ग्राम कटरा दीवानखेड़ा में स्थित राजकीय चिकित्सालय में डाक्टर कितने दिनों से नहीं है?

श्री कृष्ण बहादुर—

कटरा दीवानखेड़ा चिकित्सालय, जिला उन्नाव में दिनांक ४-११-१९६३ से डाक्टर नहीं है।

श्री भगवती सिंह विशारद—

मंत्री जी बतायेंगे कि इस अस्पताल में ४-११-६३ से डाक्टर नहीं है तो अब सरकार को कितने दिन तक डाक्टर न रखने की योजना है?

श्री प्रताप सिंह—

श्रीमन्, मैं आपके जरिये माननीय सदन को बताना चाहता हूं कि ५६४ डाक्टरों की कमी है और जिस को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि निकट भविष्य में डाक्टर वहां भेजा जायगा।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

मंत्री जी बतायेंगे कि क्या प्रयास कर रहे हैं, क्या दिशा है यह बतायेंगे?

श्री प्रताप सिंह—

डाक्टरों की कमी को पूरा करने के विभाग ने ५ फारमूले बनाये हैं।

(१) यू० पी० सोल्जर्स बोर्ड को यह लिख दिया गया और लिस्ट भी हमारे पास आ गई है, कि जो रिटायर्ड डाक्टर्स हैं मिलिटरी के और फिजिकली और मेंटली साउन्ड हैं उनको ले लेंगे।

(२) मलेरिया में जो हमारे डाक्टर्स लग गये थे उन को हम वापस बुला रहे हैं।

(३) कबाल टाउन्स में बहुत से डाक्टर्स रिजर्व ड्यूटी में रखे गये हैं उनको ले रहे हैं।

(४) जो डाक्टर्स सिविल साइड में रिटायर हो गये हैं और फिजिकली फिट हैं उनको लेने की कोशिश कर रहे हैं।

(५) मद्रास गवर्नमेंट से बातचीत की और उस बारे में खतोकिताबत चल रही है और मद्रास सरकार ने बताया कि ३०० सरप्लस डाक्टर्स में से १०० डाक्टर हमको दे सकती है अगर डाक्टर्स की कुछ मांगें हम पूरी कर दें तो।

इन प्रयासों से हम आशा करते हैं कि कम से कम ६०० डाक्टर्स हो जायेंगे जिससे ५६४ रिक्त स्थानों की पूर्ति हो सकेगी।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

मंत्री जी ने बताया कि १९६३ से डाक्टर नहीं है, तो यह बतायेंगे कि यह अस्पताल कब खोला गया?

श्री प्रताप सिंह—

अस्पताल तो काफी पुराना है, लेकिन किस सन् में खोला गया इसके लिये सूचना चाहिये।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)—

क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि डाक्टरों की कमी के बारे में विचार करने के लिये मेडिकल हाई पावर कमेटी एक बनायी गयी थी और उसने कुछ बहुमूल्य सुझाव शासन के सामने प्रस्तुत किये थे, तो क्या मंत्री जी उन सुझावों पर अमल करते हुए ऐसे कदम उठायेंगे जिससे डाक्टरों की कमी पूरी हो जाय। उस सिलसिले में मैं यह पूछना चाहती हूं कि क्या यह सुझाव भी है उस कमेटी का कि देहातों में जो डिसपेंसरीज खाली पड़ी रहती हैं वहां डाक्टर्स को भेजने के लिये कुछ स्पेशल अलाउन्स उनको दिया जाय? क्या सरकार उस पर विचार कर रही है?

श्री प्रताप सिंह—

मान्यवर, एक जोशी कमेटी बैठायी गयी थी उस की रिपोर्ट में कहा गया है कि जो मिक्स्ड कोर्स के डाक्टर्स हैं उनको-सी क्लास ऐलोपैथिक डिसपेंसरीज में रखा जाय। तो हमने प्रार्थना-पत्र मंगा लिये हैं और कुछ की नियुक्त कर दी गई। जहां तक देहातों का सवाल है जब तक हम रूरल मेडिकल कालेज का सिस्टम प्रारम्भ नहीं करते हैं डाक्टरों को चाहे जितने अलाउन्स दें उनको देहातों में दिक्कत होती है। लेकिन फिर भी हम विचार कर रहे हैं।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

उत्तर प्रदेश सरकार ने मद्रास सरकार के अतिरिक्त अन्य किन-किन प्रदेशों से इस बात की जानकारी की कि उनके यहां सरप्लस डाक्टर हैं और अगर उनके पास थे तो उनकी कंडीशंस क्या थीं और मद्रास सरकार की कंडीशंस क्या हैं?

श्री प्रताप सिंह—

हमने मैसूर और मद्रास दो स्टेट्स से पता चलवाया। मद्रास में ही सरप्लस डाक्टर थे। उनसे मौखिक और लिखित रूप से हम बातचीत कर रहे हैं।

श्री राजाराम—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलायेंगे कि मैसूर और मद्रास के डाक्टर लेने के बावजूद उत्तर प्रदेश में कितने अस्पताल डाक्टरों से वंचित रह जायेंगे?

श्री अध्यक्ष—

यह तो माननीय मंत्री बतला चुके हैं।

श्री ऊदल—

मैंने यह सुझाव दिया था कि मेडिकल कालेजेज से जो डाक्टर पढ़ कर निकलते हैं उनसे यह बांड लिखा लिया जाया करे कि ५ साल तक वे देहाती क्षेत्र के अस्पतालों में काम करेंगे, इस सुझाव पर क्या सरकार विचार कर रही है?

श्री प्रताप सिंह—

यह बात विभाग के विचाराधीन है कि जब मेडिकल कालेज में विद्यार्थी भरती होगा तो उससे स्टाम्प भरवाया जायगा कि कम से कम दो साल तक उसे ग्रामीण क्षेत्र में काम करना पड़ेगा और अगर नहीं करेंगे तो उनको सरकार का पूरा खर्च अदा करना पड़ेगा।

हरिद्वार के निकट रायवाला से शराब की दुकान हटाना

*११—महन्त घनश्याम गिरि (जिला देहरादून)—

क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रायवाला, जिला देहरादून में जो शराब की दुकान है वह हरिद्वार की मद्य निषेध सीमा से कितनी दूरी पर है?

आबकारी मंत्री (श्री अख्तर अली खां)—

रायवाला जिला देहरादून की शराब की दूकान हरद्वार की मद्यनिषेध सीमा से ४ मील १ फर्लांग की दूरी पर है।

*१२—महन्त घनश्याम गिरि—

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि रायवाला, जिला देहरादून की शराब की दूकान एक सार्वजनिक स्थान मिलिट्री कैम्प रेलवे बस्ती तथा घनी लेबर कालोनी से बिलकुल मिली हुई है तो क्या आबकारी मंत्री उपस्थित दूकान को वहां से हटवाने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अख्तर अली खां—

कथित शराब की दूकान से मिलिट्री कैम्प १।। फर्लांग तथा रेलवे की बस्ती १ फर्लांग की दूरी पर है। विस्तृत रूप से विचार करने के उपरान्त ही सरकार ने दूकान को मौजूदा स्थान पर रखने की अनुमति दी है। अस्तु दूकान को कहीं और हटाने का प्रश्न नहीं उठता।

महन्त घनश्याम गिरि—

क्या यह बात सही है कि यह दूकान मिलीटरी कैम्प से बिलकुल लगी हुई है और सिर्फ सड़क का फासला ६० फुट का है ?

श्री अख्तर अली खां—

जो इत्तिला दी गई है उसके हिसाब से डेढ़ फर्लांग की दूरी पर यह दूकान बतलाई जाती है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य का कहना है कि यह सूचना गलत है तो उनकी इस सूचना के आधार पर उनका कहना है कि आप दुबारा जांच करा लेंगे ?

श्री अख्तर अली खां—

दुबारा जांच करा लूंगा।

महन्त घनश्याम गिरि—

क्या माननीय मंत्री जी ने यह जी० ओ० निकाला था कि ऋषिकेश से ५ मील के अन्दर कोई आबकारी का नीलाम नहीं होगा ?

श्री अख्तर अली खां—

यह सही है कि जी० ओ० में लिखा है कि ५ मील के अन्दर कोई शराब की दूकान नहीं होनी चाहिये लेकिन ऐसा इत्तिफाक है कि ऋषिकेश और हरद्वार के बीच में १० मील और एक फर्लांग का फासला है। इसकी वजह से उस बीच में एक फर्लांग की दूरी पर दुकान रखी जा सकती है लेकिन वहां पर बिल्कुल जंगल होने की वजह से गवर्नमेंट ने सन् १९६५ में इजाजत दे दी थी और ७ फर्लांग के फासले को माफ कर दिया था।

श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)—

क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि जो यह दुकान खुली है इसके आसपास के नागरिकों को आपत्ति है और वे यह चाहते हैं कि यह दुकान वहां से हटा दी जाय।

श्री अख्तर अली खां—

यह सही है कि अब से दस साल पहले कृषक समाज, मद्य निषेध समिति और श्री गंगा सभा, हरद्वार ने इसको हटाने की मांग की थी। इसीलिये सन् १९५७ में यह दुकान बन्द कर

दी गयी थी लेकिन जब वहां नाजायज शराब बनने लगी तो सन् १९६६ में सरकार ने इजाजत दे दी और तब से यह दुकान बराबर चल रही है।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह दुकान लेबर कालोनी से कितनी दूर है ?

श्री अख्तर अली खां--

कोई लेबर कालोनी वहां पर नहीं है, सिर्फ रेलवे स्टेशन की एक कालोनी एक फर्लांग की दूरी पर है ।

श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी (जिला गोरखपुर)--

माननीय मंत्री जी ने जो अभी बताया कि मद्य निषेध क्षेत्र से पांच मील की दूरी पर दुकानें होनी चाहिये, तो जो दुकानें शहरों में हैं वे पांच मील की दूरी पर हैं या नहीं ?

श्री अख्तर अली खां--

चूंकि हरद्वार एक पवित्र स्थान है इसलिये वहां पर पांच मील की सीमा कायम की गयी है । शहर की दुकानों के लिये यह पाबन्दी लागू नहीं है ।

महन्त घनश्याम गिरि--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जंगल में शराब का ठेका किस के लिये दिया गया है यदि उसका कोई उपयोग नहीं होता ? और क्या यह सही नहीं है कि उस शराब का इस्तेमाल ऋषिकेश और हरद्वार, इन दोनों तीर्थों के लिये होता है जो मद्य निषेध क्षेत्र घोषित किये गये हैं ?

श्री अख्तर अली खां--

जहां तक पांच मील की सीमा का सवाल है, चूंकि उसके अन्दर ही दुकान है, लेकिन जैसा कि मैंने अर्ज किया सन् ५० में यह दुकान बन्द कर दी गयी थी और नाजायज शराब बनने लगी थी इसलिये १९६१ में वह फिर खोल दी गयी ।

श्री रामायण राय--

क्या माननीय मंत्री जी जहां कहीं भी नाजायज शराब बिकती है वहां दुकानें खुलवाने की व्यवस्था सोच रहे हैं ?

श्री अख्तर अली खां--

जहां तक इसके जवाब का ताल्लुक है, मैं यह अर्ज कर दूं कि न तो मैंने यह सोच कर दुकान खुलवाई और न अभी तक ऐसा कोई विचार है ।

आचार्य दीपंकर--

क्या मंत्री जी इसको देखते हुये कि ये तीर्थ स्थान हैं और पुरानी सरकार ने मदिरा पान को बढ़ावा देने के लिये इस अपवित्र दुकान का लाइसेन्स दिया था तो क्या सरकार इसको रद्द करने की सोच रही है ?

श्री अख्तर अली खां--

अभी तक तो ऐसा नहीं सोचा गया लेकिन यदि सदन की ऐसी राय है तो इस पर गौर किया जा सकता है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि पवित्र स्थान में मद्य निषेध के होते हुये जब यह सुविधा दी है तो जाहिर है कि शराब पीने वालों की सुविधा के लिये ऐसा किया गया है ?

श्री अध्यक्ष--

इसका जवाब तो दिया जा चुका है कि वहां इस्तेमाल होती होगी ।

श्री अख्तर अली खां--

जैसा मैंने अर्ज किया कि इन दोनों पवित्र स्थानों के बीच में १० मील का फासला है। इसलिये अगर कायम की जा सकती है तो एक फर्लांग के बीच में कायम की जा सकती है। लेकिन इसके बीच में जंगल पड़ता है और कोई आबादी नहीं है, सरकार ने ७ फर्लांग की माफी दी है और दुकान कायम हुई है ।

श्री अश्वनीकुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला मिर्जापुर)--

श्रीमन्, अभी मंत्री जी ने बताया कि ५ मील की सीमा में दुकानें नहीं हैं तो क्या ऐसा नियम विचाराधीन है कि समस्त उत्तर प्रदेश को पवित्र समझकर मद्य निषध की सीमा से ५ मील दूर शराब की दुकानें प्रदेश से बाहर कर दी जायं ?

श्री अध्यक्ष--

उत्तर प्रदेश की सीमा के बाहर दूकानें कर दी जायं। तो आपका प्रश्न यह हुआ कि क्या कोई ऐसा सवाल विचाराधीन है कि उत्तर प्रदेश की सीमा के बाहर शराब की दूकानें कर दी जायं ? तो उत्तर प्रदेश के बाहर तो यह सरकार दूकानें नहीं खोल सकेंगी ।

श्री अश्वनीकुमार चतुर्वेदी 'राकेश'--

क्या सरकार के विचाराधीन ऐसा प्रश्न है कि समस्त उत्तर प्रदेश में मद्य निषेध लागू कर दिया जाय ?

श्री अख्तर अली खां--

ऐसा कोई गौर नहीं हो रहा है। लेकिन बराबर यह कोशिश की जा रही है कि लोग खुशी से इस आदत को छोड़ दें और इसके लिये प्रचार किया जा रहा है ।

श्री इन्द्रमणी (जिला टेहरी-गढ़वाल)--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन तीर्थों के बीच में कोई दूसरी दुकान है जो ३/४ फर्लांग की दूरी पर है ?

श्री अख्तर अली खां--

इसकी कोई इत्तला नहीं है । इसलिये नोटिस की जरूरत है ।

श्री इन्द्रमणी--

क्या मंत्री जी के पास प्रमाण हैं कि वहां पर नाजायज शराब बेची गई ?

श्री अध्यक्ष--

प्रमाण, उन्होंने नहीं कहा है । उन्होंने यह कहा है कि ऐसी शिकायत आई इसलिये दुकान खोल दी गई है । अब यह गलत है या सही, यह दूसरी बात है ।

श्री ऊदल--

क्या माननीय मंत्री जी इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि जिस तरह से १९५० में वहां दूकानों को बन्द कर दिया गया था उसी तरह से इस वर्ष दूकान को बन्द कर दिया जाय ?

श्री अख्तर अली खां--

मान्यवर, इस दूकान का ठेका इस साल दिया जा चुका है इससे दो लाख रुपये साल की आमदनी है । इस पर सरकार गौर कर सकती है अगर सरकार बन्द करना चाहेगी ।

सादुल्लानगर चिकित्सालय में डाक्टर न होना

*१३---श्री विशुन प्रताप सिंह (जिला गोंडा)---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला गोंडा, सादुल्लानगर कस्बे में राजकीय चिकित्सालय में कितने दिनों से डाक्टर नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार वहां शीघ्र डाक्टर की नियुक्ति करेगी ?

श्री प्रतापसिंह---

सादुल्लानगर राजकीय चिकित्सालय में दिनांक १५-९-६४ से कोई डाक्टर नहीं है। प्रदेश में डाक्टरों की कमी के कारण वहां कोई डाक्टर नहीं भेजा जा सका। जनवरी, १९६७ में एक डाक्टर की नयी भरती करके वहां भेजने की व्यवस्था की गई थी परन्तु उन्होंने वहां कार्यभार ग्रहण नहीं किया।

डाक्टरों के उपयुक्त संख्या में उपलब्ध होने पर वहां एक डाक्टर भेजने की चेष्टा की जायगी।

श्री विशुन प्रताप सिंह---

क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि कब तक वहां डाक्टर पहुंच जायगा ?

श्री प्रतापसिंह---

शीघ्रातिशीघ्र प्रयत्न किया जायगा।

श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)---

क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि पिछले कई वर्षों से इस बात की शिकायत होती चली आ रही है कि डाक्टरों की कमी है, उसको देखते हुये जो आयुर्वेदाचार्य और बी० एम० बी० एस० हैं, उनको नियुक्त किया जाय इसमें क्यों देरी है ?

श्री प्रतापसिंह---

मैंने प्रश्न के उत्तर में कहा था कि यह प्रयत्न किया जा रहा है कि 'डी' क्लास की डिस्पेंसरीज में इस तरह के वैद्य और जो मिक्स्ड कोर्स के डाक्टर्स हैं उनको रखा जाय, उनके प्रार्थना-पत्र आ गये हैं। बहुत से लोगों को नियुक्ति भी दे दी है। इस तरह से हम समझते हैं कि पूर्ति हो जायगी।

बदायूं जिले के चिकित्सालयों में डाक्टर न होना

*१४---श्री श्यामसिंह (जिला बदायूं) (अनुपस्थित)---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बदायूं जिले की सरकारी डिस्पेंसरियों में डाक्टर कितने समय स नहीं हैं तथा डाक्टरों की व्यवस्था कब तक हो जायगी ?

श्री प्रतापसिंह---

बदायूं जिले की निम्नलिखित सरकारी डिस्पेन्सरियों में उनके सामने उल्लिखित तिथि से डाक्टर नहीं हैं :

१---जमावई	..	..	..	१२-७-१९६१
२---देहगवां	..	..	..	२५-४-१९६३
३---कचला	..	..	..	२९-५-१९६३
४---उसावन	..	..	..	३१-१०-१९६३
५---इस्लामनगर	..	..	..	११-७-१९६४
६---उसाहट	..	..	..	२८-४-१९६५

७—बिनावर २५-७-१९६६

८—राजपुरा ३१-३-१९६७

आवश्यक संख्या में चिकित्सकों के उपलब्ध होने पर उपरोक्त चिकित्सालयों में डाक्टर की व्यवस्था हो सकेगी। साथ ही चेष्टा की जायगी कि इनमें स कुछ चिकित्सालयों में यथासंभव पहले भी डाक्टर की व्यवस्था की जाय।

उतरौला चिकित्सालय में दवाओं की कमी

*१५—श्री रफी मुहम्मद खां (जिला गोंडा)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को पता है कि जिला गोंडा के उतरौला राजकीय चिकित्सालय में कई वर्ष से दवा नहीं है? जिससे जनता को बड़ी परेशानी है? यदि हां, तो क्या सरकार तुरन्त आवश्यक दवा भेजने का प्रबन्ध करेगी?

श्री कृष्णबहादुर—

उतरौला का चिकित्सालय जिला परिषद् गोंडा द्वारा संचालित है। १९६५-६६ में कई बाधाओं के कारण उस वर्ष उतरौला के चिकित्सालय में दवा न खरीदी जा सकी और कार्य पिछले वर्ष की दवाओं से चलाया गया। १९६६-६७ में दवा उस वर्ष के आखीर (मार्च, १९६७) में जिला परिषद् द्वारा खरीद कर अस्पताल को दी गई है। इस समय अस्पताल में दवाओं की कोई कमी नहीं है।

श्री रामायण राय—

यह जो व्यवस्था है कि बी० डी० ओज० के माध्यम से इन्डेन्ट जाता है इस प्रथा को समाप्त करने पर सरकार विचार करेगी?

श्री प्रतापसिंह—

मान्यवर, इस तरह की बात नहीं है, जैसा माननीय सदस्य पूछना चाहते हैं। जिला परिषद् के अस्पतालों में मेडिकल आफिसर्स क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, यह दस्तखत कर देते हैं और जिला परिषद् उन दवाओं को खरीद कर भेजती है। जिस के बारे में आप बात कर रहे हैं वह प्राइमरी हेल्थ सेंटर की बात है।

गोविन्दवल्लभ पन्त अस्पताल, नैनीताल के कर्मचारियों की वर्दी

*१६—श्री रामदत्त—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोविन्द बल्लभ पन्त अस्पताल, नैनीताल के वार्ड ब्वायज, मालियों तथा बावर्चियों और हरिजन कर्मचारियों को सन १९४८ से पर्व, ऊनी व सूती वर्दियां प्रति वर्ष दी जाती थीं? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि स्वतन्त्रता प्राप्ति (१९४८) के बाद से उपरोक्त अस्पताल के सरकारी नियन्त्रण में आने पर उपरोक्त अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों को प्रतिवर्ष वर्दियां दिये जाने की सुविधा बन्द कर दी गई? यदि हां, तो क्या सरकार पुनः उपरोक्त सुविधा प्रदान करने की कृपा करेगी?

श्री कृष्णबहादुर—

प्रश्न के पहले दो अंशों का उत्तर 'हां' में है। इस संबंध में पुनर्विचार किया जायेगा।

श्री रामदत्त—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस अस्पताल के कर्मचारियों को अंग्रेजी राज्य के जमाने में वर्दियां मिलती थीं और कांग्रेसी राज्य आने के बाद उनको वर्दियां देना बन्द कर दिया गया है?

श्री अध्यक्ष--

पहले प्रश्न में उनका जवाब आ गया है कि पहले दी जाती थीं अब बन्द कर दी गयी हैं।

दारुलशफा डिस्पेन्सरी

*१७--श्री रईसुद्दीन (जिला मुरादाबाद)--

क्या सरकार को मालूम है कि मेम्बरान असेम्बली और कौंसिल के लिये दारुलशफा में जो अस्पताल है वहां मुनासिब दवायें नहीं हैं और इस अस्पताल के स्टाफ को सिविल सर्जन, लखनऊ ने वर्ष १९६६-६७ में कितनी बार चेक किया ? और वहां कोई इन्द्राज स्टाक बुक में किया है ? अगर हां, तो कब-कब ?

श्री कृष्णबहादुर--

यह सही नहीं है कि दारुलशफा चिकित्सालय में मुनासिब दवाओं की कमी रही हो।

वहां के औषधि भंडार की जांच १९६६-६७ में सिविल सर्जन द्वारा हर महीने होती रही है। स्टाक बुक की जांच निम्न तिथियों में हुई और इसका इन्द्राज स्टाक बुक में है :--

२०-८-१९६६
१-११-१९६६
४-११-१९६६
१०-२-१९६७

श्री रामायण राय--

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो इन्द्राज सी० एस० महोदय ने किये हैं, उसमें यह भी लिखा है कि यहां पर आवश्यक दवाओं की कमी है ?

श्री प्रताप सिंह--

मान्यवर, इसमें यह तो नहीं लिखा है। लेकिन यह है कि इस अस्पताल में दूसरे अस्पतालों से ज्यादा दवाओं की जरूरत पड़ती थी। क्योंकि यहां पर लोगों के पर्चे पर दवायें मंगवाई जाती थी जबकि अन्य दूसरे अस्पतालों में मरीज देखने के बाद उसको जितनी दवा की आवश्यकता होती थी दी जाती थी इसलिये हमने अब ऐसा कर दिया कि वी० आई० पीज के लिये कोई विशेष कोटा नहीं होगा।

श्री रामदत्त--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अस्पतालों में दवाओं का जो दुरुपयोग होता है और मरीजों को दवायें न मिलकर वे बाजारों में बिक जाती हैं, इसको रोकने के लिये क्या उन्होंने कोई व्यवस्था की है ?

श्री प्रतापसिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि बहुत सी दवायें बाजार में बिकती थीं और बांदा कांड के बाद प्रत्यक्षम् किं प्रमाणम् यह बात बिलकुल ठीक पायी गयी है कि जहां पर करीब १० हजार रुपये की दवायें बरामद की गयीं। इसके बाद अब इसकी रोकथाम के लिये इंटेलीजेंस डिपार्टमेंट के आदमियों की अस्पतालों के पास में नियुक्ति कर दी गयी है और जिस प्रकार से उनके कार्य करने का प्रासेस है वे अपना कार्य करते रहेंगे। तब से बाजारों में दवायें बिकना कम हो गयी हैं।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

अध्यक्ष महोदय, इंटलीजेंस डिपार्टमेंट ने आज तक क्या मंत्री महोदय को इस बारे में कोई सूचना दी है ? या कोई दवायें पकड़ी हैं ?

श्री प्रतापसिंह--

जहां तक दवा पकड़ने का सवाल है जब मैं बांदा अस्पताल जा रहा था तो वहां के तहखाने में ५ हजार रुपये के मूल्य की दवायें स्वंय मैंने पकड़ीं जो आउट आफ डेट हो चुकी थी और दूसरे ...

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि इंटेलीजेंस डिपार्टमेंट द्वारा इस प्रकार की कोई सूचना आई थी या आई है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

मैंने केवल इतना प्रश्न पूछा था कि मंत्री जी को इंटलीजेंस डिपार्टमेंट से कोई सूचना आयी। लेकिन मंत्री जी तो अपनी बताने लगे। या खुद वह उसमें भर्ती हो गये हैं।

श्री प्रतापसिंह--

इंटलीजेंस डिपार्टमेंट ने जो सूचना दी है वह मैं आपकी आज्ञा से चाहूंगा कि मुझसे न पूछा जाये, क्योंकि इसमें अभी कार्यवाही चल रही है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बांदा अस्पताल के तहखाने में जो आउट आफ डेट दवायें मिलीं और ५ हजार की जो दूसरे किस्म की दवायें मिलीं उसके संबंध में वहां के सिविल सर्जन ने आपको क्या बताया ?

श्री प्रतापसिंह--

मान्यवर, दवाइयां जब मिलीं तो सिविल सर्जन से नहीं पूछा गया इन्क्वायरी बैठायी गयी। इसमें हमारे विभाग के उच्चाधिकारी गये और वह कार्यवाही अब भी चल रही है। उस संबंध में मुझे यह बताया गया कि यह दवायें कई वर्षों से रखी गयी हैं और इसीलिये उसकी छानबीन हो रही है।

कालूखेड़ा ब्लाक में प्लान्टेशन पर व्यय

*१८--श्री इन्द्रलाल--

क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि छखाता रेन्ज के कालू खेड़ा ब्लाक जिला नैनीताल में गत वर्ष १९६६ ई० में जो विभाग द्वारा प्लान्टेशन बनाया गया उसमें कितने रुपये खर्च हुये, । कितनी एकड़ भूमि में यह प्लान्टेशन बनाया गया ?

उपमंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)--

प्रश्नान्तर्गत क्षेत्र में प्लान्टेशन पर ४१,१३९ रुपये व्यय हुये तथा ३३२ एकड़ भूमि में यह प्लान्टेशन लगाया गया।

श्री इन्द्रलाल--

इसमें जो ४१,१३९ रुपये का प्लान्टेशन हुआ है इसमें प्रति एकड़ क्या खर्च बैठा और प्रति एकड़ इन्कम कितनी हो रही है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

केवल वृक्षारोपण में व्यय १२३.२३ रुपया प्रति एकड़ बैठता है और अगर इस पर कर्मचारियों और ट्रैक्टर के व्यय को भी शामिल कर लिया जाय तो प्रति एकड़ २१३ रुपया आता है।

श्री इन्द्रलाल--

जो यह प्लान्टेशन बनाया गया है किस सन् में हुआ है और इसमें इस समय कितने वृक्ष खड़े हैं।

श्री ओम प्रकाश सिंह--

यह जुलाई, अगस्त १९६६ में पेड़ लगाये गये थे ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--

कितने पेड़ इस समय खड़े हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

उसमें ऐसा हुआ कि गतवर्ष वर्षा नहीं हुई इसलिये सितम्बर, अक्टूबर में सूखा पड़ गया और उसमें ४० प्रतिशत पेड़ सूख गये । दिसम्बर के अन्त और जनवरी के शुरू में ओले पड़े थे जिसमें ४० प्रतिशत वृक्ष और सूख गये केवल २० प्रतिशत वृक्ष रह गये थे ।

श्री अध्यक्ष--

(श्री इन्द्रलाल के खड़े होने पर) मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि केवल नीति के जो प्रश्न होते हैं उन्हीं पर मैं अधिक प्रश्नों की आज्ञा देता हूं । सीमित बातों के प्रश्नों के लिये नहीं देता ।

श्री इन्द्रलाल--

श्रीमन्, यह सीमित नहीं है । इसमें ४१,१४९ रुपये के पेड़ लगाये गये हैं, मैं चाहता हूं कि यह मालूम हो कि उससे इन्कम बढ़ी है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष--

सभी प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं लेकिन अपेक्षाकृत महत्व देखना पड़ता है ।

कौड़िया, गलाथा व आशापुर कटरी में वन भूमि

*१९--श्री रमाकान्त (जिला फतेहपुर)--

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि कोड़िया गलाथा तथा आशापुर व कटरी जो जिला फतेहपुर में गंगा के तट पर है और जिसके अधिकांश भाग पर खेती होती है उस पर वन विभाग ने लगभग १० वर्ष पूर्व कब्जा कर लिया था जबकि वैधानिक रूप से उसकी घोषणा दिनांक २५ नवम्बर, १९६६ को हुई थी ? यदि हां, तो इस भयंकर अन्न संकट के समय क्या सरकार इस जमीन को खेती के लिये इस्तेमाल करने हेतु सुरक्षित करेगी ?

श्री ओम प्रकाशसिंह--

यह सही है कि कि कौड़िया, गलाथा व आशापुर कटरी गांवों के अधिकांश भाग में खेती होती है । वन विभाग ने जमींदारी उन्मूलन के उपरान्त ७ मार्च, १९५३ को कौड़िया में २८६ व गलाथा में १०८७ एकड़ भूमि को माल विभाग से प्राप्त किया, इससे यह प्रतीत होता है कि १० वर्ष से नहीं वरन् १४ वर्ष से इस भूमि पर वन विभाग का कब्जा है । ग्राम आशापुर कटरी में कोई भूमि वन विभाग में निहित नहीं हुई और न इस गांव की किसी भूमि पर कब्जा ही किया गया । कौड़िया व गलाथा वन नोटिफिकेशन नं० ६१७/१४-दिनांक ११ अक्टूबर, १९५२ से निहित हुये । इन वनों के विषय में २५ नवम्पर, १९६६ को कोई घोषणा नहीं हुई । जो भूमि वन विभाग में निहित हुई है उसे कृषि हेतु नहीं छोड़ा जा सकता ।

श्री रमाकान्त--

जो रकबा कौड़िया और गलाथा का है उसका अधिकांश भाग गंगा के दक्षिणी ओर हट जाने से उसका अधिकांश हिस्सा उन्नाव जिले में चला गया है तो क्या उस हिस्से को उन्नाव जिले से लिया जायगा या फतेहपुर जिले से लिया जायगा ?

नोट :--तारांकित प्रश्न १९ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्री ओम प्रकाश सिंह--

इस बात की जानकारी कराई जायगी कि कितनी ऐसी जमीन कट गई है । उसके बाद जवाब दिया जायगा ।

फारेस्टर व फारेस्टगार्ड की सीनियौरिटी

*२०--श्री मुनीन्द्रपाल सिंह (जिला पीलीभीत)--

क्या वन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वन विभाग में फारेस्टर व फारेस्ट गार्ड की सीनियारिटी उनकी नियुक्ति के दिन से लगाई जाती है या नहीं ?

वन मंत्री (श्री रामचन्द्र विकल)--

वन विभाग में अस्थाई फारेस्टर व फारेस्ट गार्ड की सीनियारिटी (ज्येष्ठता) उनकी नियुक्ति की तिथि से लगाई जाती है और स्थाईकरण के बाद उनकी सीनियारिटी उनके स्थाईकरण की तिथि से लगाई जाती है ।

*२१--श्री मुनीन्द्रपाल सिंह--

क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९६६ में लोक सेवा आयोग ने जिन रेंजरों को अयोग्य घोषित किया अब उनमें से कितनों को कितने समय उपरान्त पूर्ववत: कार्य करने पर पुन: नियुक्त किया गया ?

श्री रामचन्द्र विकल--

सन् १९६६ में लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने जिन अस्थाई रेन्जरों को अयोग्य घोषित किया उनमें से किसी की भी पुन: रेन्जर के पद पर नियुक्ति नहीं हुई है ।

सहायक निबन्धक, मुजफ्फरनगर का स्थानान्तरण

*२२--श्री वीरेन्द्र वर्मा--

क्या सहकारिता मंत्री बतलायेंगे कि सहायक निबन्धक, मुजफ्फरनगर के जिले से स्थानान्तरण के आदेश गत वर्ष कब हुये थे तथा तुरन्त ही किस कारण उन्हें रद्द किया गया ?

श्री गंगाभक्त सिंह--

श्री भीम सिंह विद्यार्थी का स्थानान्तरण मेरठ को जनवरी १९६७ में हुआ है । तब से वह मेरठ में काम कर रहे हैं ।

ढिमरी ब्लाक प्लान्टेशन में अग्निकांड

*२३--श्री इन्द्रलाल--

क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल, १९६७ के तृतीय सप्ताह में तराई भावर के ढिमरी ब्लाक प्लान्टेशन में भीषण अग्निकांड से कितने हजार की क्षति सरकार को हुई ?

श्री रामचन्द्र विकल--

तराई भावर के ढिमरी ब्लाक प्लान्टेशन में अप्रैल के तृतीय सप्ताह में तो नहीं हुई, परन्तु द्वितीय सप्ताह में ऐसी दो दुर्घटनायें ११ और १५ अप्रैल, १९६७ को हुई ।

इन अग्निकांडों से सरकार को ६,००० रुपये की क्षति होने का अनुमान है; यह क्षति उस व्यय के रूप में होगी जो सरकार को अग्नि से झुलसी हुई छोटी पौध को पुन: कल्ले निकलने के लिये काटने पर उठानी पड़ेगी ।

पुवायां तहसील में वन भूमि

*२४—श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला शाहजहांपुर की तहसील पुवायां में कितने एकड़ सरकारी वन है और उसमें से कितने एकड़ अनधिकृत रूप से गांव वालों ने कब्जा कर लिया है और प्रधान द्वारा पट्टे भी करा लिये हैं जिनको परगनाधीश, पुवायां ने भी मंजूर कर लिया है और इससे वन बिभाग को कितना नुकसान होगा ?

श्री रामचन्द्र विकल—

सूचना एकत्र की जा रही है।

*२५—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

(२रे बुधवार के लिये प्र० सं० २२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।)

अतारांकित प्रश्न

शिकार नियमों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

१—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १ जनवरी सन् १९६६ से ३१ दिसम्बर, १९६६ तक कितने आई० ए० एस०, पी० सी० एस० तथा अन्य गजटेड अधिकारी बिना आज्ञा के शिकार खेलते हुये अथवा शिकार नियमों के उल्लंघन में पकड़े गये और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई ?

श्री रामचन्द्र विकल—

जनवरी सन् १९६६ से ३१ दिसम्बर, ६६ तक निम्नलिखित आई० ए० एस०, पी० सी० एस०तथा अन्य गजटेड अधिकारी बिना आज्ञा शिकार खेलते अथवा शिकार नियमों का उल्लंघन करते हुये पकड़े गये :

आई० ए० एस०	२
पी० सी० एस०	कोई नहीं
अन्य गजेटेड अधिकारी	४

उक्त आई० ए० एस० अधिकारियों में से एक से नियमानुसार आवेदन पत्र शुल्क, शिकार फीस, रायल्टी तथा मुआवजा कुल मिला कर ११२ रुपये वसूल किये गये। दूसरे आई० ए० एस० अधिकारी के मामले में जांच करने पर पर्याप्त सबूत न मिला इसलिये इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी। उक्त गजेटेड अधिकारियों में से ३ अधिकारियों के मामले विभागीय रूप से कम्पाउन्ड कर दिये गये तथा नियमानुसार उनसे मुआवजा वसूल किया गया। चौथे गजेटेड अधिकारी के मामले में जांच पड़ताल की जा रही है।

उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९६७

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से सदन को सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम १४९ के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्प कालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९६७ जो विधान सभा द्वारा २१ जून, १९६७ को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से, बिना किसी संशोधन के २७ जून, १९६७ को वापस प्राप्त हो गया है।

स्वास्थ्य मंत्री द्वारा प्रश्न के उत्तर में कथित जानबूझ कर तथ्यों को छिपाने के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--

माननीय प्रताप सिंह, स्वास्थ्य मंत्री ने एक प्रश्न के उत्तर में सदन में यह कहा कि माननीय सदस्य जो पहले निर्दलीय थे और अब कांग्रेस में चले गये हैं, उनके द्वारा जांच कराई थी कि कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई। यह जानबूझ कर उन्होंने गलत स्टेटमेंट दिया है। जब मैंने उनसे सवाल किया कि कृपया उसका नाम बतला दें कि किस सदस्य के द्वारा आपने जांच कराई और उसमें कितने आदमी मारे जाने की बात है तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। जब माननीय मंत्री सदन में जानबूझकर यह वक्तव्य देते हैं कि एक निर्दलीय सदस्य के द्वारा जांच कराई गई और उनका नाम नहीं बताते हैं तो यह जानबूझकर सप्रेशन आफ ट्रुथ है और सच को जानबूझकर छिपाना है। इसलिये या तो माननीय मंत्री सदन में खड़े हो कर माफी मांगें या उनके खिलाफ विशेषाधिकार के प्रश्न को स्वीकार किया जाय।

श्री अध्यक्ष--

माननीय नेकराम जी शर्मा ने यह प्रश्न उठाया कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने प्रश्न का उत्तर देते हुये कहा कि उन्होंने उस घटना की जानकारी ऐसे निर्दलीय सदस्य के द्वारा कराई जो अब कांग्रेस में शामिल हो गये हैं। उसके बाद जब उनसे सदस्य का नाम पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वे कौन सदस्य थे मैं इस समय नाम नहीं बतला सकता। सूचना मिलने के बाद बता सकता हूं, तो इसमें मुझे जानबूझ कर किसी सच्चाई को छिपाने का प्रश्न दिखाई नहीं देता। (व्यवधान)। मैं यह चाहता हूं कि आप अच्छी परम्परा डालने में मेरी सहायता करें। जब मैं अपनी बात कह दूं तब आप कहें। हर एक प्रश्न पर जानकारी की आवश्यकता नहीं है। यह कहना कि एक माननीय सदस्य जो निर्दलीय थे अब कांग्रेस में शामिल हो गये और उनका केवल इस समय नाम नहीं बतलाना और उसकी सूचना के लिये उन्होंने बतला दिया कि वे सूचना चाहते हैं तो इससे यह नतीजा निकालना कि वह जानबूझ कर गलतबयानी कर रहे थे, उचित नहीं है। आप प्रश्न कर लीजिये। अगर वह नहीं बतलाते हैं तब दूसरा प्रश्न उठ सकता है।

श्री नेकराम शर्मा--

मेरी बात सुन लीजिये। आपसे पहले भी एक स्पीकर थे। वह भी अपनी बात ज्यादा कहते थे और दूसरों की कम सुनते थे। आप अपनी बात कह लें तो हम उसको सुन लें या फिर हम अपनी बात कह लें तो आप हमारी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष--

लेकिन नेकराम जी, मैं एक व्यवस्था दे चुका हूं और उसके बाद आप अपनी बात कहे जा रहे हैं। आप बैठ जायं तो मैं अपनी बात कहूं। मैं एक व्यवस्था का जबाव दे रहा हूं। हर बात पर, जब कभी कोई कठिन प्रश्न सामने आये हैं, मैंने इस बात का प्रयत्न किया है कि आप लोगों को अपनी बात कहने का अवसर मिले, लेकिन जो बात प्रत्यक्ष है, जो मैंने देखी है और सुनी है, उसमें मौका देने का कौन-सा अवसर है? आप इस पर भी कई मिनट बोल चुके और उस पर मैं अपनी व्यवस्था दे रहा हूं। हो सकता है कि आप मेरी व्यवस्था से संतुष्ट न हों, लेकिन संतुष्ट न होने के बाद भी आप उसे मानें। यह नियमों के अनुकूल होगा और सदन की गरिमा के भी।

पूर्वगामी अध्यक्ष महोदय के संबंध में जो आपने कहा वह जिक्र यदि आप न करते तो अधिक अच्छा होता। जो व्यक्ति यहां उपस्थित नहीं है, उनकी व्यवस्था पर अथवा उनकी किसी प्रक्रिया पर कोई टिप्पणी करना आप के लिये उचित नहीं है।

श्री नेकराम शर्मा--

स्वास्थ्य मंत्री जी ने यह कहा कि मैंने उस सदस्य द्वारा जांच करायी आफिशियली। जांच के आदेश दिये। तो उनको उस सदस्य का नाम तो मालूम ही होगा और इसके अतिरिक्त जो उन्होंने रिपोर्ट दी वह रिपोर्ट और उन सदस्य महोदय का नाम फाइल में अवश्य होगा। उनकी रिपोर्ट आफिशियली आयी होगी वह भी फाइल में मौजूद होनी चाहिये। इस संबंध में भी माननीय मंत्री जी नोटिस चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष--

आप किस नियम के अनुसार यह सब बता रहे हैं? मैं इस पर अपनी व्यवस्था दे चुका हूं और कह चुका कि यह विशेषाधिकार का प्रश्न हरगिज नहीं हो सकता।

श्री नेकराम शर्मा--

अगर आप किसी माननीय सदस्य को सुनने के पूर्व ही कोई व्यवस्था दे दें तो ठीक है। मैं बैठ जाऊंगा।

श्री चेतराम पचपेड़ा (जिला बरेली)--

अध्यक्ष महोदय, अभी एक प्रश्न पर बोलते हुए नेकराम जी ने कहा कि माननीय अध्यक्ष सुनते नहीं हैं। इस प्रकार उन्होंने चेयर की ही नहीं, अपितु माननीय सदन की भी अवहेलना की है और इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि वे इस सदन के समक्ष माफी मांगें और अपने शब्द वापस लें।

श्री अध्यक्ष--

जो कुछ माननीय नेकराम जी ने कहा, उसमें कोई असंसदीय बात उन्होंने नहीं कही और उसके बारे में सारी बात मैं कह चुका हूं। उनका कहना अनुचित है अथवा उचित, इस बारे में मैं स्वयं कह चुका हूं, इसलिये अब इस पर कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नों के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री हुकम सिंह (जिला आगरा)--

मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं प्रश्नों के संबंध में। आपने कहा था कि प्रश्नों के बाद आप को समय दूंगा।

श्री अध्यक्ष--

उसके बाद तो आप सो गये।

श्री हुकम सिंह--

आपने इसी सदन में एक कामरोको प्रस्ताव स्वीकार किया था जिसमें स्वास्थ्य मंत्री से वक्तव्य देने को कहा गया था ....

श्री अध्यक्ष--

मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। व्यवस्था का प्रश्न किसी तात्कालिक प्रश्न पर उठता है। प्रश्नों के विषय में अगर कोई व्यवस्था की बात है तो उसे आप प्रश्नों के समाप्त होने पर ही उठा सकते हैं। वह समय आज बीत चुका है। उसके बाद भी हम कई आइटम्स ले चुके हैं। इसलिये इस प्रश्न को या तो आप कल उठाइये अथवा इसे मुझे लिख कर भेज दीजिये।

महिलाओं पर लाठी चार्ज के विषय में मुख्य मंत्री द्वारा कथित गलत बयानी के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

अब मेरे पास एक विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना आयी है माननीया राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी की ओर से। मैं उसे पढ़ कर सुना देता हूं। वह इस प्रकार है :—

"कल सदन में भाषण करते हुए माननीय मुख्य मंत्री ने इस बात की गलत बयानी की है कि उनके निवास स्थान पर २४ मई को स्त्रियों पर पी० ए० सी० द्वारा लाठी चार्ज नहीं हुआ। मैं इसके प्रमाण में वह फोटो जो घायल बहिनों के अस्पताल में लिये गये तथा फटा ब्लाउज जो पुलिस ने फाड़ा था, पेश करती हूं। मैंने स्वयं उन घायल बहिनों से बातचीत करके यह जानकारी हासिल की है। अतः मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के विरुद्ध सदन के अवमान के कारण विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उपस्थित करती हूं।"

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)—

मैं कहना चाहती हूं कि जब कल मुख्य मंत्री सदन में भाषण कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि स्त्रियों पर किसी प्रकार का लाठी चार्ज नहीं हुआ। मैं समझती हूं कि यह गलत बयानी मुख्य मंत्री जी के द्वारा हुई है और इस तरह से जानबूझ कर स्त्रियों का अवमान किया गया है। मेरे पास प्रमाण मौजूद हैं। मुझे अफसोस है कि मुख्य मंत्री ने बिना तथ्यों की गहराई में गये हुए ऐसा बयान दिया। (कुछ वस्त्रों को सदन में फेंक कर) ये वे फटे हुये ब्लाउजेज हैं जो चिथड़े हो गये और (कुछ फोटो दिखलाते हुए) ये तस्वीरें हैं उन महिलाओं की, ये फोटो सिविल हास्पिटल में लिये गये उन स्त्रियों के जिन पर लाठी चार्ज हुआ। (शेम-शेम की आवाजें) किसी के हाथ टूटे हैं, किसी की कमर टूटी है और जिस तरह से उनके अबार्शन तक हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्य मंत्री जी को यह मालूम नहीं है कि मेरी ४ बहिनों ने इसी दुख में आकर आत्महत्या कर डाली है। अगर वह प्रमाण जानना चाहते हैं तो कौंसिल हाउस के बाहर उनका कैम्प लगा है। एक मिसेज द्विवेदी हैं जो हास्पिटल से निकली हैं, जो चल नहीं सकती हैं उनको देखा जा सकता है, सदन के सदस्य देख सकते हैं कि यह सत्य है या झूठ है। इसलिये मैं चाहूंगी कि मुख्य मंत्री जी ने जो यह गलतबयानी की है और जिस तरह से सदन का अपमान किया है, यह प्रश्न प्रिविलेज कमेटी के सामने भेजा जाय और इसकी जांच की जाय।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि मेरे मकान पर कहीं महिलाओं पर लाठीचार्ज नहीं हुआ। गलत बयानी तभी हो सकती है जब किसी बात से यह सिद्ध होता हो कि लाठी चार्ज हुआ। तो मैं माननीया राजेन्द्रकुमारी जी, आपसे जानना चाहता हूं कि आपने ये जो कपड़े डाले और जो फोटो आपने बताये, इससे क्या यह प्रमाणित होता है कि ये चौधरी साहब के मकान की घटना के हैं?

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी—

चौधरी साहब के मकान के सामने वे सारी औरतें थीं। वहीं पर पी० ए० सी० पुलिस के लोगों नें और डी० एस० पी० त्रिवेदी ने उनकी चोटियां खींचीं ....

श्री अध्यक्ष—

क्या जो फोटो आपके सामने हैं ये चौधरी साहब की कोठी की हैं?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

ये तो अस्पताल के हैं—जो सिविल अस्पताल में औरतें दाखिल हुईं। मैं यह कहना चाहती हूं कि औरतों पर लाठी चार्ज हुआ, मुख्य मंत्री ने कहा कि लाठी चार्ज नहीं हुआ। मेरी बात सुन लें तब रूलिंग दें।

श्री अध्यक्ष—

यह पुनरावृत्ति है। मैं फिर पूछता हूं कि जो फोटो आप दिखला रही हैं यह चौधरी साहब के यहां कोई घटना हुई, उसके हैं ?

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी—

चौधरी साहब के निवास स्थान पर लाठी चार्ज हुआ उस समय औरतों को अर्ध-नग्न किया गया और वे फिर सिविल हास्पिटल में दाखिल की गयीं। तो यह कोई ड्रामा और नाटक नहीं है कि लाठी चार्ज नहीं हुआ, वे बीमार नहीं हुईं। उनके हाथों पर पट्टियां हैं। तो क्या ड्रामा करने के लिये फोटो खिंचवायें थे ?

श्री अध्यक्ष—

जो विशेषाधिकार के प्रश्न पर प्रक्रिया में लिखा है उसे आप कृपया देखें। इसमें यह है कि जो विशेषाधिकार का प्रश्न रखें उनको मैं सुन लूं तथा जिनके विरुद्ध वह दिया गया हो उनको भी मैं सुन लूं और उसके बाद अपनी रूलिंग दूं। हमारी प्रक्रिया नियमावली के नियम ६६ के अनुसार मैंने यह आवश्यक समझा कि पहले मैं कम्पलेनेंट को सुन लूं। मैंने उनसे एक प्रश्न यह किया था कि जो फोटो उन्होंने दिखाये वे क्या चौधरी चरण सिंह जी के मकान के हैं या किसी दूसरी जगह के हैं ? माननीया राजेन्द्रकुमारी जी ने बताया कि वे फोटो अस्पताल में जो महिलायें भर्ती हैं उनके हैं और वहां के वे चित्र हैं। मैं एक अवसर उन माननीय सदस्य को भी सुनने का देना चाहता हूं जो उस घटना के समय मौके पर रहे हों। यदि कोई माननीय सदस्य ऐसे हों जो उस घटना के समय वहां रहे हों और उन्होंने उस घटना को देखा हो तो वे कह सकते हैं, मैं उनको सुनना चाहता हूं।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—

जिन्होंने उन चोटों को आंखों से देखा है वे अपना बयान देंगे, आप उनको भी सुन लीजिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैं साधारणतया केवल कम्पलेनेंट और जिसके खिलाफ शिकायत हो उसको ही सुनना चाहता था, लेकिन मैंने इसकी परिधि बढ़ा दी कि जो घटना स्थल पर मौजूद रहा है, जिसने घटना को देखा हो उनको भी मैं सुन सकता हूं।

मुख्य मंत्री (श्री चरणसिंह)—

अध्यक्ष महोदय, मुझे आज इस प्रस्ताव पर जो बहिन राजेन्द्र कुमारी जी की तरफ से आया है बड़ी तकलीफ हुई। यह जो प्रस्ताव आया है वह इस संबंध में आया है कि मैंने कोई गलत-बयानी की है कि महिलाओं पर लाठी चार्ज नहीं हुआ, मुझे इस पर खेद है। किसी भी माननीय सदस्य की तरफ से ऐसा प्रस्ताव आता तो मुझे खेद होता, लेकिन चूंकि यह बहिन राजेन्द्र कुमारी जी की तरफ से आया, इसलिये और ज्यादा खेद है। डेमोक्रेसी है, यह गवर्नमेंट चल रही है, गवर्नमेंट का अपोजीशन होना चाहिये, लेकिन अपोजीशन इस हद्द तक हो जाय · · ·

(व्यवधान)

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जब कोई स्पेसिफिक बात पूछी जाय तो उसी का उत्तर यहां सदन में आना चाहिये, सारे विरोधी पक्ष को उपदेश देने की जरूरत नहीं होती। विरोधी दल जानता है कि उसको किस प्रकार कार्य करना चाहिये और उस प्रकार की बातों को सुनने के लिये हम तैयार नहीं हैं, जो बात पूछी गयी है उसको वे उत्तर दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

माननीय कृष्णानन्द राय जी, विशेषाधिकार का प्रश्न माननीया राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी ने उठाया था, उसके विषय में मैंने माननीय नेता सदन को जवाब देने के लिये कहा। परन्तु अगर आप इस तरह से बीच ही में स्वयं कहने लगेंगे, या जो आदमी कहना चाहता है वह आपकी इच्छानुसार कह दे, तो वे नहीं कह सकेंगे। आपको इस तरह की आपत्ति उठाना ठीक नहीं है।

श्री चरणसिंह---

अध्यक्ष महोदय, जैसा आपने फरमा दिया कि आपने जो कुछ कहना हो वह कहें। मैंने जो शब्द कहा था "आपोजीशन और गवर्नमेंट" उस पर आपको भ्रम हो गया कि मैं आपोजीशन और गवर्नमेंट पर टीका करने जा रहा हूं। मैं कह रहा था कि आपोजीशन है और रहना चाहिये। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन पर एक दूसरे के बयान पर यकीन करना चाहिये। आपको हक है कि आप यकीन न करें। अध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा कि महिलाओं पर लाठी चार्ज नहीं हुआ। बहिन जी कह रही हैं कि मैंने झूठ बोला। मैं अपना दुख इस बात पर प्रकट कर रहा हूं कि मैं इख्तिलाफ राय हूं। फैक्ट्स का इन्टरप्रेटेशन अलग-अलग हो सकता है। यह खयाल करना कि मैं जानबूझ कर गलत बयानी करूंगा इस पर मैं अपने दुख का इजहार कर रहा हूं। अगर मैं दुख का इजहार भी न कर सकूं तो मैं उसके लिये दुख प्रकट कर रहा हूं। बहिन जी कपड़े ले आईं और कपड़े फेंक दिये उन्होंने, आपने शेम की आवाज लगा दी और नाटक हो गया.... (व्यवधान)

एक सदस्य---

यह "नाटक" शब्द असंसदीय है।.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

यह "नाटक" शब्द असंसदीय नहीं है।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)---

महिलाओं पर अत्याचार हुआ हो और उसके लिये आप ऐसा कहते हैं, इसको आप वापिस लें।

श्री अध्यक्ष---

माननीय धर्मवीर जी, जब इस तरह से नेता सदन बोल रहे हों और उनके कहने पर मैंने अपना निर्णय भी दे दिया, तो यह उचित नहीं है। एक माननीय सदस्य ने "नाटक" शब्द पर आपत्ति की। अगर आपने सुनने का कष्ट किया होता तो मैंने निर्णय दिया कि "नाटक" शब्द का प्रयोग कई बार हुआ है। मैं इसको असंसदीय नहीं मानता। कई लोगों ने 'नाटक' शब्द का प्रयोग कई बार इसी सप्ताह में किया है। यह असंसदीय है इसे सुन कर मुझे ताज्जुब हो रहा है।

श्री धर्मवीर---

अध्यक्ष महोदय, एक माननीय सदस्य ने अपना बयान सामने रक्खा, उसको "नाटक" कह देना कहां तक संसदीय है ?

श्री अध्यक्ष--

बहुत-सी बातें ऐसी होती हैं जिनकी ज्यादा विवेचना अच्छी नहीं होती। माननीय सदन की गरिमा और महिमा का ध्यान रखते हुए जब उन्होंने कपड़ों को फेंका तो मैंने आपत्ति नहीं की। ठीक बात तो यह है कि सदन की तरफ, मेरी तरफ को फेंकना ठीक नहीं था। कोई वैज्ञानिक तरीका ऐसा नहीं था जो कपड़े मेरे पास आ सकते हों, ऐसी छोटी-छोटी बातों पर . . .

(व्यवधान)

एक सदस्य--

आप व्यवस्था दें वरना इधर से भी हंगामा होगा।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)--

श्रीमन्, मैं तो केवल आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता था कि 'नाटक' शब्द का प्रयोग चाहे यहां पर असंसदीय न हो लेकिन क्या श्रीमन्, उसे आप शोभनीय कहेंगे ? मैं तो केवल यही जानना चाहता हूं कि हमारी ओर से चोट लगी हुई महिलाओं के जो कपड़े फेंके गये उसके लिये इस प्रदेश के मुख्य मंत्री के मुंह से यह कहना कि किसी महिला को चोट नहीं लगी और सदन में इस तरह से कपड़े फेंक कर प्रदर्शित करना एक 'नाटक' है, क्या यह शोभनीय होगा ?

श्री अध्यक्ष--

मेरे सामने जो प्रश्न है वह यह है कि मैं 'नाटक' शब्द को क्या कहूं ? माननीय पंडित कमलापति जी त्रिपाठी आपके नजदीक बैठे हैं जो स्वयं हिन्दी के इतने बड़े विद्वान हैं, मैं समझता हूं कि उनको 'नाटक' शब्द पर कोई आपत्ति नहीं होगी। उसके सन्दर्भ पर हो सकती है। माननीय नेता सदन ने सदन में कपड़ा फेंकने के दृश्य को 'नाटक' कहा, चोट लगने के सन्दर्भ में नहीं कहा। 'नाटक' की संज्ञा जो दी गयी है उसे न तो मैं अशोभनीय समझता हूं और न असंसदीय ही।

(मुख्य मंत्री का नाम पुकारे जाने पर)

श्री महेश कुमार (जिला मुरादाबाद)--

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कल जब यहां बहस चल रही थी तब आपने कहा था कि यहां की एक परिपाटी बन गयी है कि जब कोई माननीय सदस्य या माननीय मंत्री बोल रहे हों उस समय कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाना चाहिये, जब तक कि वे बैठ नहीं जाते। तो मैं जानना चाहता हूं कि यह आपकी कैसी व्यवस्था है कि माननीय नेता सदन बोल रहे थे और आपने बीच में ही दूसरे को सुन लिया।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

जवाब देना सारे सदन का काम नहीं है, मेरा है।

श्री महेशकुमार--

माननीय नेकराम शर्मा के व्यवस्था के प्रश्न पर आप व्यवस्था दे चुके थे और उनसे आपने कहा कि मैं आपको नहीं सुनूंगा, लेकिन फिर भी वे बोलते रहे और आपने उनको मौका दिया।

श्री अध्यक्ष--

माननीय महेशकुमार जी, मैं दूसरी व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में आलोचना करने की अनुमति आपको नहीं देता हूं। अगर आप कोई व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहें तो उठा सकते हैं।

श्री महेश कुमार--

मैं एक निवेदन कर रहा हूं कि आपने व्यवस्था दी है कि यहां सीनियर और जूनियर मेम्बर कोई नहीं है सबके समान अधिकार हैं, फिर भी मैं देखता हूं कि आप माननीय बहुगुणा जी को और राय जी को हर सवाल पर मौका बोलने का दे देते हैं।

श्री अध्यक्ष--

एक माननीय सदस्य के मन में अगर कोई इस तरह की कल्पना आयी है, मैं इसको बहुत अनुचित समझता हूं विशेषकर जिस भाषा में माननीय महेशकुमार जी ने दो, तीन, चार, पांच, बातों को एक साथ मिला कर, जिनका आज की घटना से कोई संबंध नहीं है, पिरोया है। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि अभी आप नये आये हैं, सदन के नियमों का अध्ययन कर लें कि किस समय प्रश्न उठाया जा सकता है। सदन के सब नियम हैं। अगर आप इस संबंध में जानकारी करना चाहें तो मेरा स्टैंडिंग निमंत्रण आपके लिये है, वैसे मेरे कार्यालय से भी आपको इसमें मदद मिलेगी। खासतौर से आपके लिये मैं कहता हूं कि कल की किसी बात, जिसको मैं सदन में नहीं कहना चाहता, उस बात के सिलसिले में मैंने आपको बुलाया भी है। तो इसको मैं बिलकुल अनुचित समझता हूं कि कल से आज तक की घटनाओं को पिरो कर आपने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। अभी जो आपने कहा कि कल मैंने एक व्यवस्था दी थी, तो मैं आपको बतला दूं कि जब माननीय नेता सदन बोल रहे हों उस समय और व्यवस्था होती है। उस समय का नियम है, पार्लियामेंटरी पद्धति के अन्तर्गत इंटरप्शन का होना स्वाभाविक है लेकिन अगर वह इंटरप्शन उस सीमा को लांघ जाय तो वह गलत हो जाता है। अगर वे बैठ जाते हैं तब तो ठीक है, लेकिन किसी के खड़े रहने पर प्रश्न करने का अधिकार नहीं है। अगर कोई व्यवस्था का प्रश्न हो तो उसे उठाया जा सकता है।

(मुख्य मंत्री के खड़े होने पर)

श्री चन्द्रशेखर (जिला वाराणसी)--

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। इस सदन की हमेशा यह परम्परा रही है और सदन की महिमा रही है कि सदन के अध्यक्ष की तरफ से....

श्री अध्यक्ष--

यह क्या कोई व्यवस्था का प्रश्न है?

श्री चन्द्रशेखर--

जी नहीं, विशेषाधिकार का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

जब माननीय नेता सदन बोल रहे हों, उस समय केवल व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति ही दे सकता हूं, अगर वह भी वास्तव में व्यवस्था का प्रश्न हो।

श्री चन्द्रशेखर--

माननीय नेता सदन के बाद मेरा विशेषाधिकार का प्रश्न ले लिया जाय।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

वे विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना दे रहे हैं, उसको मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

अगर वे उसका नोटिस देंगे तो मैं उसको मान लूंगा।

श्री चरणसिंह--

जो मैंने नाटक शब्द का इस्तेमाल किया वह इसलिये किया कि एक खास ढंग से बहिन जी ने कपड़े फेंके और वह इस मंशा से फेंके कि उसका प्रभाव विशेष हो । वह प्रभाव हुआ और 'शेम शेम' की आवाजें आयीं। यह सब नाटकीय ढंग से हुआ। राजेन्द्र कुमारी जी की तरफ से यह सब कुछ होने पर मुझे और भी ज्यादा तकलीफ हुई। अध्यक्ष महोदय, कहा गया कि वहां लाठी चार्ज हुआ और जब मैंने कहा कि नहीं हुआ तो बताया गया, गलतबयानी की और उसके सबूत में कपड़े फेंके गये। कपड़ों के फेंकने से यह कैसे साबित हो जाता है कि लाठी चार्ज हुआ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--

किसी कमेटी को इसे दे दीजिये ।

श्री चरण सिंह--

अध्यक्ष महोदय, इस तरह से इंटरप्शन नहीं होना चाहिये।

एक सदस्य--

अध्यक्ष महोदय, ये इस प्रकार से धौंस देते हैं। किसी को बोलने नहीं देंगे।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठें। माननीय नेता सदन बोल रहे हैं और एक गंभीर विषय पर बातें हो रही हैं। मैं प्रार्थना करूंगा कि आप शांति से सुनें।

*श्री चरणसिंह--

जिस समय यह घटना हुई, मैं अपने मकान पर मौजूद नहीं था । मेरे सहयोगी माननीय उदित नारायण जी कए क मित्र मेरे मकान पर ठहरे हुये थे। वे उनसे मिलने के लिये गये। उनको डेढ़ दो घंटे तक महिलाओं ने घेर कर रखा। उनको अपनी कार से उतरने भी नहीं दिया गया । डेढ दो घंटे के बाद होम गार्ड्स की लड़कियों से पुलिस वालों ने कहा कि इन औरतों को हटाओ। इसमें गुत्थम गुत्था हुई। कुछ लड़कियां भी नीचे गिरीं और कुछ महिलायें भी इसमें नीचे गिरीं । उस समय हो सकता है कपड़े भी फटे हों । कुछ औरतों को जो उस समय बेहोश हो गयी थीं गालिबन, उनको उसी वक्त अस्पताल भी भेज दिया गया । लेकिन लाठीचार्ज के बारे में माननीय उदित नारायण जी ने आंखों देखी घटना बतलाई कि कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ । वहां पर प्रेस के भी प्रतिनिधि थे, उनमें से एक, दो ने भी मुझसे बताया कि लाठी चार्ज नहीं हुआ, उसका प्रश्न ही नहीं उठा और ऐसी बात वहां नहीं हुई। जिम्मेदार पुलिस अधिकारी डी० आई० जी० ने और मजिस्ट्रेट ने भी यही बताया कि कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ। इन सब लोगों के कहने पर मैं विश्वास करता हूं। उनके विश्वास पर ही मैंने कहा कि कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ। माननीय बहिन जी कुछ फटे कपड़ों और अस्पताल में लिये गये फोटो की बिना पर कहती हैं कि लाठी चार्ज हुआ। इनसे यह कैसे साबित होता है कि वहां लाठी चार्ज हुआ। अस्पताल में दाखिल होना तो उससे साबित होता है। अतः विशेषाधिकार का प्रश्न तो तभी उठ सकता है जब यह साबित हो जाय कि बजाहिर मैंने गलतबयानी की। उनके कपड़े फटे, लड़कियों के भी कपड़े फटे हो सकते हैं और फोटो उन्होंने अभी तक फेंका नहीं । फोटो वह अगर और फेंक देतीं और उन से यह साबित हो जाता कि वह चोटें लाठी की हैं तब तो यह बात उठ सकती थी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री चरणसिंह]

और सम्भावना हो सकती थी, मुझे तो हालांकि उसमें भी शक है। उन को तो केवल यह कपड़े दिये गये बाकी वह उस समय वहां स्वयं मौजूद नहीं थीं।

(व्यवधान)

मैं तो एक नेगेटिव बात कह रहा हूं कि लाठी चार्ज हुआ ही नहीं और जिनका कहना पाजिटिव है कि वह हुआ तो उसकी सपोर्ट में उनका वहां मौजूद रहना आवश्यक था। मैं तो अपने जिम्मेदार अफसर, सहयोगी मंत्री और प्रेस वालों की इत्तिला के आधार पर कह रहा हूं, जिन मंत्री जी की कार को घेरा गया और डेढ़, २ घंटे तक उनको कैद रखा गया और जिनको छुड़ाने के लिये लड़कियों के छोटे से फोर्स को हुक्म दिया गया जिस में थोड़ी सी छीनाझपटी हुई और यह मैं जिनके सामने घटना घटी उनके चश्मदीद बयान की बुनियाद पर कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष--

मैं एक बात कहना चाहूंगा मैंने पहले भी कहा था कि इस पर जिन की शिकायत है मैं उनको भी सुनना चाहता हूं और जिनके खिलाफ है उनको भी मौका देना चाहता हूं और उनके अलावा अगर कोई और विशेष बात कोई और १ या २ माननीय सदस्य कहना चाहें तो मैं उन को भी इजाजत दे सकता हूं लेकिन इस पर अधिक समय लगाना अनावश्यक होगा।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--

अध्यक्ष महोदय, आज एक बड़ा अहम प्रश्न हमारे सामने है जो महिलाओं से संबंधित है। प्रश्न यह है कि माननीय मुख्य मंत्री जी के मकान के सामने लाठीचार्ज हुआ या नहीं हुआ, उन के चोटें आई या नहीं आईं। इस पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में केटेगारिकल बातें कही थीं। कहते हैं कि महिलाओं पर लाठी चार्ज नहीं हुआ। दूसरा बयान है कि महिलाओं के साथ कोई अभद्र व्यवहार नहीं हुआ। अब उनके बयान से एक बात स्वयं सिद्ध है कि गुत्थमगुत्था हुई चाहे वह औरतों औरतों में ही हुई हो। कल और आज के बयान में फर्क हो सकता है, मैं नहीं समझता कि क्यों है। लेकिन जान बूझकर वह लांछन नहीं है। लेकिन कल की बात से आज की बात में अन्तर आ गया है। माननीय मुख्य मंत्री जी अपने बयान को तो 'हेयर-से' पर आधारित करते हैं। एक मंत्री जी जो उनके सहयोगी हैं उनकी बात को वह मानते हैं और एक पुलिस अधिकारी जो वहां मौजूद थे उनको कहते हैं कि उन्होंने मुझे ऐसा ही बताया जो शायद डी० आई० जी० थे। बिना मेजिस्ट्रेट के आर्डर के पुलिस कभी लाठीचार्ज नहीं करती और इस तरह मैजिस्ट्रेट भी उसमें नत्थी होता ही है यह प्रशासन वाले और जो प्रशासन से संबंधित रहे हैं वह सब जानते हैं कि ऐसे अवसरों पर कौन किस तरह से नत्थी होता है और जनता के नेता लोगों से कहा जा रहा है कि जिनका इस गुनाह में हाथ है उनसे उन्होंने मुख्य मंत्री जी ने पूछा....

एक सदस्य--

प्रेस वालों की भी बात उन्होंने कही।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--

ठीक है मैं प्रेस की भी बात कहता हूं। प्रेस के संबंध में मैं इतना ही कहूंगा कि प्रेस को मैं अपने और सरकार के बीच में लाना नहीं चाहता और इनवाल्व नहीं कराना। जो कुछ अखबारों में छपा वह मौजूद ही है।

श्री अध्यक्ष--

आप ज्यादा विस्तार में न जायं।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--

आज मुख्य मंत्री जी के बयान के विषय में मैं यही कहूंगा कि जो चोटें हैं उनके बारे में अस्पताल की रिपोर्ट गवाह है, वह कहते हैं कि यह कैसे साबित है कि वह चोटें किसी हथियार

से आई हैं, अस्पताल की रिपोर्ट में लिखा है कि गहरी चोटें आई हैं और वह किसी हथियार से ही संभव हो सकती हैं और इस का अन्दाजा लगाया जा सकता है। अगर यह बयान गलत है और चोटें लाठी से नहीं लगीं तो यह भी मालूम हो जायगा कि किस चीज से लगीं या नहीं लगीं। वह कहते हैं कि लाठियों का प्रयोग नहीं हुआ और अस्पताल कहता है कि वह चोटें ऐसी हैं कि जो किसी हथियार से ही संभव हैं और उन पर पट्टी बंधी है प्लास्टर चढ़ाया गया। यह कहते हैं कि खाली कपड़े महिला पुलिस से छीनझपट और हटाने में फटे हैं लेकिन बहुत ही दुख और शर्म की बात है कि क्वीन मेरी अस्पताल में एक बहिन के गर्भ गिरने से ब्लीडिंग हुआ और इसका क्वीन मेरी अस्पताल गवाह है लेकिन मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि खाली थोड़ी ही आपसी खींचतान रही। जैसे माननीय चरण सिंह जी को माननीया राजेंद्र कुमारी जी की बात सुनने के बाद तकलीफ हुई, मैं समझता हूं कि सारे प्रदेश की जनता को भी उसी प्रकार से अपने माननीय मुख्य मंत्री के बयान को सुनकर हुयी होगी जिसमें उन्होंने महिलाओं के साथ हुई दुर्घटना को कबूल नहीं किया है।

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एक दुखद घटना को हमारे कांग्रेसी दोस्तों ने बहुत गलत ढंग से मिसयूज किया और उसको एक विशेषाधिकार का प्रश्न बनाकर उन बहनों के साथ जो न्याय होना चाहिये था, वह न होकर इसको एक कंट्रोवर्सी का ईशू बना दिया।

श्री अध्यक्ष--

मैं केवल यह चाहता हूं कि आप केवल इस पर रोशनी डालें कि यह विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है अथवा नहीं ?

आचार्य दीपंकर --

श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि अभी जैसा कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि उन बहिनों में कुछ बेहोश भी हो गयी थीं और उनको अस्पताल में भेजा गया तो यह बात अपनी जगह इस बात को साबित करती है कि उन बहनों की ऐसी हालत पुष्पवर्षा से नहीं हुयी बल्कि कुछ उसमें ऐसी स्थिति अवश्य हुयी है, चाहे पुलिस ने की हो या चाहे महिला पुलिस ने की हो, उनके साथ अवांछनीय घटना अवश्य हुई है जिनकी वजह से उनको अस्पताल भेजना पड़ा लेकिन जब हमारे माननीय मुख्य मंत्री इस बात को कहते हैं कि उनके निवासस्थान पर यह बात नहीं हुई या किसी प्रकार का लाठी चार्ज नहीं हुआ तो मैं नहीं समझता हूं कि इस प्रश्न को विशेषाधिकार की परिधि में लाकर इनका कौन सा राजनीतिक उद्देश्य सिद्ध होता है और इन महिलाओं को इससे कौन सी राहत मिल पायेगी। इसलिये मैं इसको विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं समझता हूं।

वन मंत्री (श्री राम चन्द्र विकल) --

श्रीमन्, आपके द्वारा मैं माननीया राजेंद्र कुमारी जी से एक बात पूछना चाहता हूं और वह यह कि इस घटना को हुए काफी समय हो गया है और यह सदन भी काफी दिनों से बैठ रहा है, तो ये जो कपड़े बहिन जी ने सदन में फेंके हैं, उन्हें पहले मिले थे या आज ही मिले हैं ? वे यह भी स्पष्ट करने का कष्ट करें कि उन्हें ये कपड़े कहां से मिले और कब मिले ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री अध्यक्ष--

माननीय उदित नारायण जी, अभी माननीय नेता सदन ने बताया कि आप वहां पर मौजूद थे। इसलिये आपको सुनना भी आवश्यक है। कृपया आप बतायें कि वहां पर आपने क्या देखा ?

श्री धर्मवीर---

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष---

एक व्यवस्था आप पहले भी उठा चुके हैं । उस पर मैंने आपको बताया कि वह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । नियमों में यह दिया हुआ है कि अगर माननीय सदस्य कोई व्यवस्था उठायें और वह व्यवस्था न हो तो अध्यक्ष को यह अधिकार है कि पूरे सत्र में उनको व्यवस्था उठाने की अनुमति न दें ।

राजस्व मंत्री (श्री उदित नारायण शर्मा)---

श्रीमन्, जिस दिन से यह घटना हुई तब से आज तक एक विवाद की चर्चा बनी हुई है । इसके पहले भी मैंने इस स्थिति को प्रेस वक्तव्य से स्पष्ट करने की कोशिश की और वह सब के सामने आयी । परसों की बात है कि एक माननीय सदस्य, श्री ठाकुर फूल सिंह जी, जिनका मैं बहुत आदर करता हूं उन्होंने भी यहां कहा कि महिलाओं के ऊपर लाठी चार्ज बहुत बुरी बात है । मुझे दुख इस बात का है कि और लोग कहते तो ठीक है लेकिन चूंकि उन को यह घटना देखी हुई नहीं है और मैं मौजूद था, उस के पश्चात् जब इतनी कंट्रोवर्सी चल रही थी तो मैं चाहता था कि मेरे ऊपर इतनी कृपा कर के मुझ से पूछ लेते । वैसे तो मैं प्रेस के जरिये से कह चुका था । मान्यवर, उस रोज की जो घटना हुई थी उस घटना का जिस तरह से महिलाओं का आदर करके मैंने बरदाश्त किया था शायद कोई दूसरा व्यक्ति बरदाश्त नहीं करता । मैंने वहां पर पुलिस को मैजिस्ट्रेट को मना कर दिया था कि महिलाओं को कुछ न कहो । मैंने ड्राइवर को मना कर दिया था कि महिलायें तुम को अगर अन्दर न आने दें तो न आओ । मैंने सब महिलाओं से यह कह दिया था कि आप को जरा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है । जब तक आप घेरे रहेंगी तब तक मैं खुद निकल कर यहां से नहीं जाऊंगा ।

श्री अध्यक्ष---

मेरे सामने यह प्रश्न है कि लाठी चार्ज हुआ कि नहीं ।

श्री उदित नारायण शर्मा---

वही कह रहा हूं । मैंने इसलिये कहा था कि यह सब इसलिये है कि आप मेरी बहनें और मातायें हैं इसलिये कोई दुर्व्यवहार नहीं होगा । होम गार्ड की लड़कियां थीं जो उम्र में प्रदर्शन करने वाली महिलाओं से छोटी ही थीं, मुश्किल से २० साल से ज्यादा नहीं होंगी । दो बार उन्होंने आने की कोशिश की और दोनों मर्तबा महिलाओं ने धक्का मार कर नहीं हटाया, बल्कि चोटें मारीं । उस के बाद तीसरी बार होम गार्ड महिलायें आयीं और उस वक्त बाकायादा जो महिलायें घेरे हुयी थीं उन से उन्होंने कहा और संघर्ष करने के बाद वह वहां पहुंची । उस बीच में उन लड़कियों को उन्होंने मारा और उस संघर्ष में जो कुछ भी चोट आयी उस में आयी । उस के बाद मुझको निकाल कर ले गयीं । इस में जरा भी संदेह नहीं है कि वहां पर किसी प्रकार का लाठी चार्ज महिलाओं पर नहीं हुआ ।

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी जो कुछ भी बातचीत हो रही थी उस के दौरान में यह भी कहने की कोशिश की जाती है कि हम एक पक्ष के हैं, वह दूसरे पक्ष के हैं । लेकिन निःसंदेह वहां पर प्रेस के लोग थे जो निष्पक्ष थे, जो उसी वक्त मुझ से मिले और उसी वक्त अपनी रिपोर्ट डिक्टेट करायी गयी और वह जानते होंगे कि किसी प्रकार का लाठी चार्ज किसी महिला पर नहीं हुआ । यह जो कपड़े पड़े हुये हैं मान्यवर, अच्छी तरह से जानते हैं, कानून को जानते हैं, शहादत को जानते हैं कि कौन सी हुआ करती है और कपड़े फटे इसलिये यह जरूरी है कि लाठी मारी गयी है, ऐसा तर्क भी नहीं सुना है । सर्कमस्टांशियल

ऐबीडेंस का यह नियम है कि वह तभी मानी जाती है जब कि उस की कोई दूसरी बात न कही जा सके। आप जानते हैं कि कपड़े कैसे फटा करते हैं, चोटें कैसे आती हैं। पुलिस के लाठी चार्ज से ही कपड़े फटे हों, अगर ऐसा हो तो जरूर यह सिद्ध कर देंगे कि लाठी चार्ज हुआ। अगर दुनिया में कोई दूसरा तरीका कपड़े फटने का न हो तब यह सिद्ध हो सकता है, कि लाठी चार्ज हुआ। जो लोग मेरी बात पर ताज्जुब करते हैं वह नहीं जानते हैं कानून की ए, बी, सी, डी- और मेरे मुंह में हाथ लगाने की कोशिश करते हैं। यहां पर कोई भी माननीय सदस्य ऐसा नहीं है जो यह कह सके कि उन्होंने खुद इस बात को देखा है। मैं यह कह रहा हूं और मैंने इस बात को देखा है।....

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री को मैंने सुना . . .

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्या, आप कोई बात एक शब्द में जो रह गयी है, कहना चाहें तो कह सकती हैं लेकिन आप जवाब नहीं दे सकतीं।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

यहां यह कहा गया कि लाठी चार्ज हुआ ही नहीं और बड़े जिम्मेदार व्यक्तियों के द्वारा यह बात कही गयी, बड़े तर्क उपस्थित किये गये। मैं इतना ही कहना चाहती हूं जब मुख्य मंत्री भाषण कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि लाठी चार्ज हुआ ही नहीं। लेकिन अन्त में एक छोटा सा संटेंस यह भी कहा कि अगर कोई ऐसी बात की जानकारी दी जायगी तो वह उसकी जांच करेंगे, ऐसा कुछ मुझे सुनाई पड़ा था। तो मैं क्या यह समझूं इतनी बात के बाद कि जिन लोगों के ऊपर लाठी चार्ज हुआ था उनका यह कहना है कि वे इस सदन में नहीं आ सकते। लेकिन मैंने इन आंखों से उन चोटों को देखा है और उनको चोट लगी है। उन्होंने अपना बदन खोल कर दिखाया है कहां कहां लाठियों की चोटें आईं। वह पी० ए० सी० की लड़कियों को लाठियों से चोटें हो सकती हैं लेकिन उनके चोटें लगी इसको मैं पूरी गम्भीरता से और जिम्मेदारी के साथ इस सदन में जिम्मेदार सदस्य होने के नाते कह सकती हूं आपके द्वारा मुख्य मंत्री से। मुझे बड़ा दुख है कि मैं माननीय मुख्य मंत्री का बड़ा आदर करती थी, उनको बड़ा सिद्धांतवादी आदमी समझती थी और यह समझती थी कि यह जो हमारी संस्कृति तथा सभ्यता के खिलाफ इस राज्य में हुआ है उसकी न्यायिक जांच होगी। हो सकता है कि आप इसको विशेषाधिकार में दें या न दें लेकिन हमारी भावनाओं को समझते हुये हम यह जरूर चाहेंगे कि उस पर वह पुनर्विचार करें। अधिकारी तो अपनी बात को छिपाते हैं। मैं उत्तर प्रदेश की महिलाओं की तरफ से मांग करती हूं कि मुख्य मंत्री जी इसकी न्यायिक जांच करायें।

श्री चन्द्र शेखर--

विशेषाधिकार की सूचना का नोटिस है। यह सदन की हमेशा मान्यता रही है कि सदन के सामने और अध्यक्ष की तरफ इशारा करके कोई कपड़ा अथवा कागज न फेंका जाय और माननीया राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी ने ऐसा करके सदन का अपमान किया है। (शोरगुल)

श्री अध्यक्ष--

मैं कुछ बात आज माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं। मैं यह देख रहा हूं कि दोनों तरफ से व्यवधान करने की क्षमता लोगों में है। अगर यह परिपाटी डालना शुरू कर दिया गया और सारे लोग कोई अनुचित बात हो जाय तो उसकी शिकायत करना शुरू कर दें तो न मेरे लिये संभव है यह निर्णय करना कि कौन अनुचित बात कर रहा है और न मैं उसे रोक

[श्री अध्यक्ष]

सकूंगा चाहे वह उधर से हो अथवा इधर से हो । इसलिये मैं बड़ी नम्रता से प्रार्थना करूंगा कि अगर जनतंत्र प्रणाली का आदर करना है तो इस सदन में शांति रखने में आप लोग सहयोग दें। इससे सदन का समय भी बचेगा और सारी बातें आसानी से हो सकेंगी ।

अभी माननीय चन्द्र शेखर जी ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया । मैं समझता हूं कि मेरी कुछ कठिनाई है । माननीय सदस्य थोड़ा कष्ट और कर लिया करें। एक व्यवस्था चल रही है और उसी में दूसरी व्यवस्था उठा दो और वह भी उस विषय पर जिस विषय पर मैं अपनी व्यवस्था दे चुका । मैं उस कंडक्ट के बारे में कह चुका ।

श्री चन्द्र शेखर---

मैंने विशेषाधिकार की नोटिस दी थी । व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया था ।

श्री अध्यक्ष---

विशेषाधिकार की जो आपने सूचना दी वह प्रश्न अब रहता नहीं । मैं उसके बारे में कह चुका हूं कि यह काम अनुचित हुआ । माननीया सदस्या ने तो यह कह दिया कि उनका यह मंशा नहीं था । मैंने यह कहा कि इधर को कपड़े फेंके जाना अनुचित था । अब मैं एक बात जानना चाहूंगा। अभी कल एक माननीय सदस्य शिकायत कर रहे थे कि यहां पर सभी सदस्य बराबर हैं। सिद्धांत ठीक है । महिमा और गरिमा आप लोग एक दूसरे की रखना चाहें तो रखें लेकिन क्या आप यह चाहेंगे कि इस पर मैं और वाद विवाद करूं। फिर मैं बाध्य होऊंगा कि इधर और उधर के लोगों को सुनता रहूं । ठीक है मैं सदन के हाथ में हूं ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

अध्यक्ष महोदय, मेरी कोई इच्छा नहीं थी कि सदन का या श्रीमन् का समय इसके लिये लेता लेकिन हमारे मित्र पंडित उदित नारायण जी ने कुछ ऐसी बातें कह दीं कि जिनके संबंध में मैं श्रीमान् और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जहां तक नियम ६५ का प्रश्न है ग्राह्यता के संबंध में शर्तें—उनमें से (क) की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। "ऐसे मामलों में सदन का हस्तक्षेप आवश्यक हो ।" इस संबंध में बहुत बड़ी वक्तृता न दे कर केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि इससे कोई अधिक दूसरा प्रश्न सदन के लिये आवश्यक नहीं होगा .....

श्री अध्यक्ष---

मैं इस बात पर सिर्फ रोशनी चाहता हूं कि कैसे मैं मान लूं कि लाठी चार्ज हुआ । इसके लिये प्राइमा फेसी क्या बातें हैं ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

मैं बहुत ही संक्षेप में कहूंगा । आज मुख्य मंत्री जी ने एक चीज स्वीकार कर ली कि उनके घर के आसपास या घर के सामने यह घटना हुई। दूसरे यह कि माननीय उदित नारायण जी ने यह स्वीकार कर लिया कि उस घटना में कुछ ऐसी बात हुई जिससे कि चोटें आयीं । तीसरे यदि माननीय मुख्य मंत्री जी इस सदन के माननीय सदस्य हैं तो मुझे कृपा पूर्वक यह कहने की अनुमति दें कि माननीया राजेंद्र कुमारी जी भी कम माननीया नहीं हैं । और यदि माननीय मंत्री जी की बात स्वीकार की जा सकती है तो माननीया राजेन्द्र कुमारी जी की बात भी स्वीकार की जानी चाहिये। मैं आपके समक्ष केवल एक ही बात कहता हूं। उन्होंने यह कहा कि स्त्रियों के शरीर पर चोटों के निशान उन्होंने देखे हैं ।

श्री अध्यक्ष---

कहां देखा ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

माननीय उदित नारायण जी बहुत अच्छे वकील हैं। उन्होंने सर्कमस्टांशल एविडेंस के संबंध में जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की मान्यतायें हैं उनका बखान किया लेकिन उन्होंने ब्लाउज फटने की बात तो कही लेकिन वह कृपापूर्वक यह बतला दें कि स्त्रियों के शरीर पर चोटों के निशान उनका प्लास्टर किया जाना, यह किस चीज का प्रमाण है?

श्री अध्यक्ष---

मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि बजाय उनसे पूछने के मुझे बताइये कि यह जो चोटें लगीं तो किस बात से यह समझा जाय कि ये चोटें लाठी चार्ज के फलस्वरूप लगीं।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

श्रीमन्, जो शरीर पर चोटों के निशान हैं और जो कि प्लास्टर हुये हैं वे डायरेक्ट वायलेंस के अलावा और कोई चीज नहीं हो सकती है और लाठी या ऐसे शस्त्र के अलावा नहीं हो सकती हैं जो ऊपर से बरसाये जायं। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि यह ऐसा मामला है जिसको विशेषाधिकार समिति के सम्मुख रखा जाना चाहिये।

श्री नवल किशोर (जिला बरेली)---

अध्यक्ष महोदय, यह जो २३-२४ महिलायें अस्पताल में दाखिल हुयी थीं उनको मैं भी देखने गया था तो उस समय ६ महिलायें मौजूद थीं। मेरी दरख्वास्त यह है कि आप अपने संतोष के लिये मेडीकल रिपोर्ट्स मंगा लें तो आपको यकीन हो जायेगा। उनके जिस्म पर नीले लम्बे निशान थे। वे या तो बेंत से पड़ सकते हैं या लाठी से पड़ सकते हैं। मुझे एक ही बात कहनी है कि मैं अपनी जगह पूरी तौर कन्वींस हूं कि उनके लाठियां पड़ी या बैटन मारे गये क्योंकि उनके जिस्म के निशान नीले पड़े हुये थे। दूसरी बात यह है कि माननीय मुख्य मंत्री मेडीकल रिपोर्ट को हाउस के सामने पेश कर दें तो मुझे विश्वास है कि आपको भी विश्वास हो जायेगा।

श्री राजा राम ---

अध्यक्ष महोदय, मुझे केवल दो बातें सदन के सामने रखनी हैं। घटनास्थल को प्वाइंट आउट करने का सवाल होता है तो ब्लड लेकर उसको एक्जामिन कराना होता है। लेकिन हमारे साथियों के पास उसको साबित करने के लिये कोई सबूत नहीं है। अगर उनके पास ब्लड होता तो वे एक्जामिन कराने के लिये जरूर भेजते।

श्री अध्यक्ष---

आप भाषण मत दीजिये। मैं आपको केवल एक मिनट दे सकता हूं।

श्री राजाराम---

उनके पास न तो ब्लड है और न किसी के पास एक्जामिन करने के लिये भेजा गया है। दूसरी बात यह है कि चोटें कैसे आईं। उसके तरीके होते हैं। जैसा कि माननीय शर्मा जी ने बताया था। इनके पास कोई सबूत नहीं है कि लाठियों से चोटें आईं।

(डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी जी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष---

मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। आप तीन बार खड़ी हो चुकी हैं।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

अध्यक्ष महोदय, मुझ से प्रमाण मांगा जा रहा है।

श्री अध्यक्ष--

अभी उसका प्रश्न नहीं है।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

आखिर में मुझे प्रमाण के लिये समय देंगे ?

श्री अध्यक्ष--

अभी आप कृपया बैठिये। मुझे आवश्यकता होगी तो मैं बुला लूंगा।

(श्री जे० एस० चौधरी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--

श्रीमन्, मैं आपका ध्यान नियम ६६ की तरफ दिलाना चाहता हूं। उसमें एक किन्तु लगा हुआ है कि "यदि अध्यक्ष आवश्यक समझें तो अपना निर्णय देने के पूर्व संबंधित सदस्य तथा अन्य सदस्यों को सुन सकेंगे" तो सारा अधिकार आपको दिया गया है। मान्यवर, सदस्य खड़े हो जायं और आप समय दीजिये। इसके लिये आप बाध्य नहीं हैं। यदि अपनी सुविधानुसार आप आवश्यक समझें तब यह आवश्यक होगा। जितना विवाद हो चुका है। (व्यवधान).....

श्री अध्यक्ष--

माननीय रामनारायण त्रिपाठी ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया मैं यह समझ रहा था कि कुछ कोई ऐसी बात होगी जिससे मेरी नयी जानकारी होगी। इसमें साफ लिखा है कि यदि मैं चाहूं तो सुन लूं। मेरी बिना इच्छा के कोई बोल नहीं रहा है।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)--

मेरा एक दूसरा व्यवस्था का प्रश्न है। मुझे इस बात में कोई आपत्ति नहीं है कि आप जितना चाहें माननीय सदस्यों को बुलायें और उधर से बुलायें परन्तु एक व्यवस्था आपसे स्पष्ट चाहता हूं जब इधर से कोई सज्जन बोलने खड़े होते हैं तो उधर के माननीय सदस्य इतना शोरगुल करते हैं जिसकी हद नहीं होती है। (व्यवधान) देख लीजिये, श्रीमन्, आप उनको कुछ न कह कर दोनों पक्षों को कहने लग जाते हैं। तो ऐसी व्यवस्था करें कि जिस समय उधर से शोर हो तो आप निश्चित रूप से यह कहें कि उधर से लोग व्यवधान कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग शोर नहीं कर रहे थे और आप कह रहे थे कि दोनों ओर से व्यवधान करने की क्षमता है। अगर आप समझते हैं कि दोनों ओर व्यवधान करने की क्षमता है, तो हम व्यवधान करना शुरू कर दें और देखलें कि हममें व्यवधान करने की कितनी क्षमता है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप माननीय कांग्रेस के सदस्यों को रोकें। ऐसा न हो कि वे विरोधी दल के अधिकार का दुरुपयोग करें और हम लोगों को उत्तेजित करें। यह व्यवस्था मैं आपकी चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

जो विषय माननीय हरीशकुमार गंगवार ने उठाया है यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं था लेकिन सदन में व्यवस्था रहे, उससे संबंधित अवश्य है। मुझे बड़ा खेद होता है। जब समय-समय पर माननीय सदस्य नियमों का उल्लंघन करके खड़े हो जाते हैं और दूसरी तरफ से शिकायत शुरू हो जाती है, यह ठीक है कि इधर से बहुत जोर से हल्ला होता है, मैंने इधर से भी हल्ला सुना, उधर से भी सुना, किसी समय इधर से होता है, किसी समय उधर से होता है, तो मेरे लिये यह कहना कि किधर हल्ला हुआ यह शोभा नहीं देता है। माननीय सदस्य की कार्यवाही चलने में सहयोग दें और यह इसी प्रकार हो सकता है कि जो माननीय सदस्य खड़े हों अगर उनका गलत व्यवहार हो, तो मेरे ऊपर छोड़ दें। (व्यवधान) कृपा करके आप आक्षेप न करें।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन्, आपके सामने एक ही सवाल है कि यह चोटें किस हथियार से आयी हैं। इसके जानने के लिये माननीय सदस्या मेडिकल रिपोर्ट जब तक आपके सम्मुख नहीं प्रस्तुत कर देती हैं तो आपके सामने समस्या बनी रहती है कि ये चोटें कैसे आयीं। इसलिये इस कार्यवाही को आप स्थगित रखें और अपनी व्यवस्था तब तक न दें जब तक मेडिकल रिपोर्ट न आ जाय।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

चार लाइनें मैं पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। घायल महिलाओं को देखा। अमानुषिक, पाशविक अत्याचार हुआ। पटक पर पी० ए० सी० के जवान ऊपर पेट पर कूदते रहे हैं। अधिकांश को आन्तरिक व मर्म स्थान पर चोटें हैं। ये लोग मिलना चाहती थी तो कह दिया चरण सिंह ने बहुत दिन हराम का खा लिया अब घर जायें।"

श्री अध्यक्ष—

यह किसने लिखा है?

श्री सुरेन्द्रविक्रम—

मेजर रंजीतसिंह, एम० पी० जनसंघ के हैं (व्यवधान) ....

श्री अध्यक्ष—

मैं इस पत्र को हाउस में रखने की इजाजत नहीं दे सकता।

(डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

राजेन्द्र कुमारी जी, मैंने, आपसे कई बार कहा कि अब आप खड़ी मत होइये, मैं अब आपको समय नहीं दे सकता हूं। आखिर, आप क्या कहना चाहती हैं?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

मैं केवल इतना ही कहना चाहती हूं कि अभी आपने यह प्रश्न उठाया कि लाठीचार्ज हुआ या नहीं? घटना घटी या नहीं? तो इसे विशेषाधिकार का प्रश्न समझा जाये या नहीं। तो मैं इसके प्रमाण के लिये मेडिकल रिपोर्ट, डाक्टरी रिपोर्ट और दूसरे प्रमाण आपके सामने आपके कक्ष में आकर रखूंगी तब तक आप इस पर अपने विचार स्थगित रखें।

श्री गोविन्द नारायण तिवारी (जिला जालौन)—

आप कैसे मान लें कि लाठीचार्ज हुआ या नहीं? उधर से अभी एक सज्जन ने कहा कि प्लेस आफ इंसीडेंट का पता नहीं, ब्लड स्टेन नहीं लिये गये यानी घटना का कोई प्रमाण नहीं है। किन्तु मेरा निवेदन है कि इसका प्रमाण है माननीय उदितनारायण शर्मा जी का स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि मेरे सामने इस प्रकार की घटना घटी तो प्लेसट आफ अकरेंस तो पता है वह प्रमाणित है। और जो दूसरी बात कही जाती है उसके प्रमाण में उनके फटे हुये कपड़े, खून से लथपथ कपड़े, सातो फोटो हैं जो काफी प्रमाण हैं। प्रमाण में मेडिकल रिपोर्ट सातों महिलाओं की है। चौधरी चरण सिंह का खुद का बयान कि उनका स्टेटमेंट उदितनारायण शर्मा के स्टेटमेंट पर आधारित है। फिर उदित नारायण शर्मा का भी स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने अनइक्वोकली इसे डिनाई नहीं किया है। इन कारण से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लाठी चार्ज हुआ है या नहीं, यदि हुआ है तो प्राइमा-फेशी इसे मानकर आप विशेषाधिकार समिति में इसे भेज दें। शर्मा जी का हाफ-हार्टेडली डिनायल करना,

महिला पुलिस का घटनास्थल पर होना, पुलिस की मौजूदगी, घनास्थल पर चोटें, ब्लड स्टेन सभी तो हैं, इसके अतिरिक्त और कौन सी जरूरत है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि यदि इस मामले में दोनों सज्जन अदालत में पहुंच जायें तो इन्हीं शहादत पर उन्हें सजा भी दिलाई जा सकती है।

श्री अध्यक्ष—

इस पर अब मैं कोई और बात नहीं सुनना चाहता हूं। (श्री उदित नारायण शर्मा के खड़े होने पर) आप शर्मा जी अब क्या घटनास्थल के बारे में कोई नई बात बताना चाहते हैं जो पहले बताना भूल गये थे? यदि कोई तथ्य रह गया हो तो बतावें, नहीं तो मैं समय नहीं दे सकता हूं। अब १—१५ का समय हो चुका है, इससे अधिक समय इसके लिये संभव नहीं होगा।

श्री भैरवदत्त धूलिया (जिला गढ़वाल)—

इस विषय पर जो वाद-विवाद हुआ है उस पर मैं एक तथ्य देना चाहता हूं, यदि आप क्षमा करें.....

श्री अध्यक्ष—

देखिये, तथ्य तो वह रख सकता है जो घटना स्थल पर हो, आप वहां पर नहीं थे, इसलिये नहीं रख सकते।

श्री जी० एस० चौधरी (जिला मेरठ)—

पहले तो मैं श्रीमन्, आपकी सहनशीलता के लिये आपको मुबारकबाद देता हूं कि आप इतने शोर में सदन का काम चला रहे हैं? तो एक शेर अर्ज कर दूं.....

श्री अध्यक्ष—

मैं इन सब बातों की अब अनुमति नहीं देता। आखिर एक सीमा विशेषाधिकार पर होगी। मैं किसी भी माननीय सदस्य को अब बोलने की अनुमति नहीं दूंगा। कितने माननीय सदस्य इस पर बोलते रहेंगे?

श्री नवल किशोर—

मैं श्रीमन् एक विशेषाधिकार की सूचना देता हूं। आज के 'पायनियर" में माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक बयान कौंसिल के अन्दर दिया है फाइलों के बारे में दिया है वह बिलकुल गलत है। मैं उनके खिलाफ विशेषाधिकार अवहेलना की सूचना देना चाहता हूं।

श्री हरीश कुमार गंगवार—

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जो माननीय सदस्य विशेषाधिकार की सूचना देना चाहें वह यह तो कह सकते हैं कि किसके खिलाफ वह विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना देते हैं लेकिन यह पूरा भाषण नहीं दिया जा सकता।

श्री अध्यक्ष—

हरीश कुमार जी, अगर सूचना दी जायगी तो विस्तारपूर्वक भाषण तो नहीं दिया जायगा लेकिन यह तो सांकेतिक रूप में बताया ही जायगा कि वह काहे की सूचना दे रहे हैं।

श्री हरीश कुमार गंगवार—

क्या आप अपनी व्यवस्था जो विशेषाधिकार का प्रश्न माननीया राजेंद्र कुमारी जी की तरफ से उठाया गया है उस पर सुरक्षित रख रहे हैं या व्यवस्था दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

मैंने उसको सुरक्षित रखा है। बाद में दूंगा।

विधान सभा सदस्य, श्री राजबली पर कथित आक्रमण

गृह उप मंत्री (श्री बस्तम सैटिन)—

अध्यक्ष महोदय, २२ जून, १९६७ को निषाद मंदिर, अयोध्या का वार्षिकोत्सव था जिसमें सदा की भांति भंडारा भी होना था। श्री राजबली यादव, सदस्य विधान सभा ने इस अवसर पर निषाद मंदिर में 'धरती हमारी है' नामक ड्रामा का आयोजन किया। श्री सीताराम निषाद, वकील ने कोतवाली, अयोध्या में इस ड्रामे के आयोजन की सूचना २०–६–६७ को दी थी और समारोह में शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिये पुलिस व्यवस्था का अनुरोध किया था। अतः ड्रामे के स्थान पर एक वर्दी धारी सिपाही तथा दो सिपाही सादे कपड़ों में तैनात कर दिये गये थे। एक सब इंस्पेक्टर को भी भीड़ पर निगाह रखने के लिये आदेश दे दिये गये थे।

ड्रामा शुरू होने के पहले श्री राज बली यादव ने एकत्रित जनसमूह को भाषण देना प्रारम्भ किया। यह भाषण लगभग घंटाभर चला। इसमें श्री यादव ने राजनैतिक पार्टियां, पुलिस तथा सामान्य प्रशासन की आलोचना की। इसके उपरान्त उन्होंने हनुमान गढ़ी के साधुओं एवं उनके कार्य कलापों की आलोचना करना शुरू किया। इस पर लगभग १०–१२ व्यक्ति, जो अनुमान किया जाता है कि हनुमान गढ़ी के साधू इत्यादि थे, मंच पर चढ़ गये और उन्होंने श्री राजबली यादव पर हमला करके उन्हें चोटें पहुंचाई और फिर भाग गये। श्री यादव को कुल ११ चोटें आई। श्री यादव की पार्टी के ४ अन्य व्यक्तियों को भी कुछ मामूली चोटें लगीं। श्री यादव सदर अस्पताल में भरती कर दिये गये थे और वहां से २४–६–६७ को डिस्चार्ज हुए।

श्री यादव ने इस घटना की रिपोर्ट थाना, अयोध्या पर २३–६–६७ को ००–१५ बजे लिखाई जिसमें उन्होंने हनुमान गढ़ी के बजरंगदास को नामांकित कराया और लिखाया कि शेष १०–१२ व्यक्तियों को देखकर पहचान सकते हैं। इस रिपोर्ट पर धारा १४८/३२४/३२३ भा० दं० वि० के अन्तर्गत एक मुकदमा दर्ज किया गया और जांच प्रारम्भ की गई। बजरंगदास जो घटना के बाद भाग गये थे, पकड़े नहीं जा सके। पुलिस के जांच द्वारा ९ व्यक्तियों के नाम ज्ञात किए और २६–६–६७ को २ व्यक्तियों (लखन दास और अयबर दास) को गिरफ्तार किया अभी जांच जारी है। गिरफ्तारियां शुरू होने के कारण अन्य अभियुक्त जो प्रकाश में आये हैं तथा जो हनुमानगढ़ी के साधू और पंडे हैं, छिप गये हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिये प्रयास जारी है।

श्री यादव ने जो ड्रामे का आयोजन किया था वह निषाद मंदिर के वार्षिकोत्सव के सिलसिले में था यद्यपि ड्रामे के होने की सूचना थी। किन्तु ऐसा कोई संकेत नहीं था कि किसी प्रकार से शान्ति भंग होने की आशंका है। अतः साधारण ढंग से जो पुलिस व्यवस्था आवश्यक समझी गई, की गई। अन्य अवसरों पर भी जब श्री राजबली यादव ने अपने ड्रामे किये थे सामान्यतया १ अथवा २ कांस्टेबल नियुक्त किये गये थे और कहीं भी किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई थी।

अब तक की जांच से इस बात का कोई संकेत नहीं मिला है कि श्री यादव पर जो आक्रमण हुआ वह पूर्व नियोजित था अथवा किसी अन्य विवाद से संबंधित था। श्री यादव का भाषण जो काफी लम्बा था, प्रारम्भ में निर्विरोध चलता रहा। यह घटना आकस्मात उस समय हुई ज्योंही श्री यादव ने अपने भाषण में साधुओं तथा पंडों की कड़ी आलोचना और निन्दा की। श्री यादव द्वारा थाने पर लिखाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी यही कहा गया है।

श्री अध्यक्ष—

मैं इस पर नियम ५१, ५२ की तरह से जो सवाल होते हैं उनकी अनुमति नहीं देता हूं लेकिन यादव जी को अगर कोई विशेष सवाल करना हो तो उसकी इजाजत दे सकता हूं।

श्री राज बली (जिला फैजाबाद)—

मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इस घटना के संबंध में यह बात सरकार की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है उसमें भी यह बात मानी गई है कि श्री सीताराम निषाद ने कोतवाली, अयोध्या में इस बात की लिखित सूचना दी थी कि यहां पर शांति व्यवस्था कायम रखने का इन्तजाम कर दिया जाय। अगर सूचना दी गई तो शांति और व्यवस्था कायम रखने के माने यही होते हैं कि इतने बड़े सांस्कृतिक प्रोग्राम के इन्तजाम में केवल तीन सिपाही भेज दिये जायं जिनमें एक सादी वरदी में और जो दो जैसे मामूली फंक्शन में भेजे जाते हैं? इस घटना के चार दिन पहले, १७ तारीख को क्या मंत्री जी को मालूम है कि पुलिस कप्तान और पुलिस के खिलाफ एक विशाल सभा करके मांग की गयी थी कि पुलिस कप्तान जनता के कार्यकर्ताओं को हमला करके परेशान करता है और मांझे की घटना के संबंध में मांग की गयी थी कि पुलिस कप्तान को फौरन वहां से हटाया जाय। जब पुलिस मंत्री जी वहां गये थे तो उस समय मैंने उनको एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें साफ लिखा है कि मांझा की जमीन के सिलसिले में वहां की पुलिस और गुन्डे मिल कर लोगों को परेशान कर रहे हैं। जब उप मंत्री जी १७ तारीख को वहां गये थे तो क्या मैंने उनके सामने यह मांग नहीं पेश की थी और क्या मैंने यह नहीं कहा था कि यहां का पुलिस कप्तान ही इस घटना के लिये जिम्मेदार है?

श्री रुस्तम सैटिन—

माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक सूचना देने का संबंध है, यह सही है कि निषाद वकील ने वह सूचना दी थी और जब ड्रामा हुआ तब भी सूचना दी थी क्योंकि वहां भीड़ काफी होती है। हमेशा की तरह ही वहां इस बार भी शान्ति व्यवस्था के लिये प्रबन्ध किया गया था। कोई विशेष सूचना मार पीट के बारे में नहीं थी। जैसी सूचना हर बार मिलती थी वैसी ही सूचना इस बार भी मिली थी।

जहां तक मेरे जाने का संबंध है मैं वहां गया था और मांझे की जमीन के लिये वहां काफी विवाद है। उसे मैंने देखा और वहां यादव जी ने पुलिस कप्तान के विरुद्ध मुझ से शिकायत भी की। मैंने वहां के किसानों से बात की तथा दूसरे स्थानों को भी देखा, परन्तु उस स्थान से और इस झगड़े से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई संबंध हो तो वह कचहरी में ही सिद्ध किया जा सकता है।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि जिस समय माननीय यादव जी पर महला हुआ उसके बाद जन मोर्चे के सम्पादक हरिगोविन्द ने एस० पी० को टेलीफोन किया कि सभा में राजबली जी पर इस तरह का हमला हो गया है तो एस० पी० ने कहा कि हमें भी इसकी इंटेलीजेंस के जरिये से सूचना मिली थी कि झगड़ा होने का अंदेशा है, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि वाकई झगड़ा हो जायगा। तो क्या माननीय मंत्री जी के पास ऐसी सूचना है कि एस० पी० को झगड़े की सूचना पहले से थी? यदि नहीं, तो क्या इसकी जानकारी मंत्री जी करायेंगे?

श्री रुस्तम सैटिन—

ऐसी कोई सूचना मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो मैं जानकारी करा लूंगा।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

क्या यह सही है कि जब मंत्री जी वहां गये तो यादव जी ने एस पी० के खिलाफ शिकायत की और यह कहा कि यदि उसका ट्रान्सफर न हुआ तो वह प्रतिशोध की भावना से कुछ कर सकता है? यदि इस प्रकार की सूचना मंत्री जी को दी गयी तो उस पर उन्होंने क्या कार्यवाही की?

श्री रुस्तम सैटिन—

जब मैं वहां गया तो पुलिस के विरुद्ध शिकायतें की गयीं। जहां कहीं भी जाता हूं, इसी प्रकार की शिकायतें होती हैं। उसने प्रतिशोध की भावना से यह किया, अथवा जिन लोगों ने किया वे एस० पी० के उकसाये हुये थे, यह बात इससे निकलती नहीं।

श्री राजबली—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि जो शिकायतें की गयी हैं उनमें जो लोग एक्यूज्ड नहीं थे, जो मुलजिम नहीं थे उनको चोटें लगीं थीं या नहीं ?

श्री रुस्तम सैटिन—

यह बात जो माननीय सदस्य कह रहे हैं यह सही नहीं है। कुछ लोग मुझे दिखाये और कहा कि इनको चोटें लगीं जिससे झगड़े से भी संबंध नहीं था। कुछ मकानों में ले जाया गया जहां सामान उल्टा-पल्टा पड़ा था और लोगों ने शिकायत कि यहां से सामान उठाया गया—यह सही है। मगर उससे यह स्थान काफी दूर है और यह साबित नहीं होता कि कोई संबंध है। इन दोनों को जोड़ कर न देखा जाय।

श्री राज बहादुर द्विवेदी (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि इस मंझा क्षेत्र का जिसका वर्णन किया गया वहां कुछ व्यक्तियों का ऐसा समूह पहुंच गया है जो हमेशा शान्ति व्यवस्था को भंग किया करता है और गरीब किसानों के खेतों और खलिहानों से फसल उठा लिया करता है और उसे किसी राजनीतिक बल का प्रश्रय प्राप्त है ?

*मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)—

यह बात ठीक है कि कुछ जमीन के कब्जे पर झगड़ा है और एक पक्ष का समर्थन हमारे माननीय मित्र एम० एल० ए० साहब कर रहे हैं और उस पर कुछ मुकदमा चल रहा है। उसमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने यह लिखा है गवर्नमेंट को कि एक स्पेशल आफिसर मुकर्रर कर दिया जाय ताकि लैण्ड रेकार्ड आपरेशंस हो जायं। इस पर मुहकमे में विचार हो रहा होगा—उनकी रिपोर्ट ऐसी है। इसके अलावा खादर की जमीन कटती-फटती रहती है तो २ साला सेटिलमेंट चल रहा है। लेकिन इस सब चीजों से इसका कोई वास्ता नहीं है। वह गांव के दूर की बात है। हमारे माननीय मित्र को नाटक खेलने का शौक है तो वहां गये थे। नाटक में खेलने से पहले उन्होंने स्पीच देना शुरू किया। एक घंटे तक दी और उसमें सभी चीजें कह डालीं। लेकिन जब पंडों पर बात कही तो वह बिगड़ गये और उन्होंने अटैक कर दिया—जो आपकी रिपोर्ट से जाहिर है, वह यह है—

"नकल देही हिन्दी वादी"

श्रीमान् इंचार्ज महोदय, कोतवाली अयोध्या, आज मैं अपने पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार विषाद मंदिर, अयोध्या बरबारी टोला में ड्रामा करने के पूर्व भाषण कर रहा था।"

मंदिर का उस रोज कोई फंक्शन था, भंडारा होगा ही और वह नाटक कर रहे थे इस खयाल से कि आदमी ज्यादा आ जायंगे।

"तो मैंने अपने भाषण में जब यह कहा कि गरीबों की रोटी पर कोई धर्म के नाम पर कोई ओझाई के नाम पर, कोई बछिया के नाम पर, कोई हनुमान जी के नाम पर ठगी करते हैं, इसी पर कुछ हनुमानगढ़ी के बैरागी जिनको देख कर पहिचान सकता हूं तथा एक का नाम बजरंगदास है, जो लाठी फरसा से लैस थे मुझको मारने लगे और कहने लगे कि हनुमान जी का नाम क्यों ले रहे हो ? यही कह कर मारने लगे। मैं गिर पड़ा।"

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह रिपोर्ट है। इसमें कहां से पुलिस आ गयी ? कहां से राजनीतिक पार्टियां आ गयीं, यह समझ में नहीं आता।

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)—

मंत्री जी ने कहा कि जो मंझा की घटना थी जिसमें भूतपूर्व जमींदारों और किसानों का झगड़ा था जिसमें एक किसानों के समर्थक है और दूसरे के और कोई होंगे, तो उसका और जो उनका स्थान है उसका कोई संबंध नहीं है, तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उनको सचना है कि मंझा की जिस जमीन पर झगड़ा है उससे संबंधित कुछ महन्त गद्दी के लोग भी हैं ?

श्री चरणसिंह—

मुझे कोई ऐसी सूचना नहीं है। मैंने तो रिपोर्ट पढ़ी है।

श्री अध्यक्ष—

अब मैं आगे कोई अनुमति नहीं दूंगा।

आय-व्ययक की मांगों पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री अध्यक्ष—

अब वित्तीय वर्ष १९६७-६८ के आय-व्ययक पर चर्चा आरम्भ होगी।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—

इसके पूर्व कि इस पर चर्चा आरम्भ हो, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। यह प्रश्न हमारी प्रक्रिया नियमावली के नियमों के पालन से संबंधित है। मैं आपका ध्यान प्रक्रिया नियमावली के नियम १८९ के (क) (ख) (ग) की ओर दिलाना चाहता हूं। इसमें तीन प्रकार के कटौती प्रस्तावों का जिक्र है। इन तीनों खंडों में इस बात का विशेष रूप से वर्णन है कि यह जो कटौती के प्रस्ताव होंगे वे किसी खास घटनाओं से संबंधित होने चाहिये। इस सदन में अकसर देखने में यह आता है कि जब भी अनुदानों पर बहस होती है तो उसमें वही सामान्य वादविवाद होने लगता है जैसा कि बजट के ऊपर हुआ करता है। जो माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखते हैं वे उसको साधारण वाद-विवाद कर देते हैं। आपको यह बताने की आवश्यकता नहीं कि इस विधान सभा का मुख्य कार्य प्रशासन पर नियंत्रण रखना होता है। जब हम कटौती प्रस्ताव में किसी घटना विशेष का उल्लेख करेंगे, तभी सरकार उस ओर कुछ कार्यवाही कर सकेगी। जो स्पेसिफिक इन्सटान्सेज हों, उन्हीं का उल्लेख हो तो मंत्री जी अपने विभागों से संबंधित अधिकारियों से उस विषय में जांच पड़ताल कर सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं होता, एक साधारण वादविवाद होता है तो उससे किसी स्पेसिफिक घटना का पता नहीं चलता और सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर पाती। इससे न मंत्री जी को ही जांच पड़ताल करने का मौका मिलता है और न ही माननीय सदस्य अपने कर्तव्यों का पालन कर पाते हैं। इस संबंध में १९५७ की, ३० जुलाई की इस चेयर पर से दी हुई एक रूलिंग भी है। यह प्रश्न ३० जुलाई, ५७ को यहां उठाया गया था। उस समय माननीय उपाध्यक्ष ने अपनी रूलिंग देते हुये यह कहा था कि कटौती के प्रस्तावों में विशेष शिकायतों का ही जिक्र होना चाहिये और उसी तक बहस सीमित होना चाहिये, इसी से प्रशासन पर कन्ट्रोल हो सकता है। उसी सिलसिले में उन्होंने लोक सभा के अध्यक्ष की रूलिंग का भी हवाला दिया था। लोग सभा के अध्यक्ष ने कहा है—

"I would be failing in my duty if I were not to point out to the Hon'ble member that he ought to make a distinction between the general discussion

on the railway budget and the particular cut which we are now discussing It is not right that the discussion on a particular cut should be turned in to a general discussion of policy....."

आज मान्यवर, अनुदान पर बहस हो रही है। एक मास तक अनुदानों पर ही बहस चलेगी। तो यह सरकार तथा माननीय सदस्य दोनों के लिये हितकर होगा कि वे इसको साधारण वाद विवाद का रूप न दें। पर्टीकुलर इन्स्टान्स ही कोट करें। उसी तक विवाद सीमित रखें ताकि इस विधान सभा का प्रशासन पर नियंत्रण रह सके।

श्री अध्यक्ष—

माननीय रामनारायण त्रिपाठी ने एक नियम की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट किया है। मैं समझता हूं कि सारे माननीय सदस्य उस नियम से अवगत हैं और उस नियम को ध्यान में रखते हुए कार्य कर रहे हैं। मेरा यह ध्यान होगा कि मैं उस नियम के अन्तर्गत ही वाद-विवाद को चलाऊं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—

हम समझते थे कि इस सम्बन्ध में माननीय रामनारायण त्रिपाठी ने जो प्रश्न उठाया है, उसमें उन्होंने एक बात का ध्यान रखा होगा। सदन के अपने कन्वेन्शान्स हैं, अपने तरीके हैं, जिसको पिछले पन्द्रह साल से सदन में रह कर मुझे भी देखने का सौभाग्य रहा है। जिस तरह से कटौती के प्रस्तावों पर विचार विनिमय होते हुए और रूल के होते हुए इस प्रकार का प्रतिबन्ध न रक्खें तो यह बड़ी अच्छी बात सुझाई है। अगर श्रीमन्, आप समय दें तो कल सवेरे इन कटौती के प्रस्तावों की चर्चा के अधीन हम इसको स्पष्ट कर देंगे, जो उपाध्यक्ष पीठासीन उस समय रहे होंगे। माननीय राम नारायण त्रिपाठी उस पद पर बैठ कर उस तरह की वार्ता को स्वीकार करते रहे हैं। वह एक बेजोड़ बात है तथा अलग है। लेकिन विभाग की परिधि में कटौती की सभी बातें आती रही हैं। बहुत से सदस्य जिन्होंने उन्हीं कुर्सी पर बैठ रूलिंग्स सुनी और बराबर बैठने का कुर्सी पर मौका जिन्हें होता रहा है, अगर वे ऐसा करते हैं तो गाड़ी उलट जायेगी जैसे रामनारायण त्रिपाठी जी अभी कटौती के मोशन के बारे में रूलिंग का हवाला दे रहे रहे थे।

श्री अध्यक्ष—

मैंने कल यह कहा कि नियम मौजूद हैं। जिस रूलिंग का माननीय राम नारायण त्रिपाठी जी अभी हवाला दे रहे थे, ३० जुलाई, सन् ५७ की उनकी स्वयं की रूलिंग है। उसमें दिखाया है कि आहिस्ता आहिस्ता हमें इस नियम का अनुसरण करना चाहिये,। हमारी प्रक्रिया में नियम स्पष्ट बन चुके हैं। हम उसी के अन्तर्गत कार्य करेंगे।

आय-व्ययक की मांग के अन्तर्गत लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त धनराशि का प्रस्ताव लाने पर वैधानिक आपत्ति

*श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

माननीय कृषि मंत्री जी जो अनुदान प्रस्तुत करने जा रहे हैं उस पर मुझे एक व्यवस्था का प्रश्न करना है। मेरा यह निवेदन है कि वे बिल्कुल अवैधानिक ढंग से इस मांग को हमारे सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। इसलिये हम उस पर आपकी व्यवस्था चाहते हैं। उस सम्बन्ध में यदि आप सुनना चाहें तो....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

आपकी आपत्ति क्या है ?

श्री कृष्णानन्द राय—

मेरी आपत्ति यह है कि आपका ध्यान बजट मैनुअल जो कि उत्तर प्रदेश का है जो माननीय राज्यपाल.....

श्री अध्यक्ष—

पहिले वे प्रस्तुत कर लें।

(कृषि मंत्री का नाम पुकारे जाने पर)

श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन्, मेरी व्यवस्था सुन लें।

श्री अध्यक्ष—

पहिले वे बोल लें।

श्री कृष्णानन्द राय—

मेरी व्यवस्था इस मांग के प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में है। मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के पृष्ठ ३५ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस बजट मैनुअल का राज्यपाल महोदय निर्माण करते हैं और आर्टिकल १६६ के अन्तर्गत उनको अधिकार रहता है और बजट मैनुअल का स्टेट्यूटेरी रेकगनिशन है। हमारे कहने का मतलब यह है कि बजट मैनुअल जो है, संविधान द्वारा राज्यपाल को अधिकार प्राप्त है। गवर्नमेंट के कुछ रूल रेगुलेशंस बने हुए है। और राज्यपाल महोदय इस बजट मैनुअल को तैयार करते थे जिसके अन्तर्गत बजट उपस्थित किया जाना चाहिये। इसलिये इसकी जो मान्यता है वह असंवैधानिक मान्यता है। श्रीमन्, मैं आपका ध्यान बजट मैनुअल के चैप्टर १० के पृष्ठ ३५ के पैराग्राफ ८६ के बीच की पंक्तियों की ओर ले जाना चाहता हूं। इसमें लिखा है—"च डिमांड फार ग्रांट कनटेंस फर्स्ट ए स्टेटमेंट आफ दि टोटल एमाउन्ट रिक्वायर्ड, फालोड विद डिटेल्स ऐरेंज्ड बाई मेजर हेड्स, माइनर हेड्स, ऐंड प्राइमरी यूनिटस"। इसका मतलब यह हुआ कि जो डिमांड रखी जाती है, वह टोटल एमाउन्ट जो वर्ष भर का होता है उसे रखा जाना चाहिये। श्रीमन्, इसी सम्बन्ध में मैं असेम्बली की प्रक्रिया नियमावली के नियम १८५ (३) की ओर भी आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। उसमें लिखा है—"प्रत्येक मांग में पहले प्रस्थापित पूर्ण अनुदान का विवरण होगा और तदन्तर प्रत्येक अनुदान के अधीन सविस्तार प्राक्कलन का विवरण, जो मदों में बंटा हो, दिया जायेगा"।

श्रीमन्, कंस्टीट्यूशन के आर्टिकल २०२ की ओर भी यदि आप निगाह डालेंगे तो उसमें भी यह स्पष्ट है कि जो वर्ष भर के लिये पूर्ण मांग हो वह इस सदन के सम्मुख उपस्थित की जानी चाहिये। यदि आप इस मांग को देखें तो माननीय मंत्री जी ने बजट लिटरेचर के अन्दर ग्रान्ट नं० १२ के अन्तर्गत १,४८,०६,२०० रुपये की मांग पूर्ण वर्ष के लिये की है, लेकिन इस समय एजेंडे के अनुसार सदन के सामने जो मांग माननीय मंत्री जी उपस्थित करने जा रहे हैं वह है १,१३,१९,२०० रुपये की। इसका क्या कारण है। इसका कारण है कि लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, उसे निकाल कर पूरी मांग में से वे इसे प्रस्तुत कर रहे हैं तो इस सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि जहां तक बजट मैनुअल का सम्बन्ध है, जहां तक भारतीय संविधान का सम्बन्ध है, जहां तक हमारी प्रक्रिया नियमावली के नियमों के सम्बन्ध है, इन सब में यह स्पष्ट लिखा है कि वर्ष भर की पूरी मांग उपस्थित की जानी चाहिये। श्रीमन्, अब तक इतना अवश्य होता रहा है कि आर्टिकल २०६ के अन्तर्गत इस सदन में वोट आन

एकाउन्ट उपस्थित किया जाता था, तो उसको उस परिस्थिति में निकाल कर बची हुई मांग रखी जाती थी। वोट आन एकाउन्ट के बाद फिर बजट उपस्थित किया जाता था और बाद को वह इस सदन के सम्मुख विचारार्थ आता था। जैसे माननीय बहुगुणा जी ने मार्च में वोट आट एकाउन्ट रखा तो उन्होंने उसी पूरे बजट में वोट आफ एकाउन्ट के लिये कुछ धनराशि मांग ली और जो बाकी धनराशि बची उसको उसी बजट में रखा हुआ मान लिया। उसमें नियमों और संविधान की मर्यादा किसी तरह से रह भी जाती है।

लेकिन इस परिस्थिति में क्या हुआ, यह बिलकुल एक नयी परिस्थिति पैदा हो गई। माननीय बहुगुणा जी ने जो बजट रखा पूरी मांग का उसमें कुछ पोरशन उन्होंने वोट आन एकाउन्ट में मांग लिया। लेकिन माननीय मंत्री जी ने पूरा बजट नहीं रखा। मार्च ६७ में जो लेखानुदान पेश किया था उसमें पूरी ग्रान्ट १ लाख ६४ हजार रुपये की थी...

श्री अध्यक्ष—

जो ओट आन एकाउन्ट था वह एप्रोप्रियेट हो गया या नहीं ?

श्री कृष्णानन्द राय—

उसका तो यह तरीका था कि साल भर की मांगें बजट के प्रोवीजन और नियमों के प्रावीजन के अनुसार रख कर यह लिखा जा सकता है कि लेखानुदान में स्वीकृत मांगों में सम्मिलित रहेगा। या माननीय वित्त मंत्री जी अपने भाषण में ही इस बात का जिक्र कर सकते थे कि हमने जो मांग रखी है उसमें जो वोट आन एकाउन्ट में आती है वे इनक्लूड की जाती है। हमारे रूल्स के अन्तर्गत और संविधान की परिधि के अन्तर्गत पूरे वर्ष भर की मांग ग्रान्ट की तरह से रखी जानी चाहिये थी और वोट आन एकाउन्ट की चर्चा उसमें नहीं हो सकती थी। पहले की परम्परा की बात यह है कि माननीय वित्त मंत्री पहले साल भर का बजट रख दिया करते थे। उसमें से कुछ वोट आन एकाउन्ट मांग लिया करते थे और उसका एप्रोप्रियेशन लिया करते थे और जो बच जाता था उसका बाद को एप्रोप्रियेशन कर लिया करते थे। लेकिन इस वर्ष एक विशेष परम्परा की बात हुई। साल भर का बजट मार्च में रखा गया था, उसमें कुछ वोट आन अकाउन्ट रखा गया। माननीय नवल किशोर जी ने एक आपत्ति की थी लेकिन आपने रूलिंग दे दी कि नया बजट रखा जा सकता है। लेकिन साल भर की डिमान्ड को तो बजट को प्रोवीजन के अनुसार रखा जाना चाहिये था। यह जरूर हिन्ट करना चाहिये कि इनक्लूसिव आफ वोट आन एकाउन्ट की मांगों के। लेकिन काट कर रखना, यह नहीं चलेगा। साल भर की कितनी मांग थी, बहुगुणा जी ने कितना एप्रोप्रियेशन कर या था घटती बढ़ती उसके अनुरूप हुई है, यह नहीं यह आना चाहिये था। यह सारा लिटरेचर लेकर हम नहीं बैठे हैं। इसलिये अनुदान जो ये उपस्थित कर रहे हैं यह बजट के स्टैट्यूटरी प्रोवीजन के खिलाफ है और हमारे नियमों के भी खिलाफ है। इनको आदेश दिया जाय कि यह इस मांग को विड्रा करें और नियमों के अनुसार पूरे साल भर की मांग रखें। या ऐसा करें कि मार्च में जो वोट आन एकाउन्ट हुआ उसमें उसका संकेत कर दें कि यह साल भर की मांग उसे इनक्लूड करती है। अन्यथा संविधान का प्रावीजन इससे विनिष्ट होगा।

कृषि मंत्री (श्री जयराम वर्मा)—

श्रीमान् जी, वोट आन एकाउन्ट पेश करके जो मंजूरी ली जाती है। उसके साथ साल भर का विवरण पेश किया जाता है और फिर से जो बजट आता है उनके आंकड़ों में काफी अन्तर हो जाता है। अगर यह हो कि हमको कोई काम नहीं करना है और उस समय हम तय कर लें कि हमको इतनी रकम लेनी है, तब तो उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। अगर माननीय बहुगुणा जी भी आज वित्त मंत्री होते तब भी उस समय के साल भर के विवरण और आज के बजट में काफी अन्तर होता। तो चाहे कोई वित्त मंत्री हो उन रकमों में कई

[श्री जयराम वर्मा]

होना चाहिये चूंकि हमको काम करना है। इसलिये जो माननीय सदस्य कह रहे हैं वह तथ्य के खिलाफ हैं।

दूसरी बात यह है कि जहां तक साल भर का विवरण लेने की बात है, जो बजट साहित्य हमने दिया है इसमें लिखा है कि साल भर में कितना खर्च होगा। उसमें से जितनी रकम की मंजूरी हो चुकी है उसे माइनस करके बाकी रकम की मंजूरी मांगी जा रही है। यही परम्परा पहले भी रही है और उसके अनुसार कार्य जारी है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय नवल किशोर जी ने जब यह प्रश्न उठाया था उस समय मौलिक बातें ज्यादातर आ चुकी हैं, इसलिये मैं इस समय ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा।

माननीय कृष्णानन्द राय जी ने खास तौर से यह आपत्ति उठाई कि इसमें जो लेखानुदान पर स्वीकृत धनराशि थी उसके अतिरिक्त आने वाली बात को माननीय मंत्री जी बताते। मैं समझ नहीं सका। अनुदान की मांग में साफ लिखा है कि मार्च ६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १२—गांव सभायें और पंचायतों के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त इतने रुपये की अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय। तो जो आज डिमांड है वह लेखानुदान के अतिरिक्त धनराशि के लिये है। पिछली दफा बड़े विस्तार से मैं बता चुका हूं कि अगर संविधान में कोई प्रावीजन है और उसका नैगेटिव प्रावीजन न हो, कोई पावर दी हो और उसका प्रयोग करने में कोई निषेध न हो, तो उसका बार बार प्रयोग किया जा सकता है। मैंने उस परम्परा के समकक्ष रूल भी पढ़ कर सुनाये थे और पिछली परम्परायें जो इस सदन की और लोक सभी की रही हैं, वे पढ़ कर सुनाई थीं। मैं समझता हूं कि माननीय कृष्णानन्द राय जी की आपत्ति टैनेबिल नहीं है और यह मांग वैध है।

अनुदान सबंधी साहित्य न मिलने पर आपत्ति

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गाजीपुर)—

आपको, अध्यक्ष महोदय, याद होगा कि कोई भी अनुदान पेश करने के पूर्व उससे संबंधित कुछ साहित्य माननीय सदस्यों को वितरित किया जाता रहा है और उनके आधार पर माननीय सदस्य यहां बहस में हिस्सा लेते रहे हैं। इस सरकार के द्वारा अभी तक इस अनुदान से संबंधित ऐसा साहित्य वितरित नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष—

आपको ही नहीं मिला है या वितरित ही नहीं हुआ है?

श्री कल्पनाथ सिंह—

वितरित ही नहीं हुआ है।

सरकार की ओर से सदस्यों को ऐसा साहित्य दिया जाता है, माननीय मंत्री जी को स्वयं यह बात मालूम है।

श्री अध्यक्ष—

जो बजट लिटरेचर पहले दिन उपलब्ध कराया गया था उसमें सारा विवरण मौजूद है। लेकिन पहले विभागों की ओर से यह परम्परा अवश्य रही है कि समय समय पर कुछ एडीशनल सुविधा के रूप में कुछ साहित्य माननीय सदस्यों को उपलब्ध करा दिया जाता था। वह कभी बड़ा

सुन्दर होता था और कभी बड़ा असुन्दर भी होता था। इस समय मुझे मालूम नहीं है कि माननीय मंत्रीजी ने इस बार वैसा साहित्य उपलब्ध कराया भी है अथवा नहीं ?

श्री जयराम वर्मा—

कोई नहीं कराया है।

श्री अध्यक्ष—

ऐसा साहित्य एक अतिरिक्त सुविधा के रूप में होता था जिसमें रैडी रिफरेन्स की तरह से बहुत सी बातें मिल जाया करती थीं। अब माननीय सदस्य जब कटौती पर बोलें तो उसके बारे में कह दें कि सरकार ने उस परम्परा को रोक कर गलत किया है या सही किया है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

श्रीमन्, सदन की एक परम्परा होती है और सरकार को उस परम्परा का पालन करना चाहिये। वैसे आपकी आज्ञा हमें शिरोधार्य होगी लेकिन भविष्य के लिये आप सरकार को हिदायत कर दें कि कोई भी ग्रान्ट प्रस्तुत करने से पहले वह विभागीय रिपोर्ट माननीय सदस्यों को उपलब्ध करा दिया करे।

श्री अध्यक्ष—

जो नियमों के अनुसार आवश्यक साहित्य होता है वह आपके बजट के प्रस्तुत होने के समय मिल गया है। इसके अतिरिक्त विभिन्न ग्रान्टों के समय विभिन्न मंत्रिगण अपनी इच्छानुसार जो अपने कार्यकलापों का ब्योरा तथा कभी कभी अपने फोटो आदि प्रस्तुत कर देते थे, वह नहीं मिला है। फिर कुछ विभाग उसको देते थे और कुछ नहीं भी देते थे। इसके लिये मैं उनको बाध्य नहीं कर सकता। इसलिये माननीय सदस्य जब कटौती पर अपने विचार प्रकट करें तो इसका जिक्र कर सकते हैं कि सरकार पहली सुविधा सदस्यों को फिर से दे।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि तत्कालीन होम मिनिस्टर, माननीय हरगोविन्द सिंह की ग्रान्ट जब पेश हुई तो इसी बात पर विरोधी दल की ओर से कितना ही हल्ला मचाया गया था। आप अपनी व्यवस्था देने से पूर्व वह पहली व्यवस्था को देख लें। फिर आपकी जो आज्ञा होगी वह हमारे लिये शिरोधार्य होगी। वैसे तो यह सरकार बड़ी तीसमार खां बनती है लेकिन पुरानी परम्पराओं को तोड़ती जाती है। सदस्यों के लिए भी।

श्री अध्यक्ष—

पहले अगर कोई हो हल्ला हुआ है, उसकी बिना पर मैं वैसी इजाजत तो नहीं दे सकता। रही परम्पराओं की बात, मैं सरकार को उन्हीं परम्पराओं के पालन के लिये बाध्य कर सकता हूं जो नियमों के अनुसार हैं, प्रत्येक परम्परा के लिये सरकार को बाध्य नहीं कर सकता। जो केवल सहायता के लिये कार्य किया जाता था उसके लिये आप सरकार से कह सकते हैं और सरकार आपके सुझाव से लाभ उठा सकती है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन्, मैं आपका ध्यान नियम १८५(४) की ओर आकर्षित करता हूं। नियम इस प्रकार है—

"१८५(४) इन नियमों के अधीन आय-व्ययक ऐसे रूप में उपस्थित किया जायगा जिसे प्राक्कलन समिति के सुझावों पर यदि कोई हों, विचार करने के पश्चात् वित्त मंत्री सर्वोत्तम समझें।"

श्रीमन्, इस ग्रान्ट के संबंध में प्राक्कलन समिति ने अपने कुछ सुझाव अवश्य दिये होंगे। और वे सुझाव हमें उसी समय पता चल सकते हैं जब ऐसा साहित्य हमारे सामने हो। इस प्रकार

[श्री नेकराम शर्मा]

सरकार ने साहित्य उपलब्ध न कराकर नियमों का उल्लंघन किया है। उसके अभाव में हम इसके संबंध में किस प्रकार से अपने विचार प्रकट कर सकते हैं ? और समय समय पर विरोधी दल से इस से पहले बराबर यह मांग होती रही है कि साहित्य मिलना चाहिये। आपको याद होगा कि इसी विषय पर पहले एक बार माननीय गृह मंत्री को सदन में क्षमा मांगनी पड़ी थी और कहना पड़ा था कि वह तैयार नहीं हो सका चूंकि प्रेस की हड़ताल चल रही थी लेकिन मंत्री जी ने कोई कारण भी नहीं दिया है कि क्यों साहित्य नहीं प्रस्तुत किया गया। इसलिये आप कृपा कर वित्त मंत्री जी से कहें कि जिस अनुदान पर बहस होने वाली है उसके संबंध में और आगे साहित्य दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

माननीय नेकराम जी ने एक नई आपत्ति उठाई, इसमें प्राक्कलन समिति के सुझावों के अनुसार और विचार करने के बाद जैसे वित्त मंत्री सर्वोत्तम समझें आय-व्ययक उस रूप में उपस्थित करेंगे, ऐसा है। इससे यह अपेक्षा नहीं हो सकती कि जितना साहित्य सदन में वितरित हो चुका है उसको फिर संकलित करके सदन में बांटा जाय, जिसके आधार पर सुझाव देने की बात है वह साहित्य सदन में पहले वितरित हो चुका है, मेरा थोड़ा सा उस समिति से संबंध रहा है इसलिये मुझे स्मरण है कि.....

श्री नेकराम शर्मा--

इसमें अनुदानों के लिये मांगों के संबंध में व्यवस्था है, मतलब यह है कि किस तरह से आय-व्ययक उपस्थित किया जायगा.....

श्री अध्यक्ष--

एस्टीमेट्स कमेटी ने जो सिफारिश की थी उसके खिलाफ आपने रखा है, आपने उसके तरीके को नहीं माना है। नियमों में अपेक्षा है कि प्राक्कलन समिति के सुझावों के विचार के पश्चात् जैसे वित्त मंत्री सर्वोत्तम समझें। जो चीज रखी जाती है वह नियमों के अनुसार ही होती है जब तक कि उसकी अनियमितता सिद्ध न हो जाय। आप बताते कि उसके विपरीत हुआ तब तो ठीक था.....

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)--

अध्यक्ष महोदय, जो साहित्य बांटने का विषय उठा है उसके संबंध में मैं कहना चाहता हूं.....

श्री अध्यक्ष--

वह तो हो गया, मैंने यह आवश्यक नहीं समझा कि उस की वजट से प्रान्ट का प्रस्तुत किया जाना मैं रोक दूं, वह तो एक एडीशनल सुविधा देने की बात है.....

श्री हरीशकुमार गंगवार--

माननीय नेकराम जी ने कहा कि प्राक्कलन समिति के सुझावों पर विचार करने के पश्चात् यह होगा.....

श्री अध्यक्ष--

इस में यह है कि सुझावों में जो तरीके दिये हैं उसमें जो सर्वोत्तम हों उसके अनुसार मंत्री जी करेंगे।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट जो होती है वह तो सदन में आ जाती है।

श्री अध्यक्ष—

उस में तो लिखा हुआ है कि नियमों के अधीन आय-व्ययक ऐसे रूप में उपस्थापित किया जायगा जिसे प्राक्कलन समिति के सुझावों पर, यदि कोई हो, विचार करने के बाद वित्त मंत्री सर्वोत्तम समझें। मैं इस के अनुसार व्यवस्था दे चुका और मंत्री जी ने इस नियम को देख लिया होगा। भाषण में माननीय सदस्य कह सकते हैं कि मंत्री जी परम्परा के खिलाफ कर रहे हैं या साहित्य उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, वह करावें।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि मैं भी नियम समिति का सदस्य था। जो आपने व्यवस्था दी है उसके संबंध में यहां एक भ्रम हो रहा है और आप की आज्ञा हो तो मैं उस संबंध में कुछ कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

कोई नई बात कहना हो तो आप कहें। भ्रम की बात आने दीजिये, वह होने दीजिये। वह व्यवस्था हो चुकी। अब और समय इसके लिये नहीं है।

श्री मुक्तिनाथ राय (जिला फारबिसगंज)—

अध्यक्ष महोदय, आपने जो यह कहा है कि मंत्री जी अगर चाहें तो साहित्य दें या न दें इससे हमारी दिक्कत बढ़ गई है। हमारे पीजियन होल में यह किताब मिली है जिस में स्वास्थ्य शासन विभाग का कार्य विवरण है। आज का अनुदान कृषि के विषय में है और मालूम होता है कि गलती से यह हो गया है और भविष्य में ऐसी भूल न हो तो अच्छा है। लेकिन यह कहना कि वह चाहे दें या न दें, ठीक नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष—

मैं नहीं चाहता कि इस विषय में मैं कुछ अब अधिक कहूं लेकिन इतना बता दूं कि समय-समय पर इसी सदन में ऐसे विचार व्यक्त हुये हैं कि इस साहित्य के बांटने में रुपये का अपव्यय होता है और इतनी बड़ी-बड़ी पुस्तकों को न छापा जाय तो अच्छा है।

ये विभिन्न मत हैं। जो आपका मत होगा, कोई भी सरकार होगी उससे प्रभावित होगी। लेकिन उस पर मैं यह नहीं कह सकता हूं कि यदि अतिरिक्त लिटरेचर नहीं बांटा गया तो ग्रांट प्रस्तुत न हो।

१९६७–६८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १२—गांव सभायें और पंचायतें

कृषि मंत्री (श्री जयराम वर्मा)—

अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९६८, को समाप्त होने वाले वर्ष में 'अनुदान संख्या १२—गांव सभायें और पंचायतें' के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १,१३,१९,२०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत किया जाय।

श्रीमान जी, इस वक्त हमारे प्रदेश में ७२,२९२ ग्राम सभायें काम कर रही हैं और ५१ जिला परिषदें और ८५४ क्षेत्र समितियां स्थापित हैं। ग्राम पंचायतें सन् १९४९ में स्थापित की गयी थीं लेकिन क्षेत्र समितियों की स्थापना मई, १९६२ में और जिला परिषदों की स्थापना जून, १९६३ में हुयी थी। इस तरह से १९६३ में पंचायती राज के थ्री टायर सिस्टम की पूरी शक्ल सामने आयी। ये जो ८५४ क्षेत्र समितियां हैं, उनमें से १९८ को तोड़ने का निश्चय पुरानी सरकार ने किया था लेकिन उस पर अंतिम निर्णय होना शेष है। वह मामला हाई कोर्ट के सामने विचाराधीन

[श्री जयराम वर्मा]

है। इसलिये जब तक वहां निर्णय न हो जाय तब तक वे सभी क्षेत्र समितियां अपनी जगह पर कायम हैं और सब की मियाद ४ मई, १९६८, तक के लिये बढ़ा दी गयी है।

(इस समय २ बज कर १२ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री श्रीपति मिश्र, पीठासीन हुये।)

पंचायतीराज कायम होने से प्रशासनिक प्रणाली में एक बहुत बड़ी तब्दीली हुयी। इस तब्दीली के २ मुख्य पहलू हैं। एक तो ग्रामीण क्षेत्र के विकास की अधिकांश जिम्मेदारी ग्राम-सभाओं, क्षेत्र समितियों और जिला परिषदों के ऊपर हैं और दूसरी पंचायती राज संस्थाओं को उस तरह से काम करना चाहिये जिससे ग्राम के हर आदमी को तरक्की करने का पूरा मौका मिल सके। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती हैं कि पंचायती राज्य प्रजातन्त्र की आधारशिला है और इन संस्थाओं के जरिये ही प्रजातन्त्र की आवाज और भावनाओं को जन साधारण तक पहुंचाया जा सकता है। इसलिये हमारे प्रजातंत्र की बुनियादें उस हद तक मजबूत होंगी जितनी ये हमारी संस्थायें मजबूत होंगी। हमारे प्रदेश में ये जो पंचायतें कायम हैं उनके ढांचे और संगठन कुछ और मजबूत और सुचारु रूप से चलने योग्य बनाने के लिये सरकार ने कुछ निर्णय लिये हैं। एक तो यह है कि जहां अभी तक गांव सभाओं के प्रधानों का ही चुनाव सीक्रेट बैलेट के द्वारा होता था वहां ग्राम पंचायतों के सदस्यों का चनाव भी गोपनीय मतदान द्वारा हो और यह भी निर्णय किया गया है कि अब तक जहां पंचायतों के चुनाव के लिये पंचायत के रजिस्टर के आधार पर मतदाता सूची तैयार की जाती थी अब उसकी जरूरत नहीं है। बल्कि जो विधान सभा की मतदाता सूची उस गांव से संबंधित है उसी के आधार पर अब आगे चुनाव कराया जाय। इन निर्णयों के आधार पर एक विधेयक हम इसी सत्र में रखेंगे और चाहेंगे कि माननीय सदन उसे स्वीकार करें। इसी तरह से हमने इस चुनाव के संबंध में कुछ थोड़े से और परिवर्तन करने का निर्णय किया है। जहां अभी तक गांव पंचायतों का चुनाव जिला पंचायत राज अधिकारी की देख रेख में होता था वहां निर्णय यह है कि यह चुनाव अब जिला निर्वाचन अधिकारी की देख रेख में होगा और थोड़े से न्याय पंचायतों के भी संगठन में परिवर्तन किये जा रहे हैं। अब तक न्याय पंचायतों के पंचों का नामांकन जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा होता रहा है और जिला मैजिस्ट्रेट इस संबंध में एक सलाहकार समिति के सिफारिश पर ऐसा किया करते थे इस को कुछ और सादा करना चाहते हैं, और जो इतनी बातें होती थीं उन को करने की जरूरत नहीं है। करना यह चाहते हैं कि जब ग्राम पंचायत का चुनाव हो जाय तो ग्राम पंचायत के सदस्य गांव सभा के सदस्यों में से न्याय पंचायत के लिये सीक्रेट बैलट द्वारा चुनाव कर दें। और इस तरह से एक समिति बनायी जाय और फिर जिला मैजिस्ट्रेट को उस का नामांकन करने की जरुरत पड़े, उसकी आवश्यकता न पड़े। इसी तरह से थोड़ा सा और संशोधन इस संबंध में प्रधानों की आयु के संबंध में किया है और यह सिर्फ इतना है कि जहां उनकी आयु अब तक ३० वर्ष कम से कम होना जरूरी था, अब वह विधायकों के समान ही उनकी आयु २५ वर्ष कर दी गयी है।

कृषि उत्पादन में वृद्धि की जो बुनियादी समस्या है उस को हल करने के लिये ग्राम पंचायतें सहायता देती रही हैं, कहीं लघु सिंचाई योजनाओं के निर्माण कार्य में, तालाबों को गहरा कराने में, नये तालाबों को बनवाने में और कहीं फसल की प्रतियोगिता को चलाने में या गूलों की सफाई कराने या बनवाने में, जिससे खाद्य समस्या हल हो सके। परिवार के नियोजन में भी पंचायतें सहायता देती रही हैं। इन पंचायतों को आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न करने के लिये कुछ ऋण देने की व्यवस्था पहले तीसरी योजना में शुरू की गई थी। उन की संपत्ति का विकास हो सके, आमदनी बढ़ सके इस दृष्टि से उन को कुछ ऋण दिये जाते रहे हैं और तीसरी योजना में ५९० गांव सभाओं को २० लाख रु० का ऋण दिया गया और वह ऋण लघु सिंचाई कार्यों के लिये कृषि यंत्रों के क्रय के लिये, लघु और कुटीर उद्योगों के संचालन, मत्स्य पालन, हाट और मेले आदि के विकास के लिये उसका उपयोग उन्होंने किया। चौथी योजना के प्रथम वर्ष में भी इनको ४,९९,८०० रु० इस काम के लिये दिये गये और इस योजना में इस काम के लिये ४५,८०,००० का प्रस्ताव हमने किया है। लेकिन इस साल ६७–६८ में इस काम के लिये पैसे की कमी की वजह से कोई रकम नहीं दी जा सकी

है। माननीय सदस्य यह जानते हैं कि पंचायतों की स्थापना के प्रारम्भ से ही चूंकि पंचायतों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है इसलिये पंचायत मंत्रियों के वेतन के लिये जितने खर्च की जरूरत पड़ी थी उतना सरकार पंचायतों को अनुदान के रूप में देती रही है और उसी अनुदान से पंचायतें पंचायत मंत्रियों को वेतन देती रही हैं। इसके अलावा उनको महंगाई भत्ता नहीं मिलता था या यात्रिक भत्ता नहीं मिलता था चूंकि पंचायतें इस खर्च को भी वहन ही नहीं कर सकती थीं इसलिये सरकार ने यह खर्च भी अपने ऊपर ले लिया। पंचायत मंत्रियों के वेतन को देखते हुये यह बात प्रतीत होती थी कि उतने वेतन से वे सुचारु रूप से कार्य नहीं कर सकते और उसमें उनको काफी कठिनाई होगी इलसिये प्रति मास पंचायत मंत्री को सरकार ने सवा ६ रुपये महंगाई भत्ता देना स्वीकार किया। उनका महंगाई भत्ता साढ़े १२ रुपये कर दिया गया। सरकार सवा ६ रुपये वहन करेगी और सवा ६ रुपया प्रति मास पंचायतों को देना होगा। मंत्रियों को ५ रुपये प्रति मास यात्रिक भत्ता भी दिया जाने लगा है। ६६–६७ में भी ऐसी व्यवस्था की गयी थी, इस वर्ष भी इस व्यवस्था को करने के लिये १२,०२,६०० रुपये महंगाई भत्ता तथा यात्रिक भत्ता देने के लिये व्यवस्था की गयी है। वेतन देने के लिये, जैसा कि जिक्र हमने पहले किया, जितना पंचायतों को जरूरत पड़ती थी उतना सरकार देती रही और इस वर्ष हमने बजट में इस काम के लिये ७२ लाख रुपये की व्यवस्था की है।

पंचायत राज की जब से स्थापना हुई है तबसे माननीय सदस्य जानते हैं कि जो विकास के विभाग हैं उनके बजट का बहुत सा रुपया जिला परिषदों और क्षेत्रीय समितियों के द्वारा खर्च होता है। इसलिये इस बात की आवश्यकता है कि पंचायती राज योजना अन्तर्गत के कोई ऐसा संगठन कायम किया जाय जो कि उसके हिसाब की देखभाल कर सके और उसके मदद कर सके। इसलिये ६३–६४ में इस तरह के आडिट कर्मचारियों की एक योजना बनायी गयी थी। इसके अनुसार जिला परिषदों में एक वित्त अधिकारी तथा अन्य आडिट स्टाफ की व्यवस्था करनी थी। इस बात का दुख है कि अभी तक वह व्ययस्था नहीं हो सकी और जिला परिषदों में वित्त अधिकारियों की अभी तक नियुक्ति नहीं हो सकी। इन वित्त अधिकारियों का काम जिला परिषदों तथा क्षेत्रीय समितियों में वित्त संबंधी मामले में सलाह देना तथा क्षेत्र समितियों के हिसाब की जांच करना है। जैसा कि मैंने कहा, अभी उसकी व्यवस्था नहीं हो पायी है, यह हमारे वित्त विभाग के सामने हैं और मैं समझता हूं कि जल्दी ही वित्त अधिकारियों तथा आवश्यक स्टाफ की नियुक्ति इसी साल के अन्दर हो जायगी। जिला परिषदों में जितने वित्त अधिकारी होंगे उनकी भी देखरेख के लिये राज्य स्तर पर एक मुख्य वित्त अधिकारी होंगे जिनकी व्यवस्था हो चुकी है और जो हमारे चीफ आडिट अफिसर सहकारी समितियों और पंचायतों के हैं उन्हीं को फिलहाल यह काम भी सौंप दिया गया है।

पंचायतों का अपने पास और कोई आमदनी का जरिया है नहीं। वह अपनी गांव सभाओं में कर लगाती हैं और उसकी वसूली करती हैं। तो पिछले साल १९६६–६७ में प्रदेश की पंचायतों ने ८६,२८,४२० रुपये का कर निर्धारण किया था और पिछले साल का बकाया वगैरह ले कर उन्होंने ८६,२९,७९४ रुपये की वसूली भी की थी। जैसा कि मैंने अभी न्याय पंचायतों के मामले में कुछ सुधार का संकेत किया था, ये न्याय पंचायतें जो काम कर रही हैं वह भी एक तरह से संतोष-जनक कहा जा सकता है। १९६६–६७ में कुल ६४,९१७ मुकदमें दायर हुये और उन्होंने पिछले मुकदमों को मिला कर ७६,६३४ मुकदमों का निपटारा किया था। जो मुकदमें उन्होंने फैसले किये उनमें से ४२,६८८ मुकदमों में उन्होंने आपस में सुलह करायी। इससे यह लगता है कि पंचायतों में जो मुकदमें आते हैं उनमें इस बात का प्रयास होता है कि अगर आपस में सुलह हो जाय तो अच्छा है। ५५.६१ प्रतिशत मुकदमें पिछले साल सुलह करा कर तय कराये गये। कुछ मुकदमें ऐसे थे जो न्याय पंचायतों के सामान्य अधिकार के बाहर थे। उनमें भी पंचायत राज अधिनियम की धारा ८२ के अन्तर्गत दोनों पक्षों की सहमति से सुलह करा दी गयी। जैसा कि मैंने पहले ही निवेदन किया, पंचायतों

[श्री जयराम वर्मा]

के मामले में हम कुछ सुधार करना चाहते हैं और जल्दी ही एक विधेयक माननीय सदन के सामने लाना चाहते हैं क्योंकि इनका चौथा आम चुनाव दिसम्बर के पहले समाप्त हो जाना है। इसी सिलसिले में एक बात और कह दूं कि हम चूंकि अब सीक्रेट बैलट से चुनाव कराना चाहते हैं तो गांव पंचायतों की सदस्य संख्या में भी कुछ कमी करना चाहते हैं। जहां आज १५ से ३० तक सदस्य होते थे उनको कम करके ७ से १५ तक करना चाहते हैं और वहां पर गांवों में क्षेत्र बनाने पड़ेंगे जिससे उनके चुनावों में आसानी हो। जिस तरह सिम्बल के द्वारा अभी तक चुनाव होता था उसी तरह से होगा। वे सिम्बल वही होंगे जो किसी पार्टी विशेष के नहीं होते हैं। उनके ही आधार पर चुनाव कराया जायेगा।

ये पंचायतें कृषि उत्पादन के कार्य में काफी सहायता करती हैं और इन्होंने काफी काम किया है। इसके अतिरिक्त पंचायती उद्योगों की स्थापना का भी प्रयास किया गया है और ३६ जिलों में ५१ पंचायती उद्योगों की स्थापना हुई और स्थानीय माल से और वहां के लोगों की सहायता से ऐसे सामान बनाकर जो किसानों के लिये उपयोगी हों, सस्ते दाम पर उनको मिल सकें, इ का ये पंचायतें प्रबन्ध करती हैं। प्रयास यह है कि जिन जिलों में पंचायती उद्योगों की स्थापना नहीं हुई है वहां पर भी हो जाये।

इसके अलावा ये गांव सभायें और कामों में भी मदद करती हैं, जैसे यातायात, स्वास्थ्य और सफाई के कार्य। ये सीधे काम नहीं करती हैं लेकिन मदद करती रहती हैं और काम करने में आसानी होती जाती है। पिछले साल के आंकड़ों के देखने से पता चलता है कि जो काम यह कर रही हैं वह बड़ा उपयोगी है। पिछले साल में इन्होंने नई कच्ची सड़कों के निर्माण में सहायता की जिसके वजह से १७९७ किलोमीटर लम्बी सड़कें बनाई जा सकीं और पुरानी सड़कों के सुधार में भी इन्होंने मदद की जिसकी वजह से ८९१२ किलोमीटर लम्बी सड़कों का सुधार हुआ। इसी तरह से उनकी सहायता से ३०८९ पुलियों का निर्माण हुआ और ५३२ पुलियों की मरम्मत हुई। इसी तरह से बिछाने, कूओं के निर्माण और हैन्ड पम्प वगैरह लगाने के काम भी इनकी सहायता से होते रहते हैं। कुछ काम यह कर रही हैं और इनकी मदद से दूसरे लोग भी करते रहते हैं। ऐसे नतीजे निकले हैं जिनसे कहा जा सकता है कि उनसे गांवों की सेवा में बड़ी मदद मिल रही है।

इसी तरह से हमने एक विस्तृत प्रोग्राम जो कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिये बनाया है उसमें उनसे हम खास तौर से मदद की आशा करते हैं। हमारी योजनायें बहुत विस्तार से बनी हुई हैं जिनका गांव तक फैलाव हो चुका है और किस इलाके में कौन किसान कौन सी अच्छी उपज वाली फसल कितनी बोयेगा उसका नक्शा बन चुका है। उस काम में भी उन ग्राम पंचायतों से काफी मदद मिलेगी और उनकी मदद से हमको अपने लक्ष्य की पूर्ति में काफी सहायता मिलेगी। इसी तरह से जो क्षेत्र समितियां हैं, यह तो वह काम करने की मशीन ही है जिनके द्वारा यह काम कराया जायगा और यह हमारी पंचायतें उसमें मदद करेंगी। इस तरह से यह पंचायतें काम कर रही हैं और उनके विभिन्न कामों को देख कर कहा जा सकता है कि इनको हम जितना ही सुधार करने का प्रयास करेंगे, इनको मजबूत बनायेंगे उतनी ही प्रजातांत्रिक प्रणाली मजबूत होगी और हमको बहुत से काम करने में आसानी होगी। हम जो बहुत से ऐसे लक्ष्य बनाते हैं जो गांवों तक पहुंचते हैं उन कामों में हमारी पंचायतें जितनी मजबूत होंगी, जितने अच्छे ढंग से चुनाव होगा उतना ही मदद करने में उपयोगी होंगी। यह थोड़ा सा विवरण मैंने उनके कामों और सुधार के सम्बन्ध में रख दिया है। अब इसके बाद माननीय सदस्य जिन बातों की तरफ इशारा करेंगे हम उस सम्बन्ध में जो उनके उपयोगी सुझाव होंगे उनसे लाभ उठायेंगे और यदि उसमें और सुधार की गुंजायश होगी तो उसको करेंगे। हम जो चुनाव करवा रहे हैं इसमें भी सवाल होगा कि खर्चा बढ रहा है। पंचायतों के चनाव में ३७ लाख कुछ हजार का खर्चा होगा। लेकिन ग्राम पंचायतों के सदस्यों और प्रधानों के नामिनेशन के परचों की कीमत से जो हमारी आमदनी होगी, उससे यह खर्चा मीट हो जायगा। उससे हमारी आमदनी ४० लाख होने का

अनुमान है। तो एलेक्शन के खर्चे का भार पड़ने वाला नहीं है। वह उस आमदनी से मीट हो जायगा। इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदन से यह प्रार्थना करूंगा कि इसी दृष्टि से इस अनुदान पर वह विचार करें और विचार करके अपनी स्वीकृति प्रदान करें।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १२--गांव सभायें और पंचायतों के अन्तर्गत होने वाले व्यय की मांग की राशि को घटाकर एक रूपया कर दिया जाय। श्रीमन्, मुझे यह कटौती का प्रस्ताव पेश करने में कुछ कष्ट सा हो रहा है और कष्ट इसलिये हो रहा है कि बड़ी उम्मीदें थी इस सरकार से और, श्रीमन्, आपको भी बड़ी उम्मीद रही होगी क्योंकि श्रीमन् जो इधर बैठा करते थे और अब उधर जाकर बैठे हैं जिनसे एक नई जीवन प्रणाली, नये जीवन दर्शन और नई भावनाओं के सामने आने की आशा की जाती थी, उससे वे तमाम आशायें पूरी नहीं हुई हैं। आज जो दल सरकार में है और इधर जो एक नये दल का यहां पर निर्माण हुआ है उसने अपना मुख्य सिद्धान्त गांधीवादी, समाजवाद रखा था और गांधीवादी दर्शन और गांधीवादी समाजवाद पर चलने का उसने निश्चय लिया था, लेकिन इस बजट के साहित्य में, बजट के भाषण में अगर गांधीवादी समाजवाद की एक रत्तीभर भी झलक मिली होती तो मैं जरूर ही इस सरकार का प्रशंसक रहा होता और मैं कहता कि इस सरकार के सामने कटौती का प्रस्ताव न रखा जाये। लेकिन इस सरकार ने पंचायतराज के साथ, जितना जनता के साथ और सारे लोगों के साथ विश्वासघात किया, उतना ही पंचायती गांधीवादी जन भावनाओं के साथ भी विश्वासघात किया है।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)--

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य के इस भाषण से ऐसा लगता है कि कल तक जो हम विवाद कर रहे थे वही आज भी चल रहा है। मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि क्या जो कटौती के प्रस्ताव में एक विशेष विभाग की चर्चा होनी है, उसमें इस प्रकार शब्दों का प्रयोग, जो सामान्य विवाद में प्रयुक्त होने चाहिये, करना ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष--

अभी सिर्फ वह भूमिका पर बोल रहे हैं, आगे वह ठीक कर लेंगे।

श्री चयराम वर्मा--

आपने कटौती का प्रस्ताव रखा है, लेकिन श्री बहुगुणा जी का प्रस्ताव क्या है, इसे आप जरा ठीक से देखिये तो मालूम होगा कि आपने क्या पढ़ा है।

श्री कल्पनाथ सिंह--

मैंने ठीक प्रस्ताव किया है और ठीक किये देता हूं। मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय और उसकी कमी करने का उद्देश्य, यदि आपकी इजाजत हो तो पढ़ दूं। (हां, हां की आवाजें) कमी करने के उद्देश्य--(१) गांव सभा तथा पंचायतों के कार्य को प्रभावकारी बनाने हेतु, जिससे विकेन्द्रीकरण की भावना को सफलीभूत बनाया जा सके, सम्बन्धित नीतियों में सुधार करने हेतु कदम उठाने का सुझाव देना और यदि आवश्यकता हो तो नियमों को संशोधित कर जन-भावनाओं के अनुरुप बनाना।

(२) गांव सभा तथा पंचायतों की जमीन को सहकारी समितियों के माध्यम से वापस कर भूमिहीनों में बांटना तथा इस हेतु कानून में यदि आवश्यकता हो तो संशोधन करना।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री जी के बजट प्रस्तुत करने के पहले मैंने एक प्रश्न उपस्थित किया था कि साहित्य इसका मिलना चाहिये। माननीय मंत्री जी को भी दिक्कत

[श्री कमलापति सिंह]

हो रही है। अब थोड़ी सी दिक्कत मुझे भी हो रही है। आपने कहा कि पंचायती राज का उद्देश्य शासन का विकेन्द्रीकरण करना था। सब से छोटी इकाई गांव पंचायत या गांव सभा मानी जाती है। अभी गांव सभा को चालू करने के सिलसिले में माननीय मन्त्री जी ने चुनाव का जिक्र किया। उसमें माननीय मंत्री जी ने यह भी कहा कि गोपनीय पद्धति चुनाव के सिलसिले में अख्तियार करेंगे। मैं माननीय मन्त्री जी के इस कदम का स्वागत करता हूं कि अवश्य चुनाव में गोपनीयता बरतनी चाहिये किन्तु श्रीमन्, आप देखें कि वहीं न्याय पंचायत के चुनाव की पद्धति की बात हुई। मैं यह नहीं चाहता कि १५ या ७ आदमी समूचे गांव सभा के मेम्बरों में से न्याय पंच का चुनाव करें। मेरा अपना खयाल है कि माननीय मंत्री जी को इस दिशा में सोचना चाहिये तथा समूची अदालत पंचायत के चुनाव में गांव सभाओं को छूट देनी चाहिये। यह नहीं करना चाहिये कि सिर्फ गांव पंचायत के ७ आदमी खोजें, न्याय पंचायत में भी उसके आदमी हों। बल्कि सारी गांव सभा के आदमी उनकी खोज करें कि इसमें कौन आदमी अदालती पंचायत की सेवा के लायक है या जिसकी ईमानदारी पर उनको विश्वास हो उसको लिया जाय, ऐसा इसमें नहीं कहा गया है। प्रजातंत्र की भावना का नाम लेने से प्रजातंत्र की बात नहीं आ जाती। मैं मीठा मीठा चिल्लाता हूं; उससे मेरा मुंह मीठा नहीं हो जायगा। जब तक मैं मीठा न खा लूं तब तक मेरा मुंह मीठा नहीं हो सकता। इसलिये यह बात कहना चाहता हूं कि माननीय उग्रसेन जी जब इधर बैठते थे और काफी अरसे तक इस जगह पर वह बैठे हैं उनके दल की तरफ से, माननीय बदरे जी की तरफ से और पी० एस० पी० के सदस्यों की तरफ से एक स्वर से यह मांग की जाती थी कि गांव सभा और गांव पंचायत को पूरा भू-राजस्व का एक चौथाई मिलना चाहिये। चौखम्भा राज की स्थापना का वह नारा बुलन्द करते थे लेकिन, श्रीमन्, न तो इस बजट के अन्दर उसका संकेत मिला और न मन्त्री जी की बातों से इसका संकेत मिला कि गांव सभा की आमदनी बढ़ाने के लिये भू-राजस्व में से हिस्सा उनको देकर उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनाया जायगा। इस सरकार ने गांव सभा की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिये एक भी प्रभावकारी कदम नहीं उठाया है। इससे मैं यह बात कहना चाहता हूं कि आखिर कौन सा तरीका अख्तियार किया जायगा जिससे जन भावना को इस बात का विश्वास हो कि पंचायत राज की कल्पना हमारी पूर्ण होती जा रही है। जो ग्राम और न्याय पंचायत की कल्पना है, समाजवाद की कल्पना है, जो एक छोटी सी छोटी इकाई है, उसके सम्बन्ध में विश्वास पैदा होना चाहिये। इसलिये मैं इस शासन से मांग करता हूं कि उनको आटोनोमस बाडी बनाया जाय। आखिर यह बात कहना कि २० साल आप रहे तो यह बात लागू नहीं होती। यहां पर २० साल की दुहाई लागू नहीं होती है। शासन की त्रुटियों से सम्बन्ध होता तो यह बात सही थी लेकिन यहां पर दूसरा सवाल है। इसमें शुद्ध नैतिकता और प्रजातंत्र के मूल्यों से सीधा सीधा सम्बन्ध है। वह एक ऐसी चीज भी बतलाते हम मान लेते लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है। मैं इस बात को इसलिये कह रहा हूं कि अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि नामिनेशन के जरिये से हमारा सारा खर्चा मौट हो जायगा। आपके कहने के अनुसार सदस्य अपना खर्चा ६ रुपये में खरीदेंगे। हमारे लोगों में माननीय सदस्य २५० रुपया दें तो वे, वोट पाने पर आग बन कर वह भी वापस हो जाता है, लेकिन गांव सभा के सभापति और सदस्य का रुपया वापस नहीं होता। अब पर्चे की कीमत नहीं लगनी चाहिये। मैं यह समझता हूं कि इस सरकार को इस प्रथा को समाप्त करना चाहिये और माननीय मंत्री जी को यह मोह संवरण करना चाहिये कि एलेक्शन का सारा खर्चा मुहइया हो जाना चाहिये।

एक बात जो मंत्री जी ने कही है कि एलेक्शंस अब पंचायत राज्य के अधिकारियों के द्वारा न हो कर एलेक्शन आफिसर के द्वारा कराये जायंगे, इसके लिये मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। मैं उन व्यक्तियों में नहीं हूं जो अच्छी बात की प्रशंसा करने में कभी हिचकूंगा लेकिन यह भी सही है कि सारे बजट को देख लीजिये, सारे भाषण को सुन लीजिये वहीं जो पुरानी परिपाटी है वही चलाई जा रही है। पुरानी भूमि प्रबन्धक समिति को तोड़ कर इसमें मिला दिया गया है कहीं उसका कोई जिक्र तक नहीं किया गया है। आज सारी गांव की जमीन लूटी जा रही है

और उस ओर से सरकार का ध्यान नहीं है। उस तरफ चलने की कोई दिशा नहीं है। किंकर्त्तव्यविमूढ़ि से बैठे हुये लोग आज नया समाज बनाने की बात करते हैं। नया समाज इस तरह नहीं बना करता है कि लेखपाल अब सभापति को समझेगा कि वह उसके नौकर हैं। बड़ी कोशिश की आपने तो यह कहा कि पंचायत राज्य मंत्री को अब भत्ता मिलेगा सवा ६ रुपये। चाहे वह सारे दिन दौड़ते फिरते रहें और चाहे साइकिल का एक टायर घूमते-घूमते घिस जाय लेकिन कितना मिलेगा ५ रुपये। आप यह भी मानने के लिये तैयार नहीं है कि वह सरकारी नौकर है, यह नहीं मानते कि वह जिला परिषद का नौकर है। अगर जिला परिषद का ही मान लें तो फिर उनकी सरविस कंडिशन्स, उनका मंहगाई भत्ता, उनका वेतनक्रम आदि सब जिला परिषद के लोगों के मुकाबले में कीजिये। लेकिन नहीं, वहीं पुरानी परिपाटी। आखिर मंत्रियों के आने जाने से क्या होगा, अंदाजे हुकूमत और तर्जे हुकूमत बदलिये। माननीय रामभूति जी का भाषण हो या माननीय वंशीधर जी पांडेय का भाषण या माननीय सुचेता कृपालानी जी का भाषण होता था उन सब को सुनिये और आज का मंत्री जी का भाषण इन सब में कोई अन्तर नहीं है बल्कि वह अच्छा था। कल माननीय मुख्य मंत्री जी कह रहे थे कि जनता ने कांग्रेस सरकार के जाने पर और इस सरकार के आने पर घी के दिये जलाये। मैं पूछता हूं कि अब इसके कारनामों पर काहे के जलायेंगे। मैं कहता हूं कि इस प्रदेश में रत्ती भर भी जन मानस में और जन मानस की उस विचारधारा में जहां से प्रजातंत्र पनपता है परिवर्तन करने का प्रयत्न नहीं किया गया है। श्रीमन्, मैं इसलिये कह रहा हूं कि अगर इस सरकार ने यह चीजें की होती या मंत्री जी ने अपने भाषण में यह बात कहीं होती अन्न उपजाओ के सिलसिले में, अथवा अन्न सेना के संगठन के संबंध में, इस बात की आवाज लगायी होती, ग्राम सभाओं को प्रचार करने के लिये पैसा दिया गया होता ताकि वे अपनी तरक्की के लिये कोशिश करतीं और हर जबान से, जो काम कर सकता था जो स्वस्थ होता उससे काम कराने की दिशा में कुछ प्रयत्न किया गया होता हो तो मैं समझता हूं कि आप ठीक दिशा में चल रहे हैं। माननीय चन्द्रशेखर जी बैठे हैं, उन्हीं की पार्टी का नारा था कि एक घंटा देश को। वह सब कहां गया? आप का समाजवाद का कहां गया? यह सारा का सारा समाजवाद माननीय चन्द्रशेखर जी, भीखालाल जी, वित्त मंत्री जी भूल गये लेकिन मुझे याद है। मैं यह कहता हूं कि एक घंटा देश को देना चाहिये और सारे लोगों को इसके लिये एक प्रथा डालनी चाहिये। इस पक्ष के लोगों ने इस बात की कोशिश की थी कि श्रम बैंक बनाया जाय। इस प्रयत्न के लिये उनकी प्रशंसा करता हूं। उन्होंने कहा कि कम से कम एक महीने में एक दिन देश के लिये श्रम अवश्य किया जाय। हर आदमी श्रम करेगा और उसमें वह काम क्या करेगा, वह फूलों की सफाई करेगा, पुलियां बनाने में वह सहायता करेगा, अधिक अन्न उपजाओ योजना में अपने आदमियों को लगाने की कोशिश करेगा। लेकिन उसका इसमें कहीं जिक्र नहीं है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि पंचायती राज के अन्तर्गत उद्योग स्थापित किये गये हैं। ठीक है। लेकिन मेरा सवाल है यह काम पुराना है। आप ने कौन सी दिशा दी समाज को? आप ने कितने उद्योग मत्स्य पालन के, मुर्गी पालन के, या ऐसे ही और उद्योग गांव में स्थापित किये? यह सब पुरानी बात है। अगर वही रिपोर्ट पढ़नी थी तो रामभूति जी ही ज्यादा अच्छे थे। आज लघु सिंचाई की बात कही जाती है। आपने अनुदान दे दिया। वह क्षेत्र समिति में पहुंच गया और उसके माध्यम से लोगों को पहुंच गया, लेकिन गांव सभाओं को आप ने कौनसा काम दिया? तालाबों को गहरा करना था, छोटी सिंचाई योजनाओं को बनाने के लिये प्रयत्न करना था, जहां जल निकासी की आवश्यकता थी, वहां उसके लिये प्रयत्न करना था, मुख्य मंत्री जी बैठे हैं, उनकी स्वायल कंजेर्वेशन बड़ी प्यारी स्कीम है, उसका उसके लिये अध्ययन करना भी काफी है, लेकिन हमको इस बात की तकलीफ जरूर है कि इस प्रसंग में कहीं कोई बात पंचायतों के लिये नहीं रखी गयी है, उनको कहीं प्रेरणा श्रोत नहीं बनाया गया है। श्रीमन्, मैं क्या कहूं? यह ढाई महीने की सरकार की हालत है! सुरक्षा की तरफ एक रत्ती ध्यान नहीं दिया गया। मांग की जाती थी कि पुलिस कप्तान जिला अध्यक्ष के अन्तर्गत हो।

कृषि उप मंत्री (श्री महीलाल)--

यह पुलिस बजट नहीं है ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

हुजूर, मालूम है, तशरीफ रखें। मांग की जाती थी कि जिला मैजिस्ट्रेट को जिला परिषद के अन्तर्गत करो अध्यक्ष के। और जिस हलके में जो सिपाही पड़ेगा उसका भी कोई इस मामले में जिक्र नहीं किया गया कि क्या स्थिति रहेगी। क्योंकि उसे सुरक्षा संघ, स्वयं सेवक दल, जो चाहे कहिये, लेकिन गांव के लोगों की फसल की हिफाजत का काम है और भी दूसरे काम हैं जिसमें एक वालंटियर कोर की जरूरत है, लेकिन उसकी कोई चर्चा नहीं है। सभापति जी क्या करेंगे ? मीटिंग बुलायेंगे ? तो ऐसी प्रेरणा नहीं है लोगों में कि वह उसमें जायं। कितनी गांव सभाओं में सही माने में बजट पास होता है ? इसका कोई आंकड़ा मंत्री जी ने दिया होता कि हर छमाही बजट कितनी गांव सभाओं ने तैयार किया है यह भी नहीं हुआ। कहीं तो इस प्रकार की स्थिति पैदा हो जिससे लोगों को प्रेरणा मिले।

श्रीमन्, मैं शिक्षा की बात कहता हूं, यातायात है, अन्य प्रश्न हैं और विशेषतया सहकारिता के मामले में मुझे कहना है। गांव पंचायतों की रूपरेखा एक सहकारी जीवन की कल्पना है। अगर हम उसके मूल उद्देश्य को वहीं छोड़ देंगे तो हरगिज, हरगिज हमारा यकीन नहीं है कि लखनऊ में बैठ कर लेक्चर देने से या दफ्तर की फाइल में सहकारिता के उद्देश्य लिख देने मात्र से उसका उद्देश्य सफल हो सकता है ? जब गांव गांव के, जन जन में सहकारिता के बारे में, उसके उद्देश्यों और आदर्शों के प्रति आस्था हो तभी यह हो सकता है। लेकिन कहीं इसका जिक्र नहीं है मंत्री जी के सारे भाषण में। मैं कोई नया स्रोत नहीं दे रहा हूं कि आप कह दें कि बड़ी दिक्कत है, बजट कम है। अभी १० करोड़ कहीं, ५ करोड़ कहीं गये और किस किस को छोड़ दिया ऐसी बात कह दी जायगी। लेकिन मेरा विनम्र निवेदन है कि आज मंत्री जी सदन में घोषणा करते कि भू-राजस्व का एक चौथाई गांव सभा और गांव पंचायतों को देना चाहिये अगर आप अपनी पुरानी नीति पर कायम हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो बार-बार इस बात को दोहराया करते हैं। और एक आदमी का स्रोत बनाने का अगर सवाल पैदा हो। दूसरे, भू राजस्व की उगाही भी गांव पंचायतों को दी जा सकती थी।

तीसरी चीज यह कि जो छोटे छोटे कर्मचारी हैं उन पर गांव पंचायतों तथा गांव सभाओं का अंकुश होना चाहिये। आपको श्रीमन्, पता होगा कि गांव का पतरौल क्या है ? वहां का पटवारी तो अब लेखपाल हो गया है; वह क्या करता है ? ट्यूबवेल आपरेटर क्या करता है ? इसको यहां बताने की जरूरत नहीं है। यह कर्मचारी क्या कलेक्टर से संबंधित हैं या शहरी जिन्दगी से इनका संबंध है ? सरकार को यह घोषणा करना चाहिये थी कि ग्राम स्तर की कर्मचारी हैं, जिनका संबंध ग्रामीण जनता से रहता है, वे ग्राम सभाओं अथवा उनके समूह के अन्तर्गत होंगे। अगर इसकी घोषणा की गयी होती तो मैं समझता हूं कि प्रजातंत्र की बुनियाद अब गांवों में जम रही है। प्रजातंत्र की बुनियाद इन आफिसरों के आंकड़ों के आधार पर नहीं जम सकती।

जहां तक पंचायत राज्य का संबंध है, इस संबंध में कई पुरानी कमेटियां बनी हैं और उन्होंने अपनी सिफारिशें दी हैं। मैं जानना चाहता हूं कि उनसे कितना फायदा सरकार ने उठाया। छोड़ दीजिये पुरानी बातों को, आपकी क्या इच्छा है, कौन सी नयी प्रेरणा आप उस दिशा में देना चाहते हैं, उसको ही आप समझाइये। मैं जब से इस आदरणीय विधान सभा का सदस्य हूं, मैंने बराबर यह मांग की है कि गांव सभाओं की भूमि का अपहरण रोका जाय। गरीबों के लिये हमदर्दी रखने वालों से, उनके लिये नारा लगाने वालों से, मैं पूछना चाहता हूं कि इसके लिये उन्होंने क्या कदम उठाया है, किस तरह से गांव सभाओं की भूमि के अपहरण आप रोकेंगे। आज क्या होता है ? फार्म १० सभापति इधर-उधर घूमता है, उसे अनधिकार हटाने का कोई रास्ता नहीं दीखता। आप कोई एक्सपेरीमेन्ट ही करके दिखायें कि लैंड रिकार्ड

का काम गांव सभा को हो। उधर जाते जाते न जाने क्या मर्ज है कि उधर बैठ के उसको सारी बात भूल गई।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)---

इसका आपको तजुर्बा है।

श्री कल्पनाथ सिंह---

लेकिन हमको बात याद है हुजूर, मैं दो साल का कांग्रेसी बीस साल की बात करता हूं लेकिन जो दो ही दिन से छोड़कर गये हैं उनकी क्या बात कहें। वही आपके नेता हैं। इस बात को समझ सोच कर बड़ी गम्भीरता से विचार करके कहना चाहिये। मैं इसलिये भी इस बात को कहना चाहता हूं कि अभी एक माननीय सदस्य भीखालाल जी तजुर्बे की बात कह रहे थे। उनके दल के माननीय सदन के सदस्य क्या कहते हैं। मांझा की जमीन के बारे में बड़ी गड़बड़ी है और यही मुख्य कारण है उनके सिर फूटने का। श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि आखिर गांव सभायें, ग्रामीण जनता, गांव में रहने वाले गरीब लोगों के अख्तियारात के बारे में जब जानकारी होती तो आज जिस तरह की बातें चल रही हैं वे न होती। यह कोई नई बात नहीं है। माननीय भीखालाल जी भी जानते हैं। वही झगड़े, वे ही सारी बातें, लाठी वालों का राज या पैसे वालों का राज, अब वही उधर उन्हीं लोगों का राज कायम हो गया है। मैं यह चाहता हूं कि यह राज समाप्त किया जाय, अगर इस राज को समाप्त करने में उधर के बैठने वाले लोग भी सहयोग करें। मैं श्रीमन्, नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि कि लोगों की आशाओं पर पानी फिर गया जिसका बहुत फक्र है वहां के बैठने वालों को। मेरा नम्र निवेदन है कि पंचायती राज के लिये बड़ा लम्बा समय लगेगा। बड़ी दिक्कत होगी। लेकिन श्रीमन्, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि आज माननीय मंत्री जी इस बात की इस आदरणीय सदन में घोषणा करें कि पंचायती राज क कल्पना जो गांधीवादी आदर्शों से सम्भावित हो सकती है उसके लिये अथवा जो जीवन के नैतिक मूल्य हैं, जो ग्रामीण स्तर के लोगों को ऊंचा उठाने के लिये, उनमें प्रजातान्त्रिक का पद्धति में विश्वास लाने के लिये, पंचायती राज की बापूजी की कल्पना को साकार करने के लिये। मैं फिर से यह चाहता हूं कि सदन में सरकार घोषणा करें कि यह सरकार अविलम्ब किसी ऐसी कमेटी का निर्माण करने जा रही है जो पूरी छानबीन करके और एक महीने के अन्दर इन की सरकार को रिपोर्ट दे दे। लेकिल मैं श्रीमन्, यह भी चाहता हूं कि भू-राजस्व का एक चौथाई पंचायतों को देने की आज सरकार घोषणा करे। उनका आर्थिक विकास किया जाय और यह सारा बजट जो आडिट आर्गेनाइजेशन का बजट कहा जायेगा, जो महज कर्मचारियों का बजट कहा जायेगा, जिसमें सेक्रेटरीज (पंचायत मंत्रियों) के लिये तो वैसा ही प्राविधान है जैसा कि प्यासे के आगे ओस फेंक दी गई हो और उनसे चाहते ये हैं कि वह सारी बात करें, सारा डिसिप्लिन मानें लेकिन पैसे के मामले में आप उसे सरकारी कर्मचारी मानने को तैयार नहीं हैं। यह खयाल मुबारक आपको। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, प्रजातान्त्रिक पद्धति किस प्रकार गांव सभाओं के माध्यम से बनाई जाय, कैसे लोग उसके बीच रहें, उसका एक अच्छा नमूना पेश किया जाय। मैं चाहता हूं कि सरकार इस बात की घोषणा करे, अधिक से अधिक पैसा उनको ग्रामीण उद्योगों में लगाने के लिये दिया जाय जिससे उनकी बेरोजगारी का इलाज निकल सके, उनकी भूखमरी का इलाज निकल सके और आये दिन जो उनकी फाकाकशी की चर्चा होती रहती है उसका कोई इलाज निकल सके। तब मैं समझूंगा कि इस सरकार ने कुछ काम किया। उपाध्यक्ष महोदय, आज क्षेत्र समितियों की क्या हालत है, क्षत्र समितियों में, जिला परिषदों में आपको एक आटोनामस बाडी की तरह से ट्रीट करने की जरूरत है। आपने उनको वित्तीय अधिकारी दिया, ठीक है, अच्छा किया कि वित्तीय मामलों में वे जिला परिषदों को सलाह देते रहें। अगर वे क्षेत्र समितियों में भी वित्तीय मामलों की सही ढंग से जानकारी लोगों को कराते रहें तो ठीक हैं। लेकिन जो आप यह करने जा रहे हैं

[श्री कल्पनाथ सिंह]

कि चीफ आडिटर साहब को इनके ऊपर बैठा दिया यह क्यों, यह बात मेरी समझ में आयी नहीं ।

एक सदस्य—

श्रीमन्, इसके लिये आप समय निश्चित कर दें कि प्रस्तावक महोदय को कितना समय मिलेगा और अन्य सदस्यों को कितना समय मिलेगा, क्योंकि इस अनुदान के लिये ४ बजे तक का ही समय है ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय कल्पनाथ सिंह जी, क्या आप बतला सकते हैं कि कितना समय आप और लेंगे ?

श्री कल्पनाथ सिंह—

श्रीमन्, आप जितना चाहें, जिससे आपको सुविधा हो, माननीय सदस्यों को सुविधा हो, मैं उन लोगों में नहीं हूं जो किसी बात में अड़ंगा लगाऊं ।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है, और भी माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, तो यथाशीघ्र आप अपनी बात कह कर समाप्त करें ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मैं अपनी बात यथाशीघ्र समाप्त करने की कोशिश करूंगा । मैं यह कह रहा था कि चीफ आडिटर साहब को उनके ऊपर क्यों बैठा दिया गया है जब कि जिला परिषद के अध्यक्ष ही इनके लिये काफी हैं, उनको कंट्रोल करने के लिये । यह क्या बात है ? अगर केंद्र की सरकार इस तरह का कोई आफिसर, या वित्त अधिकारी बैठा दे तो यहां के चीफ सेक्रेटरी साहब को कैसा लगेगा ? मैं समझता हूं कि यह स्थिति खराब है । ये जो चीफ आडिटर साहब हैं उनका कोई दूसरा नाम यहां दिया गया है, शायद प्रांतीय वित्त अधिकारी या क्या नाम है । लेकिन उनकी जगह एक नयी जगह नहीं बन जायेगी ? हो सकता है कि आज कोई नयी जगह न बने लेकिन हो सकता है कि कल को कोई दूसरा वित्त अधिकारी यहां पोस्ट हो और फिर वह कह दें कि एक पद से काम नहीं चल रहा है, इसलिये अब एकीकरण की जगह अनेकीकरण की जरूरत है । अकेले काम नहीं चलता इसलिये एक आदमी और बैठा दिया जाय । श्रीमन्, मुझे यह प्रजातांत्रिक पद्धति के विरुद्ध मालम होता है । मेरी सरकार से प्रार्थना है और सुझाव है कि जिले में अगर यह वित्त अधिकारी की पोस्टिंग करती है तो यहां से उस लिंक को तोड़ें और जिला परिषदों को, क्षेत्र समितियों को और पूरे पंचायती राज को एक आटोनामस बाडी की शकल में पैदा होने का अवसर प्रदान करे । फिर इस प्रदेश में एक नयी कल्पना की जा सकती है कि यह पंचायती राज का स्वरूप है । क्या दिक्कत है? आप मेहरबानी करके प्रयोग कीजिये, प्रजातंत्र का प्रयोग बहुत सारे देशों में किया जा रहा है और अभी भी हिन्दस्तान में इसका प्रयोग जारी है । लोग पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी की बात कह रहे हैं, प्रयोग हो रहा है । इसलिये आप से प्रार्थना है कि आप क्षेत्र समितियों के, जिला परिषद के और गांव सभाओं के अधिकार बांट दीजिये । खाली चुनावों का सीक्रेट बैलेट से करना ही काफी नहीं होगा । इस बात की कोशिश होनी चाहिये कि किसी को जाति और धर्म के नाम पर दबाया न जा सके और किसी की गरीबी का नाजायज फायदा न उठाया जा सके । मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी यदि इन सारी कुरीतियों को दूर करने की ओर कदम उठाया जायगा । लेकिन मुझे ऐसा मालूम होता है कि ऐसा होगा नहीं, दाल में कुछ काला मालूम होता है नहीं तो जब यह कहा गया था कि चुनाव सीक्रेट बैलेट से कराये जायेंगे, ये सारी बातें भी कह दी गयी होतीं ।

मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे सरकार को सुझाव दें, इधर के और उधर के दोनों ओर के माननीय सदस्य सुझाव दें। एक खास प्रार्थना मेरी उस दल के सदस्यों से है जो उधर बैठे हैं जो लोग पंचायत राज की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये चाहते थे कि भू-राजस्व का चौथाई भाग उनको दिया जाना चाहिये। आज यह अवसर है कि सब लोग इसके लिये मंत्री जी से कहें और माननीय मंत्री जी यह ऐलान करें कि भू-राजस्व का चौथाई भाग गांव पंचायतों को दिया जायगा। अगर ऐसा मंत्री जी न कहें तो मेरा कटौती का प्रस्ताव स्वीकार किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं इस कटौती के प्रस्ताव को प्रस्तुत करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष——

इसके अलावा जो और भी कटौती के प्रस्ताव† हैं वे प्रस्तुत किये हुए समझे जायें और माननीय सदस्यगण उन सब पर अपने विचार रख सकेंगे। इस ग्रांट के लिये समय निर्धारित हो चुका है। इसलिये आप लोग अपने भाषणों को विषय तक तो सीमित रखेंगे ही, १० मिनट में समाप्त करने का प्रयत्न करें। इसके लिय दस मिनट का समय निर्धारित किया जाता है।

श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)——

उपाध्यक्ष महोदय, आज यह जो अनुदान पंचायती राज और गांव सभाओं का प्रस्तुत हुआ है, उसके कटौती के प्रस्ताव पर मैं बोलना चाहता हूं। मुझे भी पहले कांग्रेस गवर्नमेंट के जमानें में ५ साल तक यहां सदस्य रहने का सौभाग्य प्राप्त रहा है। जिन विचारों को मैं आज कहने जा रहा हूं, उन विचारों को मैंने उस समय भी रखा था। कांग्रेस संस्था गांधी जी और जवाहर लाल जी के नेतृत्व में सदा चली जो गलती उनसे हुई उनको उन्होंने माना। कांग्रेस अगर कोई गलती करती थी तो हमें उस ओर इंगित करने का पूरा अधिकार था। लेकिन जब यह सरकार आयी तो हमें आशा थी कि हम कोई नयी चीज देखेंगे। लेकिन हम ने जब मंत्री जी का भाषण सुना तो हमें बड़ी निराशा हुई। जब पंचायत राज की नींव पड़ी तो उस वक्त श्री भगवत नारायण भार्गव उसके डायरेक्टर थे, उसी वक्त सारा काम हुआ, पंचायतें बनीं, और पंचायत मंत्री बने और लोगों को उससे यह आशा हुई कि गांधी जी के रामराज की स्वप्न की नींव अब पड़ी है और यह साकार होगा, हम समझे थे कि सारे कार्य इन पंचायतों के माध्यम से होंगे, लेकिन धीरे धीरे इन पंचायतों को माल विभाग तथा अन्य विभाग वालों नें दबोचना आरम्भ किया। उस वक्त मुख्य मंत्री जी और राजस्व मंत्री थे और लेखपालों की शिकायतें की जाती थीं तो वह कहते थे कि हमने तो नियम बना दिया है कोई व्यक्ति अगर लेखपाल के यहां इंतखाब के लिये जाता है और वह नहीं देता है तो गांव सभा से प्रधान के द्वारा नकल मिल सकती है। लेकिन गांवसभा के प्रधान को गांव सभा की ओर से कोई अधिकार नहीं दिया गया, यदि कोई प्रधान प्रभावशाली होते थे तो काम कर लेते थे वर्ना अधिकतर प्रधान कुछ नहीं कर सकते थे। आज मंत्री जी के भाषण से हमने समझा था कि आज हमें कोई नई दिशा इस संबंध में मिलेगी लेकिन हमें मायूसी हुई। मंत्री जी का जब हम ने भाषण सुना तो उन्होंने कहा कि पंचायत मंत्रियों के वेतन में उन्होंने महंगाई भत्ते का सवा ६ रुपया बढ़ा दिया है। जब उधर श्री राममूर्ति जी सामुदायिक विकास मंत्री थे तो यह मांग की गई थी कि पंचायत मंत्रियों को कम से कम सवा सौ डेढ़ सौ रुपये वेतन दिया जाय जो कि वी० एल० डब्ल्यू० को दिया जाता है क्योंकि वह भी वही काम करते हैं। आरम्भ में जब पंचायत राज की नींव पड़ी तो वहां गांव प्रधान और पंचायत मंत्री ही केवल थे, उन्होंने वहां सड़कें बनवाई, स्कूलों को कायम किया और उस के बाद वी०एल० डब्लू० और दूसरे

---

†देखिय मत्थी 'क' पीछे पृष्ठ पर।

[श्री मुक्तिनाथ राय]

लोग बने और उन का जन्म हुआ। इन पंचायत मंत्रियों को ५० रुपया वेतन मिलता है १२ रुपया महंगाई का और सवा ६ रुपया यह, इस तरह से कुल ६८.५० रुपये हुये जो आप इन पंचायत मंत्रियों को देंगे। जब कि समान कार्य के लिये समान वेतन देने का आप का मान्य सिद्धान्त है तो यह भेदभाव क्यों है। यह तो वैसे ही हुआ कि जैसे कोई आदमी लड़ाई जीतने के लिये चले और हथियार उस के पास टूटी हुई छड़ी मात्र हो। अगर आप चाहते हैं कि सही माने में पंचायत राज फूले फले जैसा कि श्री कल्पनाथ जी ने कहा कि पंचायतों को अधिकार दिया जाय कि वह पतरौल, पटवारी, आपरेटर वगैरा पर अपना पूरा कंट्रोल रख सकें। यह पंचायत मंत्री जो हैं, वह गांव सभाओं को सुचारु रूप से चलाते हैं और जैसा सरकार चाहती है उसके अनुसार वह हर कार्य को एग्जीक्यूट करते हैं। जो सारी मशीनरी को चलाने वाला है उस को कुल वेतम आज के जमाने में ६८ रुपया दिया जाय और कहा जाय कि वह हमारे नौकर नहीं हैं। जैसे पहले होता था, सवाल होता था और मंत्री जी का बहस का उत्तर होता था वहां आज भी मंत्री जी कहते हैं कि हम से उन का कोई मतलब नहीं है और वह तो गांव सभाओं के नौकर हैं। टीचर्स भी तो जिला परिषद् के अन्दर आते हैं तो आप ने क्यों उन के लिये सवा सौ रुपया वेतन की बात की है। आप ने डायरेक्टर पंचायत राज, इंसपेक्टर सब बनाये हैं, जब यह सभी सरकारी लोग हैं तो पंचायत मंत्री जो सारी संस्था को चलाते हैं, उन के साथ आप क्यों ऐसा कहकर सौतेली मां का सा व्यवहार करते हैं। सरकार ऐसा कहकर अपने को बचा नहीं सकती, अगर आप चाहते हैं कि पंचायतें ठीक ढंग से काम करें और गांधी जी के शब्द और इच्छा साकार हों तो जब तक आप इन का पेट नहीं भरेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। जब तक आप उन को लेखपालों से ऊपर नहीं रखेंगे तो सारी आशा निराशा में ही बदलती रहेगी। मंत्री जी ने भी कहा है और पूरा प्रदेश सोचता है कि बिना पंचायत के सुधार हुए राम राज्य नहीं आ सकता है लेकिन बड़ा दुख है कि राजस्व विभाग का हर आदमी और लेखपाल तक भी उनके ऊपर हावी रहते हैं। हमारे प्लानिंग विभाग में (सामुदायिक विभाग में) एक बी० एल० डब्लू होता है। उनके काम से कहीं अधिक काम हमारे पंचायत मंत्री करते हैं लेकिन फिर भी जब तक किसी कागज पर बी० एल० डब्लू० की रिकमेंडेशन नहीं होती तो वह बात नहीं मानी जाती। तो मैं नहीं समझ पाया हूं कि क्या जरूरत है कि क्षेत्र में एक बी० एल० डब्लू० रखा जाय और वही एक पंचायत मंत्री भी हो। गांव सभा का हर आदमी पंचायत मंत्री में ज्यादा आस्था रखता है और उसी के प्रभुत्व को मानता है लेकिन जब बी० एल० डब्लू० गांव में जाता है तो वे गांव में जाता है तो वे समझते हैं कि हमारा साहब आ गया है। माना कि बी० एल० डब्लू भी हमारे ही भाई हैं लेकिन इन दोनों में विशेषकर जबकि हमारे पंचायत मंत्री कहीं अधिक काम करते हैं, इस प्रकार का भेदभाव क्यों रखा जाय। मैं चाहता हूं कि उनमें कोई तफर्का न किया जाय। उन्हें ६८ रुपये प्रति माह न देकर और यह न समझकर कि वे सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, उनका वेतन बी० एल० डब्लू० के बराबर होना चाहिये।

यहां पर कहा गया कि पंचायतों का ढांचा ही खराब हो गया है। जब तक आप पंचायतों को राजस्व विभाग के लोगों से अलग नहीं करेंगे, जब तक उनका निजी अस्तित्व नहीं रखियेगा, तब तक कोई काम नहीं होगा। हमेशा प्रधान यह कोशिश करता है कि उनके डिप्टी, कानूनगो कहीं नाराज न हो जायं। तो जब तक यह भावनायें उनके अन्दर से नहीं हटेंगी, तब तक ठीक से कोई काम नहीं होगा। अगर पंचायत वाले गलती करते हैं तो पंचायत इन्सपेक्टर या सहायक पंचायत अधिकारी उनको सजा देंगे, अगर गांव सभायें गलत काम करेंगी, तो उनके हिसाब किताब को आडिटर चैक करेंगे और अगर कहीं पर गबन पाया जायगा तो कार्यवाही हो सकती है।

दूसरे पंचायतों को राजस्व का १/४ भाग मिलना चाहिये। जब तक उनके पास पैसा नहीं होगा तब तक ठीक से काम नहीं हो सकेगा।

अंतिम चीज जो मुझे कहनी है वह यह है कि न्याय पंचायतों का चुनाव भी गुप्त मतदान से पूरी गांव सभाओं में से हो न कि जो सदस्य गांव सभा चुन लिये जायें उन्हीं में से चुन लिये जायं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी गांव सभाओं में रचनात्मक कार्यों में रुचि होती है और बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जिनकी न्याय में रुचि होती है तो इस तरह से वे न्याय पंचायतों में आजायेंगे, ऐसे व्यक्तियों को आप चुनने की व्यवस्था करें। उनका भी इनडाइरेक्ट मतदान से चुनाव करायें। इन शब्दों के साथ में कटौती का प्रस्ताव समर्थन करता हूं।

श्री मुल्की राज (जिला सहारनपुर)--

श्रीमन्....

एक सदस्य--

श्रीमन्, मैंने कटौती का प्रस्ताव दिया है और मुझे समय नहीं मिला। हम पर्वतीय जिलों के काफी लोग हैं और अनुशासन प्रिय हैं, एक महीने से लतागार हम उठ रहे हैं लेकिन हमें मौका नहीं दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें, आप को अवश्य समय मिलेगा।

*श्री मुल्कीराज--

श्रीमन्, जो बजट पेश हुआ है उसका समर्थन करता हूं। जो बातें मैंने विरोधी पक्ष की ओर से सुनीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि वे अपना ही गुणगान कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। यह बजट ऐसे समय पर पेश हुआ है जब कि २० साल की बिगड़ती हुयी अर्थ व्यवस्था वर्तमान सरकार के हाथ में आयी। एक ऐसा मरीज मिला जिसको पथ्य देना पड़ रहा है। और हमारे साथी जो बीमारी के कारण हैं आज वे आशा करते हैं कि हम फौरन ही इस मरीज को उठाकर पहलवान बना दें। मुझे खुशी है कि विरोधी पक्ष के लोगों को हमारी अच्छी अच्छी बातें स्वीकार करने में देर नहीं लगी और आज वह महसूस कर रहे हैं कि काश पहले ही महसूस कर लेते तो गांव समाज की जो शक्ल उनके सामने आज है शायद वह सही रूप से देख सकते। सरकार के सामने निश्चित लक्ष्य हैं, जैसे यहां मालगुजारी के बारे में कहा गया तो माननीय मुख्य मंत्री ने घोषणा की कि ५ साल में उस लक्ष्य को पूरा करने का हमारा ध्येय है। इसलिये जो लक्ष्य हमारा है वह गांव समाज को जनतंत्र की नींव बनाना है और सुदृढ़ बनाना है और जो उनकी योजनायें हैं वे सफल होंगी। लेकिन यह सब ढाई महीने में नहीं हो सकता। पंचायतें गांव में बनती हैं छोटी छोटी आबादी पर। बुनियादी दोष ग्राम पंचायत संगठन में जो हैं उनकी ओर मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज की ग्राम पंचायतें कुछ इस किस्म की बनी हैं कि एक पटवारी के कागजात में जो गांव एक जगह लिख दिया गया वह पंचायतें एक जगह बना दी गईं। सहारनपुर में एक बिहारी गढ़ पंचायत है। जिसमें १४ गांव शामिल हैं, उसका चुनाव ऐसा होता है जैसे एक नगरपालिका के १४ वार्डों का होता है, फर्क सिर्फ वार्डों की दूरी का होता है। तो जो लक्ष्य बताया गया है ग्राम पंचायत का कि यह पंचायती राज गांवों के विकास का एक साधन बनेगी उसके आधार पर एक जगह बसे हुये गांव की एक पंचायत बनायी जाय। पुराने नियम में २५० की आबादी पर गांव पंचायत बन जाती हैं। और जहां आबादी २५० किसी गांव की नहीं है वह पंचायत नहीं माना गया। इसी तरह से हमारे सहारनपुर जिले में कई गांव हैं। उनकी भी बहुत बड़ी आबादी है। लेकिन पंचायत एक ही है। खेड़ी सिकरौल और गांजा दो गांव हैं और फासला ४ मील है लेकिन एक गांव पंचायत में लाये गये हैं। इसी तरह से इब्राहीमपुर, बेलकी तथा मसाही तीनों की पंचायत एक है। २५० की जनसंख्या की सीमा है। जिसमें विकास कार्य ठीक से चल सकता है। तो इनकी जनसंख्या तो २,००० है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मुल्कीराज]

पंचायत सेक्रेटरियों को तो पंचायत के मातहत माना गया है। ग्राम पंचायत प्रदेश की एक इकाई है। इसको पूरा अधिकार होना चाहिये कि सेक्रेटरी जो उसके मातहत है उसका वेतन वह दे और उन्हीं के मातहत सेक्रेटरी रहे लेकिन जब उसे अच्छा वेतन नहीं मिलता है तो पंचायत सेक्रेटरी ऐसी स्थिति में कैसे अच्छा काम कर सकता है। गांव में वी० एल० डब्लू० भी है। गांव समाज का सेक्रेटरी, गांव पंचायत का सेक्रेटरी तथा वी०एल०डब्लू० को प्रधान के आदेश पर काम करना चाहिये लेकिन ऐसा नहीं होता है। और हाजिरी भी ६ महीने तक नहीं होती हैं। गांव समाज की भूमि का अगर ठीक से प्रबन्ध करना है तो पटवारी, पंचायत सेक्रेटरी तथा गांव सभा के प्रधान को एक सूत्र में काम करना होगा लेकिन गांव समाज की भूमि आज प्रबन्ध ऐसा है कि वह भूमि दबा ली जाती है और माननीय मुख्य मंत्री ने उसे स्वयं स्वीकार किया है कि प्रधानों ने बहुत सी भूमि बांट ली है। और भूमिहीनों को भूमि नहीं दी गई है जिससे लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो सकी। इसके लिये क्या इस सरकार के आने के पहले कोई कार्यवाही नहीं होनी चाहिये थी? लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गयी। ढाई महीने की इस सरकार ने यह कदम उठाया है फिर जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री ने आश्वासन दिया है उनके खिलाफ कार्यवाही होगी।

गांव के रास्ते भी थोड़े से श्रमदान से ठीक नहीं हो सकते। उसके लिये जिम्मेदारी ठहरानी होगी। कौन उस आदमी को पकड़े जो उस रास्ते को तोड़ रहा है? गांव का एक आदमी गांव की मोहब्बत में दावा करता है, जेब से पैसा खर्च करता है और गांव सभा का प्रधान पंचायत के फंड से पैसा खर्च करता है। इसलिये पंचायत सेक्रेटरी गांव समाज के सेक्रेटरी तथा प्रधान की जिम्मेदारी होनी चाहिये कि वे सरकार को एक हफ्ते के अन्दर रिपोर्ट दे कि कौनसा रास्ता खराब है अगर वे इसकी रिपोर्ट न दें तो इसके लिये उन्हें दंडित किया जाय। लेकिन ऐसा नहीं किया जाता है। जिलों की अदालतों में बहुत से मुकदमें ऐसे चल रहे हैं जो गांव की भूमि तथा गांव के रास्ते हैं। लिहाजा वी० एल० डब्लू०, पंचायत सेक्रेटरी तथा पटवारी तीनों को एक जगह करके इस काम को ठीक कराया जाय।

इसी तरीके से अगर हम नीचे से सुधार करते चलेंगे और नियमों का पालन करायेंगे तो काम ठीक होगा। पैसा वाकई कम है। मैंने और मेरी पार्टी ने हमेशा भू-राजस्व में से धन देने की बात कही है लेकिन अब तो भू-राजस्व भी खत्म होने जा रहा है, अब उसमें से देने की बात ही नहीं है। लेकिन सरकार का दूसरा बजट तो है। गांव पंचायतों को जब तक धन देकर ऊपर सशक्त नहीं किया जायगा तब तक गांव पंचायतें विकास की ओर नहीं चलेंगी। पैसा है, चाहे वह पंचायतों के नाम से है पर है चाहे विकास के नाम पर है, लेकिन नीचे से लेकर ऊपर तक अगर हम उसका सदुपयोग कर सकें तो जो नक्शा हमारे दिमाग में है और जो हमारे विरोधी पक्ष के साथी साकार देखना चाहते हैं, उसमें हम आगे बढ़ सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य का समय खत्म हो गया।

श्री मुल्कीराज--

तो इन शब्दों के साथ में प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री इन्द्रमणी (जिला टेहरी गढ़वाल)--

उपाध्यक्ष महोदय, आज जो बजट प्रस्तुत है और जिस पर ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, क्षेत्र समिति और जिला परिषद् के विषय में चर्चा हो रही है, मैं आपको बतलाऊं कि सरकार बदली और

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस बदली हुई सरकार से हम लोगों को आशा थी कि उन मूल सिद्धान्तों की ओर यह सरकार जाती जिससे यह पता चलता कि क्यों ये ग्राम पंचायतें, ग्राम सभायें, जिला परिषद् और क्षेत्र समितियां ठीक प्रकार से काम नहीं करतीं। हमारे मंत्री महोदय की ओर से एक चिट्ठा प्रस्तुत कर दिया गया। अगर आप उस चिट्ठे को देखें तो उसमें पंचायतों की संख्या, ग्राम सभाओं की संख्या, न्याय पंचायतों की संख्या, क्षेत्र समितियों की संख्या ही दी हुई है। यह संख्या तो कोई भी माननीय सदस्य कहीं से भी प्राप्त कर सकता था। इसके अलावा माननीय मुख्य मंत्री ने भी कल कहा था कि ग्राम सभाओं के प्रधानों की ओर से गलत जमीन बंटी है। मैं मानता हूं इस बात को। सवाल इस बात का था कि आप भी इस बात को मानते हैं, मैं भी मानता हूं और सारा सदन मानता है कि हमारा जो नियोजन था और खास कर कृषि संबंधी नियोजन उससे हमको जितना लाभ होना चाहिये था वह नहीं हुआ। आप इस नियोजन का दोष क्षेत्र के कर्मचारियों पर देते हैं। बात यह नहीं है। क्षेत्र के कर्मचारियों ने किसके माध्यम से यह काम कराया, यह भी आपने सोचा है? हमारे विकल जी परसों कह रहे थे कि हम घर-घर जाकर बात को मालूम करते हैं। लेकिन इस बजट को रखने के पहले तो आप इस बात को मालूम कर लेते कि आखिर दोष किसका था। सोचने की बात यह थी कि ये ग्राम सभायें, क्षेत्र समितियां आदि किस प्रकार से ठीक काम कर सकती हैं। आपने जो विकेन्द्रीकरण किया है वह नाम मात्र का है जो पिछली सरकार ने किया वही आप कर रहे हैं। यह सरकार इस तरफ बैठ गयी, आपको भी इधर बैठना पड़ेगा। पावर्स आप कितनी ही दीजिये लेकिन रुपये पैसे का मामला बिलकुल अपने हाथ में रखिये। ग्राम सभा की निधि का कहीं जिक्र नहीं है और क्षेत्र समिति की निधि का कहीं जिक्र नहीं है। आप उनके सभापति को दोष देते हैं लेकिन उनका भी नहीं है। आप विकास के लिये रुपया तो देते लेकिन सीलिंग फिक्स कर देते हैं। आपने कह दिया कि फलां-फलां चीज के लिये इतना-इतना रुपया देना होगा। इसलिये जिन चीजों के लिये वह रुपया देना चाहता था उनके लिये वह नहीं दे सकता।

इन समस्याओं की ओर तो काफी ध्यान दिलाया गया है। अब मैं पर्वतीय समस्याओं की ओर ध्यान दिलाऊंगा। आज पर्वतीय समस्यायें पर्वतीय जिलों की ही नहीं रही हैं बल्कि सारे देश की समस्यायें हैं क्योंकि देश की सुरक्षा का सवाल है। हमारे जिले तिब्बत से मिले हुये हैं और जिस जिले की मैं बात कर रहा हूं वह टेहरी गढ़वाल है। आज से १७ साल पहले यह एक रियासत थी। इसको इसलिये विलीन किया गया था कि अन्य जिलों को जो अधिकार मिले हुये हैं वह हमको भी मिल जायें। लेकिन १७ साल के बाद भी वहां जो जंगल हैं वे पंचायत के अधीन नहीं हैं। पंचायत के पास दो रुपये भी पंचायत मंत्री को देने के लिये नहीं हैं तो बताइये कैसे काम चलेगा। वहां के जंगल कट चुके हैं। अगर पहाड़ों में जंगल कटेंगे तो बाढ़ आयेगी और देश बरबाद होगा। हमने निवेदन किया कि पौड़ी गढ़वाल, चमोली और टेहरी गढ़वाल में भी पंचायत बना दें जिससे वहां के लोगों का तो फायदा होगा ही लेकिन मैदान के लोगों का भी फायदा होगा क्योंकि आज कल वहां के जंगलों का कोई रक्षक नहीं है। इसके अलावा पहाड़ों में जो जंगल हैं उनसे जो आमदनी होती है उसका कुछ हिस्सा जिला परिषद, क्षेत्र समिति और पंचायतों को दिया जाय ताकि ये अपना काम अच्छी तरह से कर सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, यह मानी हुई बात है कि पंचायतें तभी अच्छी तरह से अपना काम कर सकती हैं जब उनका आर्थिक विकास किया जाय। एक तरफ तो संयुक्त विधायक दल ने घोषणा की है कि एक्जीक्यूटिव से जुडीशियरी अलग होगी और दूसरी ओर उन्होंने आनरेरी मैजिस्ट्रेटों के पदों को खत्म कर दिया है। लेकिन आज जो न्याय पंचायतों ने काम किया है उसकी माननीय मंत्री जी ने इस माननीय सदन में बड़ी प्रशंसा की है। जब आप मान चुके हैं कि आनरेरी मैजिस्ट्रेट उचित नहीं हैं तो फिर न्याय पंचायतों को क्यों रख रहे हैं? एक तरफ तो आप आनरेरी मैजिस्ट्रेटों के पद समाप्त करते हैं और दूसरी तरफ न्याय पंचायतों के काम को बड़ा सुन्दर बताते हैं। यह बात हमारी समझ में नहीं आती है। अपने उसूलों से आप स्वयं

[श्री इन्द्रमणी]

बदल रहे हैं। हम नहीं समझते कि इस तरह से आप कहां जायंगे। इन शब्दों के साथ, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देकर अपना भाषण समाप्त करता हूं।

*श्री अश्वनीकुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला मिर्जापुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, अभी-अभी इस बजट के सम्बन्ध में कुछ बातें साथियों की सुनने को मिलीं। उन्होंने कई बातों को इस रूप में रखा कि मानो जो व्यवस्था इस समय की जा रही है उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी वर्तमान सरकार की हो। मैं जहां वे तमाम आलोचनाएं और प्रत्यालोचनाएं करना चाहूंगा उन तमाम कार्यक्रमों को जो अब तक चल रहे हैं और जिस सम्बन्ध में अभी तक यह वर्तमान सरकार कोई विशेष कदम नहीं उठा सकी है, वहीं पर मैं यह भी कहना चाहूंगा कि एक लम्बा अरसा गुजर गया आजादी के बाद, हम यह महसूस करते हैं कि नियोजन और अब तक की व्यवस्थाओं में बहुत सारी गड़बड़ियां रहीं। सभी लोग यह महसूस करते हैं चाहे जिला परिषदें, क्षेत्र समितियां या पंचायतें रही हों। इन संस्थाओं की प्रणाली में बहुत ही बड़े-बड़े दोष रहे हैं। जहां तक विकास क्षेत्रों का संबंध है शायद ही कोई ऐसे विकास क्षेत्र हों जिनके विकास के नाम पर यह कहा जा सके कि आदर्श विकास योजनायें चलायी हैं। प्रदेश की जनता उनको अंधकूप के रूप में महसूस करती रही है। अगर पंचायतों को देखा जाय तो उनकी कार्य प्रणाली में बहुत से दोष रहे। उनकी सारी की सारी चुनाव प्रक्रिया कुछ इस ढंग से बनती रही जिस से वह किसी दल विशेष के लिए अड्डेबाजी का साधन बन जायं। इस तदर्थ रूप में महसूस करते हैं कि जहां कहीं भी प्रक्रिया बनायी गयीं वहां कुछ अपने लोगों के हितों को आगे रखते हुए वे चुनाव प्रक्रियाएं आगे बढ़ती रहीं। मैं उन तमाम जिला परिषदों की ओर जिनके सम्बन्ध में तमाम कार्यवाहियां हो रही हैं विशेष ध्यान आकर्षित करना नहीं चाहता। लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि भले ही इस सरकार ने विशेष कदम न उठाया हो उस प्रक्रिया में परिवर्तन करना होगा यद्यपि हम महसूस करते हैं कि प्रशासनिक प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन करने की अविलम्ब सम्भावना प्रतीत नहीं होती लेकिन समय रहते कुछ न कुछ परिवर्तन, परिवर्धन और संशोधन करने होंगे अवश्य।

आप गांवों में जायं एक ही कार्य के लिए विविध कार्यप्रणाली है। एक खाद का गड्ढा या कुआं खोदा गया। पता चला कि ग्राम सेवक ने भी उसे अपने रजिस्टर में दर्ज कर लिया, पंचायत मंत्री ने भी दर्ज कर लिया और ए० डी० ओ० ने भी दर्ज कर लिया। मैं आशा करता हूं प्रशासनिक योजना में निश्चित रूप से अवश्य परिवर्तन करेंगे। जहां तक लोकतन्त्र और विकेन्द्रीकरण की परिभाषा में इस व्यवस्था का सवाल है पंचायतों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्षेत्र समितियों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यह बिलकुल सत्य है कि देश की धुरी और जीवन यही पचायतें हैं, लेकिन जिस तरह से कार्यक्रम आगे बढ़ाये जाने चाहिये थे इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये, वह नहीं बढ़ पाये और इसकी जिम्मेदारी विरोधी बन्धुओं पर है। अब परिवर्तनों के लिये हम समय की मांग अवश्य कर सकते हैं। हमारी वर्तमान सरकार ने निश्चित रूप से कुछ कदम उठाने का निर्णय लिया है। जिला परिषदों के सम्बन्ध में चर्चाएं आयी हैं किन्तु कुछ वैधानिक और दूसरे किस्म की बाधाओं के कारण हम अभी तक इच्छानुकूल स्थिति तक नहीं पहुंच पाए हैं और इसीलिए कुछ क्षेत्र समितियों के बारे में भी निश्चय नहीं हो पाया।

विकास क्षेत्र : क्षेत्र समितियों के माध्यम से उद्योग-धंधों के विकास का बड़ा प्रयत्न होता रहा है। जनता को उद्योग-धंधों के विकास के लिये ऋण की व्यवस्थाएं की जाती रही हैं, किन्तु वास्तव में कहीं कोई विकास कार्यक्रम प्रतीत नहीं होता है और यदि इस समय हम यह कहें कि जितनी ग्राम पचायतें और जिला परिषदें हैं उनकी जांच की जाए और साथ ही उनके जितने अधिकारी–कर्मचारी या ब्लाक प्रमुख या जिला परिषद् के अध्यक्ष हैं उनकी भी जांच की जाए

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तो उनमें से कोई भी साफ नहीं बचेगा, उन सब में बड़े-बड़े गोलमाल इस बारे में मिलेंगे। इसमें बहुत-सी असंगतियां भी रही हैं---पंचायत मंत्रियों की मांग आई सरकारी और गैर-सरकारी कर्मचारियों का भेद मिटा दिया जाए जो एक से एक ही क्षेत्र में काम करते हैं। इन सारी असंगतियों की जिम्मेदारी हमारे उन बंधुओं पर आती है जो विकास व लोकतान्त्रिक समाजवाद के नाम पर योजनाओं को और धन को केन्द्रीभूत और संगठित करते रहे हैं। तो मैं यह कहना चाहूंगा कि उन असंगतियों को दूर करते हुये साथ ही साथ गांव अधिकारी जो गांव में रहते हैं चाहे पंचायत अधिकारी हों, ग्रामसेवक हों या लेखपाल की हैसियत से वे काम करते हों उन

(इस समय ४ बज कर २ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुन : पीठासीन हुए।)

सब में जो काम का विकेन्द्रीकरण कर दिया गया है और उससे जो जनता के धन का विकेन्द्रीकरण और अपव्यय हो गया है उसे अविलम्ब दूर किया जाना चाहिये और इस दिशा में प्रशासनिक परिवर्तन होना चाहिये, गैर सरकारी और सरकारी का भेद दूर होना चाहिये। गांव का पंचायत मंत्री जितना काम करता है, उसके पास जितने रजिस्टर रहते हैं उतने शायद किसी दफ्तर में भी रजिस्टर नहीं होते हैं। मैं कहता हूं, हमें यह देखना है कि जिम्मेदारी कहां है। जब हम ऊपर से नीचे तक विकेन्द्रीकरण की बात करते हैं तो यह भी देखना चाहिये कि देश के भविष्य को आगे ले जाने वाले कौन हैं। तो पंचायत मंत्री ही पहली रीढ़ और इसका आधार बनता है, जिसके आधार पर हमारा लोकतान्त्रिक समाजवाद सरकार आगे बढ़ा सकती है। लेकिन इसकी ओर हमारे विरोध पक्ष के साथियों ने कभी ध्यान नहीं दिया। मैं अपनी वर्तमान सरकार से कहूंगा कि आप निश्चित रूप से उनकी तरफ ध्यान दीजिए और अब तक जो यह 'फूट डालो और राज्य करो" की स्थिति रही है और जो गलतियां और भूलें उस तरफ बैठे हुये साथियों की सरकारकी ओर से होती रही है वह समाप्त हों। उन गलतियों में सुधार होना चाहिये। साथ ही साथ जो कर्मचारी गांवों में रहते हैं उनकी दशा में सुधार होना चाहिये। साथ ही साथ अलग अलग योजनायें बना कर के जो एक-एक काम पर तीन-तीन कर्मचारी रखे गये हैं उनके तरीके में परिवतन अवश्य होना चाहिये। जहां तक प्रजातांत्रिक सुधार की बात है यह सही है कि गांव पंचायतें चुनी जायं और न्याय पंचायतें चुनी जायं। अभी तक तो होता यह रहा है कि गांव पंचायतों का चुनाव हुआ, न्याय पंचायतों का चुनाव हुआ लेकिन उसी सीमित रूप में रहने से प्रजातांत्रिक सिद्धान्तों का हनन होता है उसका पालन तो निश्चित रूप से होना चाहिये लेकिन उसको इस तरह से बढ़ाना चाहिये जिससे उसकी क्षमता बढ़ाई जा सके। आज जब हम नयी धारा की ओर बढ़ रहे हैं तो पुराने नियोजन की बात को निश्चित रूप से ताक पर रख कर अगर हम कोशिश करेंगे तो जो खामियां हैं वह तो दूर होंगी ही लेकिन यह भी आवश्यक है कि जहां एक ओर हम औद्योगिक और कृषि विकास की ओर आगे, भ्रष्ट अधिकारियों को निकालें वहां साथ-साथ हम यह भी सोचें कि किस तरह से पंचायतों के आधार पर, गांव सभाओं के आधार पर हम उद्योग धंधों को बढ़ावें और कृषि तथा उद्योग के विकास में इस तरह समन्वय संस्थापित करें जिससे जो भ्रष्टाचारक बातें हैं उनको दूर किया जा सके। इन तमाम बातों को लेते हुये मैं इस बजट का समर्थन करता हूं। शेष बातें जो कहनी हैं वह हमारे साथी कह ही देंगे।

लखनऊ में गोमती नदी पर बने 'हनुमान सेतु' पुल के सिंक हो जाने के संबंध में कार्यस्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५१ के अन्तर्गत दी गयी सूचनाओं पर वक्तव्य

श्री अध्यक्ष---

अब मेरे सामने कुछ कार्यस्थगन प्रस्तावों की सूचनायें आयी हैं। माननीय नेकराम जी शर्मा ने जिस विषय पर भेजा है उसी पर माननीय श्री श्रीराम जी तिवारी का भी है। माननीय श्री मधुकर दिधे, माननीय श्री प्यारेलाल और माननीय श्री उग्रसेन की नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें आयी हैं। इनमें से मैंने किसी को स्वीकार तो नहीं किया है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, मेरा भी एक है।

श्री अध्यक्ष—

मैंने तो माननीय नेकराम जी का लिया है। वह इस प्रकार है:—

"लखनऊ में स्थित हनुमान सेतु जिस पर लगभग साढ़े तैंतीस लाख रुपये की लागत से फरवरी, १९६७ में निर्माण सम्पन्न हुआ था वह कल रात सिंक हो गया है। फलस्वरूप लखनऊ की एवं प्रदेश की जनता में भारी असन्तोष है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग ने किस तरह से राष्ट्रीय धन का दुरुपयोग किया है। ऐसे अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रस्ताव पर आज यह सदन अपना कार्य स्थगित करता है।" इसी विषय पर और माननीय सदस्यों की भी सूचनायें हैं जैसा मैंने अभी बताया लेकिन ऊदल जी आपकी कोई सूचना नहीं है।

श्री ऊदल—

मैंने उसे आपके दफ्तर में साढ़े दस बजे भिजवाया था। उसका उत्तर जो मुझे मिला है..

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, इस में आपका नाम है। आपने जरूर भेजा होगा और वहां चला भी गया। तो अब मैं इस पर एक वक्तव्य चाहूंगा। माननीय मंत्री जी वक्तव्य कब देंगे?

मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)—

परसों।

श्री अध्यक्ष—

मैं एक बात बताऊं। एक कठिनाई है जिस में माननीय सदन का मैं परामर्श चाहता हूं। जब तक बजट ग्रान्ट्स चल रही है अगर कार्यस्थगन प्रस्ताव, नियम ५१ व ५२ में जो प्रस्ताव आते हैं तो जो आपने नियम बनाये उनके अनुसार वह ४ बजे के बाद आते हैं और मैं उनके लिये ४ बजे के करीब इंटेरेप्ट करता हूं। अगर आपकी अनुमति हो तो जब तक ये मांगें चलें हम ४।। बजे तक मांगों पर मतदान कर लें और ४।। बजे से इन सूचनाओं को ले लिया करें। इसके विपरीत अगर किसी माननीय सदस्य की राय हो तो वह कृपया बता दें।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन्, मेरी राय यह है कि सवेरे प्रश्नोत्तर के बाद जब विशेषाधिकार वगैरह के प्रश्न लेते हैं उसके बाद ही इसको भी ले लिया करें तो अधिक सुविधाजनक होगा।

श्री ऊदल—

श्रीमन्, जो बात माननीय नेकराम जी शर्मा ने कही वह बिलकुल मुनासिब है और इसी बात को हम लोग हमेशा से कहते रहे लेकिन माननीय कृष्णा नन्द राय और ये लोग इन नियमों में परिवर्तन करा कर जो सबेरे यह काम लिया जाता था और १५ साल से बराबर ऐसा होता आया है, हम देखते रहे हैं, उसको बदलवा कर ४ बजे कर दिया। बहुमत के बल पर उन्होंने इसको बदलवा दिया। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि जब एक प्रणाली शुरू हो गई है उसके मुताबिक कुछ दिन चलने दिया जाय और जब तक नियम समिति में भेज कर इस नियम में परिवर्तन न हो जाय यह समय में परिवर्तन न किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

जब तक किसी एक माननीय सदस्य को भी आपत्ति है तो फिर नियम के अनुसार ही यहां का काम होगा, लेकिन अगर सारे सदस्य चाहते हैं कि किसी विशेष परिस्थिति में, जैसे कि विशेष

परिस्थिति आज इस बजट की मांगों के मतदान के सम्बन्ध में है, उस अन्त:कालीन समय के लिये जितने समय तक मतदान चलते रहें, उसके लिये मेरा सुझाव था कि उस समय तक मतदान चला लें और उसके बाद जब नियम बदल जाय तो वैसा कर लें। अगर माननीय सदस्य चाहें तो नियम बदल लें। इस सम्बन्ध में मैं नेता सदन का मशविरा चाहता हूं।

श्री चरणसिंह—

मेरी अपनी राय यह है कि जो नियम बन कर आ गये उस पर हमको अमल करना चाहिये लेकिन ४ बजे के बाद यह रिवाज था तो जब तक बजट पर बहस चल रही है उसके बजाय ४।। बजे यह हो जाय तो मुझे एतराज नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

नियम के अनुसार कार्य करेंगे केवल जब तक यह मतदान चल रहा है लगभग ४।। बजे से इन सूचनाओं को लेंगे।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

हम लोग जो नियम ५१, ५२ के अन्तर्गत सूचना देते हैं और उस पर जो वक्तव्य होता है यह हनुमान सेतु का विषय भी उससे सम्बन्ध रखता है। यह हनुमान सेतु माननीय गुप्ता जी ने विशेष फंड देकर बनवाया था। इस पर ३४ लाख रुपया खर्च हुआ है जो बाढ़ का रुपया था। उससे काट कर यह लखनऊ का पुल बनवाया गया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

यदि माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री वक्तव्य अभी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री मंगलदेव विशारद)—

मैं तैयार हूं, अभी दे सकता हूं। परसों को भी दे सकता हूं।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

आपने पहले पूछा था तो मंत्री जी ने बताया कि वह तैयार हैं। उनको वक्तव्य देने दें। शर्मा जी के पास उनकी कापी भी पहुंच चुकी है।

श्री अध्यक्ष—

मैंने साधारण रूप से हमेशा आग्रह किया है कि जो ये प्रश्न हैं उन पर दिन के दिन सरकार की तरफ से वक्तव्य आ जाय। कल भी जब मैं सदन में आया तो मुख्य मंत्री जी से कहा कि अगर वह वक्तव्य देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। मैंने कार्यक्रम को देखकर उनसे वक्तव्य देने को कहा। मैं समझता हूं कि आज जो कार्यक्रम आपके सामने है उसे देख कर अपनी बात कहिये। यह ठीक है कि उन्होंने आज ही वक्तव्य देने को कहा था, लेकिन मुख्य मंत्री जी की जो बात है उसे भी आप देख लीजिये।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

आप की आज्ञा के अनुसार माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी ने अपने वक्तव्य की कापी भी मुझे दे दी है और वह वक्तव्य देने के लिये तैयार हैं।

श्री अध्यक्ष—

तो ठीक है। अगर वे वक्तव्य देना चाहते हैं तो दे दें।

श्री मंगलदेव विशारद---

अध्यक्ष महोदय, यह सूचना पर्णतया निराधार है कि लखनऊ में स्थित हनुमान सेतु कल रात को सिंक हो गया है। स्थिति इस प्रकार है :---

इस पुल में कोई भी क्षति नहीं हुई है। शहर की ओर से इस पुल की ओर जाने वाली सड़क के किनारों पर एक जगह दाहिनी ओर और दो जगह बायीं ओर कल की भारी वर्षा के कारण कुछ कटान हुये हैं। दाहिनी ओर के कटान का प्रभाव केवल पटरी के ६ फीट लम्बे और ५ फीट चौड़े टुकड़े पर पड़ा है। बायीं ओर के कटान का प्रभाव एक जगह तो केवल पटरी के ३ फीट चौड़े और ६ फीट लम्बे टुकड़े पर पड़ा है और दूसरे कटान का प्रभाव पटरी की ५० फीट लम्बाई और ५ फीट चौड़ाई पर पड़ा है। इस बड़े कटान का असर पक्की सड़क की २ फीट की चौड़ाई पर भी हुआ है।

पांच-पांच फीट की दोनों ओर की पटरियों को छोड़ कर इस पक्की सड़क की चौड़ाई ४८ फीट है। सामान्य रूप से इस २ फीट के कटान से यातायात में कोई बाधा नहीं है।

कल रात को यातायात को बन्द करने का कारण यह था कि वर्षा की अंधेरी रात में सड़क के इस कटाव से कोई यातायात की दुर्घटना न हो जाय। यातायात आज सबेरे ४ बजे से खोल दिया गया है। सुरक्षा के लिये सड़क व पटरी के कटे हुये भाग पर रोक (बैरीकेट) लगा दी गई है। और इन टुकड़ों के सुधार का काम जारी है।

इस कार्य की मरम्मत में अनमानित व्यय ५०० रु० से अधिक न होगा।

गल्ला वसूली योजना के अन्तर्गत किसानों की कठिनाइयों के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष---

अब इसके अतिरिक्त मेरे पास नियम ५१ में कुछ सूचनायें आयी हैं। इनमें से मैंने माननीय भगवती सिंह विशारद जी की सूचना को स्वीकार किया है। इसी प्रकार की सूचना माननीय राजबहादुर शुक्ल, एम० एल० ए० सीतापुर की थी, जिसे भी मैंने वक्तव्य के लिये स्वीकार कर लिया है। यह इस प्रकार है :---

"प्रदेश में गल्ला वसूली योजना के अन्तर्गत किसानों को गल्ला देने के लिये ३० जून तक की तिथि निर्धारित की गयी थी, किन्तु इस तिथि से पूर्व ही उन्नाव जिले में गल्ला न देने वाले किसानों को पकड़-पकड़ कर तहसील में बन्द करना शुरू कर दिया गया है जिसके कारण किसानों में असन्तोष व रोष उत्पन्न हो गया है। अतएव इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को अध्यक्ष की अनुमति से सदन में पेश करना चाहता हूं।"

अब इस पर माननीय मंत्री जी क्या वक्तव्य के लिये तैयार हैं ?

खाद्य उप मंत्री (श्री शमीम आलम)---

अध्यक्ष महोदय, इसके लिये कुछ समय दरकार होगा। परसों दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष---

कल क्यों नहीं सम्भव हो सकेगा। इसके लिये तो आप टेलीफोन से जानकारी हासिल कर सकते हैं। आप कल वक्तव्य दे दीजिये।

श्री शमीम आलम---

जैसी आप की आज्ञा हो। कल ही दे दूंगा।

सदन का समय न बढ़ाये जाने के संबन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है। इस सदन में कोई कार्यक्रम समय के अन्दर ही हो सकता है और समय केवल दो प्रकार से बढ़ सकता है। एक तो अध्यक्ष महोदय स्वयं घोषणा करें और वह केवल १५ मिनट तक कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि सदन स्वयं निश्चित करे कि इतने समय तक बैठेंगे। कल संध्या समय ५ बज कर २ मिनट पर न तो उस समय के उपाध्यक्ष ने समय अपने अधिकार से बढ़ाया और न सदन से समय बढ़ाने की कोई आज्ञा ली। इसलिये मैं यह व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं कि कल जो ५ बजे के बाद की कार्यवाही है वह कार्यवाही से हटा दी जाय।

श्री अध्यक्ष—

माननीय शुक्ल ने एक आपत्ति उठाई। वैसे तो परम्परा यह रही है कि जो इस आसन पर बैठासीन व्यक्ति या उपाध्यक्ष होते हैं उनकी व्यवस्था पर दोबारा व्यवस्था नहीं होती है। मैं उस पर तो व्यवस्था नहीं देने जा रहा हूं लेकिन एक बात बताना चाहता हूं कि यह जो बात कही गयी समय बढ़ाने की, इसकी प्रक्रिया होती है यह ठीक है, लेकिन जब कल की प्रोसीडिंग्स को मैंने पढ़ा—उस समय मुझे खेद है कि मैं सदन में नहीं रह सकता था—तो मुझे आश्चर्य हुआ। कदाचित् सदन के माननीय सदस्यों के ध्यान से एक बात निकल गयी। परसों इस सदन में न्याय मंत्री ने एक प्रस्ताव रखा था "कार्यक्रम अगले हफ्ते का"। उसमें उन्होंने यह सूचना दी थी कि ५ बजे के बाद उस विधेयक पर वाद-विवाद होगा। इसके माने भी यह होते हैं कि सदन की मौन सहमति उस में हो गयी। लेकिन मैंने मौन सहमति तक नहीं छोड़ा। उसके बाद मैंने स्वयं अपराह्न में इस सदन के समक्ष यह कहा कि यह जो सुबह सूचना दी है न्याय मंत्री ने, उसके फलस्वरूप आवश्यक होगा कि ५ बजे के बाद इस पर वाद-विवाद होगा। इधर से किसी ने पूछा कि समय कितना होगा, तो मैंने कहा कि समय सदन की इच्छा से तय कर दूंगा।

ऐसी शकल में जिस प्रक्रिया का माननीय शुक्ल जी ने जिक्र किया वह प्रक्रिया पूर्ण हो गयी और इस सदन की सहमति बाई इम्पलीकेशन नहीं बल्कि बाई स्पेसिफिकेशन, स्पष्टतया प्राप्त हो चुकी। यह कल के बारे में स्थिति थी।

१९६७–६८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—

अनुदान संख्या १२—गांव सभाएं और पंचायतें (क्रमागत)

श्री कल्पनाथ सिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस बहस में हिस्सा लिया। वैसे मैं यह जरूर सोचता था कि कुछ माननीय सदस्य इसमें हिस्सा लें तो ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन जो दिक्कत है आपको मालूम है। मैंने पहले भी कहा था कि हर बात में २० साल वाली बात जोड़ना अवांछनीय है। मैं कोई मुकाबला नहीं करना चाहता पुरानी सरकार का या इसका, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री जी या वह माननीय सदस्य जो २० साल का जिक्र करते हैं वह कहें कि जितनी पिछले दिनों में ग्रामीण जनता को बिजली की सुविधाएं प्राप्त हुई हैं वह सभी सुविधाएं इस सरकार से इस साल प्राप्त होंगी या उसी तरह से वह प्राप्त होंगी जो पिछले सालों में प्राप्त होती रही हैं? श्रीमन्, बिजली से ही आज की सभ्यता और संस्कृति चल रही है। आज अगर बिजली बन्द हो जाय, यहां सदन की बिजली बन्द हो जाय, पंखे चलना बन्द हो जायं तो यहां का कार्य ही रुक जाय। तो जो काम बिजली देने का पिछले सालों से चल रहा था और जिसके आधार पर गांवों में उद्योग धंधे चल रहे थे, उस काम को इस सरकार ने रोक दिया। अगर नहीं रोका है तो मुझे खुशी होगी, माननीय मंत्री जी अपने भाषण में उसे बतायें। जितना इलेक्ट्रीफिकेशन पिछले सालों में गांवों में हुआ है अगर उस से ज्यादा अगले वर्ष करने का आश्वासन मंत्री जी देते हैं तो उस से मुझे बड़ी खुशी होगी।

[श्री कल्पनाथ सिंह]

माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में यह कहा कि पंचायतों को ऋण देने की व्यवस्था वे इस बजट में नहीं कर पाये हैं। २० साल का नाम लेने वाले माननीय सदस्य जो कांग्रेसी सरकार को बहुत खराब समझते हैं, उनसे मैं पूछता हूं कि कांग्रेसी सरकार ने पंचायतों को ऋण देने की जो व्यवस्था की थी, जिससे कि गांवों में उद्योग-धंधे पनप सकते थे, उसको समाप्त कर के इस नयी सरकार ने क्या प्रशंसनीय कार्य किया है? मैं माननीय प्रतापसिंह जी से कहना चाहता हूं कि वे पंचायत मंत्री जी से राय कर के यदि गांव में हफ्ते में एक बार भी डाक्टर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करा दें तो उस से बड़ा कल्याण होगा। आज भी ऐसे गांवों में जहां न आवागमन के कोई साधन हैं, न दवादारू का ही कोई इन्तजाम है, न और कोई सुविधायें उपलब्ध हैं। अभी माननीय इन्द्रमणि जी ने जो पहाड़ों के बारे में सुझाव दिये, उस ओर भी मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, सरकार उस ओर भी ध्यान दे। जो हमारी सीमाओं से लगे गांव हैं उनकी तरफ भी मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। इन शब्दों के साथ मैं उन सभी माननीय सदस्यों को मुबारकबाद देता हूं जिन्होंने इस विवाद में हिस्सा लिया। अगर सरकार को हमारी बात पसन्द नहीं आती तो सरकारी पक्ष से ही जो सुझाव दिये गये हैं अगर यह सरकार उन्हीं को मान ले तब भी मुझे बड़ी खुशी होगी।

*कृषि उपमंत्री (श्री महीलाल)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुये प्रस्तावक महोदय ने दो बातों के लिये धन्यवाद दिया। उनके प्रति सब से पहले मैं आभार प्रकट करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

मैं अनुग्रहीत हूंगा यदि आप अपना भाषण संक्षेप में दें।

श्री महीलाल—

माननीय कल्पनाथ सिंह जी ने सब से पहिले प्रश्न उठाया पंचायती राज के साथ विश्वासघात करने का लेकिन वे एक ऐसा उदाहरण पेश नहीं कर सके जिससे मुझे भी सफाई देने का मौका मिलता। यह विश्वासघात नहीं बल्कि पंचायतीराज के लिये इस सरकार की मान्यता है और पंचायती राज को बल देना यह शासन अपना कर्त्तव्य समझता है। अब अगला प्रश्न ग्राम सभाओं को आर्थिक सहायता देने का माननीय प्रस्तावक महोदय ने उठाया और उसके लिये यह सुझाया कि भू-राजस्व का एक चौथाई भाग ग्राम सभाओं को जाना चाहिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, कल इस माननीय सदन में हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह स्पष्ट घोषणा कर दी है कि हम शनैः शनैः भू-राजस्व को समाप्त करेंगे। इसलिये उनका यह कहना कि भू-राजस्व का एक चौथाई भाग ग्राम सभाओं को देना चाहिये, अपने स्थान पर महत्व नहीं रखता। हां, इसमें कोई सन्देह भी नहीं है और यह शासन भी चाहता है कि शनैः शनैः हमारी ग्राम सभायें सुदृढ़ हों और वे अपने विकास कार्यों को शासन की सहायता के बिना कर सकें और इसीलिये आपने देखा होगा कि उस शासन का बराबर प्रयत्न है कि वह ग्राम सभाओं को शक्ति दे।

अगला प्रश्न माननीय प्रस्तावक महोदय ने ग्राम समाज की भूमि का उठाया। यदि उन्होंने ध्यानपूर्वक माननीय मुख्य मंत्री की घोषणा को सुना होता तो मुझे विश्वास था कि वे इस प्रश्न को उठा कर अपना समय नष्ट न करते। स्वयं माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि ग्राम समाज की जो सम्पत्ति थी, या भूमि थी, नियमानुसार उसका वितरण नहीं किया गया है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में यह भी कह दिया कि जहां तक अधिनियम और विधान आज्ञा देगा शासन यह कोशिश करेगा कि जो लोग उसके अधिकारी हों वह भूमि उनको ही दी जाय। इतना ही नहीं, मैं माननीय प्रस्तावक महोदय के सन्तोष के लिये यह निवेदन कर देना आवश्यक समझता हूं कि इस विभाग ने सबसे पहिले यही अनुभव किया कि किस प्रकार गांव समाज की भूमि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को संरक्षण किया जाय । इसके अतिरिक्त ३० अप्रैल को हमारी विभागीय अधिकारियों के साथ मंत्रणा हुई और उन निश्चयों के आधार पर मैं यह विश्वास दिला सकता हूं कि हमारा यह प्रयत्न होगा कि जहां तक सम्भव हो सके ऐसी भूमि जो अवैधानिक रूप से लोगों के कब्जे में चली गई है या हमारे प्रधानों ने या जैसा कि लेखपालों के बारे में कहा जाता है वह सब त्रुटियां दूर करके भूमि खेतिहर मजदूरों को या दूसरे लोगों को जो अधिक से अधिक लाभ उठा सकते ह या जो उसके पाने के अधिकारी हैं उनको दिलाने का प्रयत्न किया जाय। इस समिति के करीब-करीब सात निर्णय हैं और उन निर्णयों के अनुसार हमें अज्ञ आशा है कि हम शीघ्र ही ऐसा कार्य करेंगे जिससे ग्राम समाज की भूमि को बचा सकें और जैसा कि माननीय प्रस्तावक महोदय तथा और दूसरे माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं उस पर उनके सुझाव के पहिले ही इस शासन ने अमल शुरू कर दिया है।

अब कुछ प्रजातन्त्र की दुहाई माननीय प्रस्तावक महोदय ने दी और कुछ ऐसे प्रश्न उठाये जिसमें सामाजिक क्रान्ति की बात,कुछ मूलभूत परिवर्तन की बात,की जानकारी के लिये,सरकार की नीति में परिवर्तन होना चाहिये था, नीति वही है, केवल व्यक्ति नहीं है, उनके कहने का आशय था। इस सम्बन्ध में बहुत कुछ जवाब कल माननीय मुख्य मंत्री दे चुके हैं । इसलिये मैं माननीय सदन का समय इस विषय पर लेना नहीं चाहता । लेकिन उनकी जानकारी के लिये इतना निवेदन कर देना आवश्यक समझता हूं कि शासन ने जहां तक पंचायत राज का सम्बन्ध है, ग्रामसभाओं के चुनाव का प्रश्न है, वह यह देखेंगे कि इसका उदाहरण यह मौजूद है कि पहले ग्राम पंचायतों के सदस्यों का चुनाव हाथ उठाकर होता था। परन्तु केवल इसलिये कि प्रजातन्त्र पनपे और लाठी डंडे वालों का, पैसे वालों का रोब खतम हो, इसीलिये शासन ने विचार किया है कि वहां गुप्त मतदान प्रणाली हो जिससे आगे जाने वाली जो पंचायतें हैं उनके सदस्यों का चुनाव भी गुप्त मतदान द्वारा हो।

अच्छा होता अगर उन्होंने माननीय कृषि मंत्री के भाषण को ध्यान पूर्वक सुना होता तो सम्भवतः वे अपनी यह बात भी नहीं कहते, कि अदालत पंचायतों का गठन प्रजातांत्रिक ढंग से होना चाहिये ।

जहां तक अदालती पंचायतों का ताल्लुक है, अब तक यह प्रणाली थी कि उनके सदस्यों का नामिनेशन होता था। जिलाधीश की मर्जी पर,उनके रहमोकरम पर अदालती पंचायतों का निर्माण होता था,लेकिन जैसा कि हमारे माननीय कृषि मंत्री जी ने बतलाया,शासन ने यह फैसला किया है कि अब भविष्य में अदालती पंचायतों का भी चुनाव कराया जाय और ग्राम सभाओं के जो अच्छे से अच्छे लोग हैं जिन पर किसी सरकार का कोई दबाई न होगा, किसी व्यक्ति विशेष का दबाव न होगा, अच्छे, ईमानदार और नेक लोग चुन कर हमारी अदालती पंचायतों में आवेंगे और हमारे ग्रामीण लोग जो ज्यादातर शहरों में मुकदमेंबाजी के सिलसिले में वकीलों को मेहनताना देते हैं और इस शकल में जो उनका रुपया खर्च होता है, उसकी बचत होगी।

मेरे एक मित्र माननीय सदस्य ने यह आपत्ति उठाई कि एक ओर आनरेरी मैजिस्ट्रेट के पदों को समाप्त किया गया और दूसरी ओर अदालती पंचायतों को मान्यता दी गयी, ऐसा क्यों ? मैं क्या कहूं, माननीय इन्द्रमणि जी दिखलाई नहीं देते हैं, उन्होंने आनरेरी मैजिस्ट्रेटों की नियुक्ति को और अदालती पंचायतों के लिये चुने गये सदस्यों को एक ही स्तर का मान लिया। इसके लिये अब मैं क्या निवेदन करूं सिवा इसके कि भगवान से प्रार्थना करता हूं वह उनको ऐसी सद्बुद्धि दे जिससे आगे से सीधे रास्ते पर सोचने लगें अगर मेरी यह बात किसी को कड़वी लगी हो तो उसको मैं वापस लेता हूं ।

मान्यवर, एक प्रश्न यह उठाया गया, कि ग्राम सभायें सक्षमहों प्रश्न बहुत अच्छा है और वह दिन आवे। यह शासन भी उसदिन का भरोसा है और पूर्ण आथ करता है किवह दिन आवेगा जब हमारी ग्राम सभायें इस बात के लिये सक्षम होंगी कि वे अपनी ग्राम सभा के कर्मचारियों की नियुक्ति के बारे में निष्पक्षता से सोच सकें और उन पर उनका ही कंट्रोल हो। इसमें कोई सन्देह नहीं कि जो हमारे लेखपाल हैं वे हमारे सीधे साधे, भोले भाले प्रधानों का इस्तेमाल करते हैं, इस बात को स्वीकार

[श्री महीलाल]

करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उन्होंने दो चीजों को एक साथ मिला दिया और एक दूसरे के बिलकुल उल्टी बात कही। माननीय सदस्य ने एक तरफ तो पंचायत मंत्रियों के लिये इस बात की वकालत की कि सरकार को चाहिये कि वह उनको सरकारी कर्मचारी मान ले और दूसरी ओर उन्होंने इस सिद्धान्त को प्रतिपादित किया कि उस सरकारी कर्मचारी को ग्राम स्तर की जो संस्थायें हैं उन्हीं की मातहती में उनको रहना चाहिये। अब वे स्वयं विचार कर लें कि उनकी दोनों बातों में से कौन सी बात ठीक है क्योंकि उनकी बातों में विरोधाभास है।

अब इसके अलावा एक प्रश्न उन्होंने बिजली का उठाया। मान्यवर, इस बात से हम सब सहमत होंगे कि अनावृष्टि के कारण हमारे प्रदेश की स्थिति आज ऐसी हो गयी है कि हमारे प्रदेश के किसान अधिक टैक्स सहन करने की स्थिति में नहीं हैं, उन पर टैक्स नहीं बढ़ाया जाना चाहिये। इस शासन को भी प्रसन्नता होती अगर हमारा बजट आज से दुगना तिगुना और चौगुना किया जा सकता होता। लेकिन बजट को बढ़ाने के लिये जो हमारा श्रोत जनता है जिससे वह धन आता है, उसके ऊपर टैक्स नहीं बढ़ाया जा सकता है लेकिन जनता की स्थिति ऐसी नहीं है कि उस पर कोई नया टैक्स लगाया जाय। इसलिये यह शासन मजबूर है नये टैक्स से अपने बजट को नहीं बढ़ा सकता। जो आवश्यक चीजें हैं देहात की गरीबी दूर करने के लिये, हमारे उत्पादन को बढ़ाने के लिये, उस पर उदारतापूर्वक धनराशि दी गई है। बिजली की उन्होंने बड़ी चर्चा की। उसका बजट पिछले वर्ष के मुकाबले में बढ़ा है। अगर कोई ग्राम सभा उद्योग के लिये बिजली चाहेगी तो उसे भी दी जायगी। उनकी इस बात में तथ्य नहीं है कि बिजली के लिये विशेष ध्यान नहीं दिया गया है या बिजली की धनराशि में कमी की है।

माननीय इन्द्रमणि ने कुछ पर्वतीय प्रदेशों की बात कही। हम जानते हैं कि पर्वत हमारे रक्षक का काम करते हैं। वहां के बसने वालों की आर्थिक स्थिति में सुधार होना चाहिये। जितना ज्यादा यह शासन उनके लिये कर सके शासन को प्रसन्नता होगी। पर्वतीय भाग के लिये नहीं बल्कि प्रदेश के हर नागरिक की जिम्मेदारी हमारी है। माननीय कमलापति जी मेरे गुरुवर रहे हैं, उन्होंने कल पूर्वी प्रदेश, बुन्देलखंड, और पर्वतीय प्रदेश की गरीबी की चर्चा की। केवलपश्चिमी जिले रह जाते हैं जो उनकी चर्चा के विषय नहीं थे पश्चिमी जिलों से टैक्स लेकर हम सारे प्रदेश को सम्भाल सकेंगे, यह सोचने की बात है। मैं इसका हामी नहीं हूं कि जो टैक्स देने लायक हैं उन पर टैक्स न लगाया जाय। हमें खुशी होगी अगर पश्चिमी प्रदेश के लोग ज्यादा टैक्स दे सकें। टैक्स न लगाने की स्थिति में जितना ज्यादा से ज्यादा बजट हो सकता था वह यह है।

आपने कहा कि चुनाव का खर्चा नामीनेशन पेपर के जरिये न लिया जाय। यह खर्चा करीब ३७, ३८ लाख रुपये है। यह खर्चा जब कि अनावृष्टि नहीं हुई, किसान की आमदनी ज्यादा थी आज के मुकाबले में, उस जमाने में २० साल तक सन् ४९ के बाद जब से पंचायत राज्य की स्थापना हुई, यह चुनाव का खर्चा बराबर उनसे चलता रहा। शासन ने कभी इसे सहन नहीं किया जबकि शासन नये टैक्स लगा कर सहन कर सकता था और आज की स्थिति में शासन से कहा जाय कि यह रुपया वह बर्दाश्त कर ले, तो उसके लिये आय का रास्ता बताते तो अच्छा होता।

इन शब्दों के साथ में आशा करता हूं कि माननीय कृषि मंत्री ने जो प्रस्ताव पेश किया है उसे स्वीकार किया जायगा और कृपा करके अपना कटौती का प्रस्ताव वह वापिस लेंगे।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १२—गांव सभायें और पंचायत के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य (१) गांव सभा तथा पंचायतों के कार्य को प्रभावकारी बनाने हेतु, जिससे विकेन्द्रीकरण की भावना को सफलीभूत बनाया जा सके, संबंधित नीतियों में सुधार करने हेतु कदम उठाने का सुझाव देना और यदि आवश्यकता हो तो नियमों को संशोधित कर जन-भावनाओं के अनुरूप बनाना (२) गांव सभा तथा पंचायतों की जमीन को

सहकारी समितियों के माध्यम से वापस कर भूमिहीनों में बांटना तथा इस हेतु कानून में यदि आवश्यकता हो तो संशोधन करना ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १२—गांव सभायें और पंचायत के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये ले अनुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १,१३,१९,२०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

शामली थाने की पुलिस द्वारा निर्दोष व्यक्तियों के पीटे जाने के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—

अब आइटम नं० १० पर माननीय मंत्री जी का वक्तव्य होगा । आइटम नम्बर १० इस प्रकार है—

"शामली थाने की पुलिस द्वारा निर्दोष व्यक्तियों के पीटे जाने के संबंध में श्री सरदारसिंह तथा श्री आचार्य दीपंकर द्वारा नियम ५१ के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य"

मैं इस सम्बन्ध में इतनी सूचना सदन को और देना चाहता हूं कि इस समय सदन का समय १५ मिनट का और रह गया है । आशा तो है कि वक्तव्य १५ मिनट में समाप्त हो जायगा किन्तु यदि आवश्यकता हुई तो मैं अधिक से अधिक उसका समय १५ मिनट तक और बढ़ा दूंगा ।

गृह उपमंत्री (श्री रुस्तम सैटिन)—

अध्यक्ष महोदय,

२४–६–६७ को ६ बजकर बीस मिनट पर अपराह्न में थाना शामली पर हलवाई संघ शामली के प्रेसीडेन्ट श्री ज्योति प्रसाद, ट्रेजरर श्री सीताराम और सेक्रेटरी श्री ओम प्रकाश कौशल द्वारा इस आशय की सूचना लिखाई गई कि सुभाष चौक, शामली का होशियारा (होशियार सिंह) हलवाई ब्लैक मार्केट में मैदा बेचने जा रहा है । वस्तुतः यह लोग एक कान्स्टेबुल की सहायता से मैदे के तीन बोरे तथा एक छोटा कट्टा एक गाड़ी में रख कर थाने पर लाये थे । उनके अनुसार यही मैदा होशियारा द्वारा ब्लैक मार्केट में बेचा जाने वाला था । रिपोर्ट करने के समय वादी होशियारा को पकड़कर नहीं ला सके थे । थाने पर एसेंशियल कमोडिटीज ऐक्ट की धारा ७ के अन्तर्गत एक मुकदमा होशियारा के विरुद्ध दर्ज किया गया और मैदे के बोरे मालखाने में जमा कर दिये गये । ११.१५ बजे अपराह्न में उसी दिन वादीगण, होशियारा को पकड़ कर थाने पर ले आये और एक लिखित रिपोर्ट दी कि उसको उन्होंने शहर में पाया था और उसने उनसे दुर्व्यवहार किया था । अतः वे उसे आवश्यक कार्यवाही हेतु पकड़ लाये हैं । होशियारा की तलाशी ली गई और उसे हवालात में बन्द कर दिया गया । हवालात में बन्द करते समय होशियारा के शरीर पर कोई चोट नहीं थी । २५–६–६७ को रात्रि में ००–३० पर एक कानिस्टेबुल ने हेड मोहर्रिर को सूचना दी कि होशियारा ने उससे पीने के लिये पानी मांगा और पानी पीने के बाद गिर पड़ा । यह सूचना पाकर इन्स्पेक्टर इन्चार्ज घटनास्थल पर पहुंचे और होशियारा को हवालात से निकलवाया । होशियारा बेहोश था । गिरने के कारण उसके माथे के बाय भाग में एक मामूली चोट आ गई थी जिससे खून बह रहा था । एक कानिस्टेबुल को शामली अस्पताल के मेडिकल अफसर को बुलाने भेजा गया । वे छुट्टी पर थे अतः एक प्राइवेट डाक्टर को बुलाया गया । डाक्टर ने थाने पर पहुंच कर बताया कि होशियारा मर चुका था । डाक्टर

[श्री रूस्टम सैटिन]

ने आने से पूर्व महावीरसिंह नामक एक वैद्य जो एक रिपोर्ट लिखाने के सिलसिले में थाने पर गये थे, ने होशियारा की यथासम्भव प्राथमिक चिकित्सा की थी। पुलिस अधीक्षक ने होशियार की मृत्यु की सूचना पाते ही, जिला मैजिस्ट्रेट से लिखित अनुरोध किया कि वे पंचायत नामा तैयार करने व मजिस्ट्रेरियल जांच करने के लिये एक मजिस्ट्रेट को नियुक्त कर दें। मजिस्ट्रेट लगभग ९-३० बजे थाने पहुंच गये और कार्यवाही आरम्भ कर दी।

पंच लोग पंचायत नामे के समय मृत्यु के कारण के संबंध में किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। लाश का पोस्ट मार्टम कराया गया। सिविल सर्जन ने रिपोर्ट में लिखा कि मृत्यु का कारण ज्ञात नहीं हो सका। अतः विसरा को रासायनिक परीक्षक को रिपोर्ट के लिये भेजे जाने की कार्यवाही की जा रही है। मजिस्टीरियल जांच की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

मृतक के पुत्र पवन कुमार ने २५ जून, १९६७ को ४ बजे सुबह इस आशय की रिपोर्ट लिखाई कि सीताराम, ज्योति प्रसाद और ओम प्रकाश तथा अन्य उसके पिता को थाने बुला ले गये और रास्ते में उसे पीटा और उसके पास जो १३०० रु० थे, छीन लिये तथा उसे हवालात में बंद करा दिया जहां उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में ३९५ भा० दं० वि० के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज किया गया जिसकी जांच होगी।

एक राजनैतिक पार्टी के कुछ कार्यकर्त्ताओं ने २६-६-६७ को सुबह शामली नगर में हड़ताल के लिये अपील की थी किन्तु उसका कोई विशेष असर नहीं पड़ा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस समय डित होशियार सिंह हलवाई को पुलिस के इन्स्पेक्टर ने शुरू में बुलवाया तो उस वक्त तो वापस कर दिया और दोबारा जैसा कि रिपोर्ट में है उनको जबरदस्ती पकड़ कर थाने में ले गये ?

श्री रुस्तम सैटिन--

हमारे पास रिपोर्ट यही है कि यह जो हलवाई संघ के लोग थे वह पकड़ कर ले गये थे और उस को बन्द कर दिया गया।

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)--

क्या यह सही है कि पहली बार जब पडित होशियार सिंह थाने में ले जाये गये तब उनको यह कहकर छोड़ दिया गया कि तुम अगर कुछ रुपये का इंतजाम कर दो तो बख्शे जा सकते हो और वह यह कहकर आये कि आप को मैं १,३०० रुपया दूंगा और आप मुझे छोड़ दीजिये लेकिन जब उनको देरी हुई तो जबरदस्ती उन को पकड़ कर ले गये और रुपया भी साथ ले जाने के लिये उन को मजबूर किया और वह साथ ले भी गये थे और उसके बाद वहां पहुंचने पर उन को बुरी तरह से मारा पीटा गया जिस से वह बेहोश होकर गिर गये ?

श्री रुस्तम सैटिन--

पहली बार जब हलवाई संघ के लोग थाने पर गये तब साथ में होशियार नहीं था, उन्होंने साढ़े ३ बोरा मैदा वहां जमां की थी और रिपोर्ट लिखाई जो असेंशियल कमोडिटीज ऐक्ट की धारा ७ में लिखी गई। दूसरी बार यह लोग उन को पकड़ कर ले गये और ले जाकर बन्द कराया। ऐसी रिपोर्ट नहीं है कि वह पहले थाने गये और वहां से उस वक्त छोड़ दिया गया।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि होशियारा सिंह को इस तरह से हलवाई संघ के व्यक्तियों के द्वारा जबरदस्ती पकड़ कर थाने पर ले जाना दफा ३४२ का जुर्म है और इसके लिये क्या वह कोई कार्यवाही उन लोगों के खिलाफ करेंगे ?

श्री रुस्तम सैटिन--

उनके खिलाफ होशियार सिंह के लड़कों ने रिपोर्ट लिखाई है कि वह लोग उस को पकड़ कर ले गये और उसका रुपया छीन लिया । दफा ३९५ में एफ० आई० आर० लिखाई गई है, उसकी तहकीकात होगी ।

श्री सरदार सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा मंत्री जी के सामने इस संबंध में कुछ तथ्य रखना चाहता हूं क्योंकि जो सूचना वहां से आई है उसमें अधिकारियों ने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रखा है । अध्यक्ष महोदय, मैं आप का ध्यान आकृष्ट करूंगा कि शाम के सात बजे होशियार सिंह को पकड़ा गया और उनसे रुपया रिश्वत का तय किया गया और रात को ११ बजे फिर उन को पकड़ कर ले जाया गया और रुपया न देने पर बहुत उनको मारा गया और उसका फल यह हुआ कि वह इसमें ही मर गये और उनको उसी अवस्था में उठाकर हवालात में लाश लाये और उन के खून बह रहा था । मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इस की जांच करायें क्योंकि इस कांड से उस क्षेत्र में बड़ी उत्तेजना है, पूरे बाजार में उस वक्त बड़ा हंगामा था और जनता जमा हो गई थी और जनता ने प्रस्ताव पास किया । अगर जांच न कराई गई तो उसके नतीजे बहुत गम्भीर होंगे इसलिये मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इसकी पूरी जांच अवश्य कराई जाय ।

श्री अध्यक्ष--

आप यह बता दें कि इस सूचना के आधार पर क्या आप इस मामले में जांच करायेंगे ?

श्री रुस्तम सैटिन--

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तो जांच चल रही है और मैजिस्टीरियल इन्क्वायरी चल रही है, हो सकता है कि जो कुछ माननीय सरदार सिंह कह रहे हैं वह सही हो, यह जो रिपोर्ट आई है वह सही है या नहीं यह तो जांच के बाद ही कहा जा सकता है लेकिन एक बात मैं आप के सम्मुख रखना चाहता हूं कि स्वयं होशियार सिंह के पुत्र पवन कुमार ने जो रिपोर्ट लिखायी है वह यह है कि उसको पकड़ कर वे लोग ले गए। रास्ते में उसे पीटा और उसके पास से १,३०० रुपए छीन लिए। उसके बाद उसे हवालात में बन्द करा दिया जहां पर उस मार से उसकी मृत्यु हो गयी। तो जब उसके लड़के का यह बयान है, हम उस पर ज्यादा यकीन करते हैं।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

माननीय मन्त्री जी ने अभी कहा है कि जब वे उस व्यक्ति को हवालात में ले गये तो उसके शरीर पर कोई चोट नहीं थी। तो जब वह बन्द हुआ और उसके सिर पर या शरीर पर कोई चोट नहीं थी तो कैसे पवन कुमार की रिपोर्ट पर यकीन करते हैं कि उसको रास्ते में पीटा गया था ?

श्री अध्यक्ष--

अभी माननीय मन्त्री जी ने बताया है कि मैजिस्टीरियल इन्क्वायरी हो रही है। उसके बाद ही वे किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस मैदे को उठाकर ले गये, जिसके कारण होशियार पकड़ा गया, वह सप्लाई कार्यालय से प्राप्त किया था या ब्लैक मार्केट से प्राप्त किया था ?

श्री रुस्तम सैटिन—

इसके लिए नोटिस की आवश्यकता होगी। इसका तुरन्त उत्तर नहीं दिया जा सकता है।

श्री केशव देव (जिला अलीगढ़)—

जब किसी को थाने में बन्द किया जाता है तो उसकी चोटों का इन्दराज किया जाता है। तो क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या ऐसा किया गया था?

श्री रुस्तम सैटिन—

वे एक ही बार आये। उस समय कोई चोट नहीं थी। हो सकता है कि कोई अन्दरूनी चोट लगी हो।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—

माननीय मन्त्री जी ने अभी बताया कि सिविल सर्जन ने बताया कि मृत्यु का कारण ज्ञात नहीं हो सका। इसलिए बिसूरा को रासायनिक परीक्षण के लिए भेजा जा रहा है। तो मैं जानना चाहता हूं कि वह किस की कस्टडी में है और उस वैद्य जी ने जिसने उनकी प्राथमिक चिकित्सा की थी, किस घाव का इलाज किया था? तीसरा सवाल यह है कि किस कैमिकल एनालाइजर के पास वह बिसरा भेजा गया?

श्री रुस्तम सैटिन—

जिस कैमिकल एनैलिस्ट के पास भेजा जाता है भेजा गया है। जहां तक वैद्य जी के इलाज का सवाल है होशियारा बेहोश था। वैद्य जी ने उसको होश में लाने के जो उपचार होते हैं उनकी कोशिश की।

आचार्य दीपंकर—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पवन कुमार की जो रिपोर्ट हुई क्या वह होशियारा की मृत्यु के बाद हुई या उसके पहले हुई है? ऐसा सुना है कि पुलिस ने पवन कुमार को मजबूर किया है कि इस तरह की रिपोर्ट दर्ज करे, अपना पक्ष बचाने के लिए। दूसरे जब सिविल सर्जन तक को मृत्यु का कारण ज्ञात नहीं हो सकता तो माननीय उपमन्त्री जी को कैसे सूचना है कि कोई गुप्त चोट भी हो सकती है?

मुख्य मन्त्री (श्री चरणसिंह)—

जब तक कोई बात उनके खिलाफ साबित नहीं होती तो जो बात रिकार्ड पर है उसको सही मानकर चलेंगे लेकिन अगर वह बात, जो माननीय दीपंकर जी कहते हैं, तो मैं जिस्टीफिकेशन इक्वायरी में आ जायगी लेकिन हम यह कैसे मान लें कि पवन कुमार ने जो रिपोर्ट लिखायी है वह पुलिस ने लिखायी है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या मन्त्री जी की नोटिस में यह भी आया है कि पंडित होशियार सिंह, हलवाई की मृत्यु हो जाने के उपरान्त अगले दिन सुबह २०० रु० जो उस के लड़के से पुलिस ने लिए थे, उस की मृत्यु के बाद वह लौटाए गए?

श्री चरणसिंह—

यह तो हमारी नोटिस में नहीं आया। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि इस में जो सच्चाई है उस के जानने की कोशिश की जायगी और जो दोषी पाया जायगा उसे सजा दी जायगी।

श्री रमाशंकर अग्रवाल (जिला फतेहपुर)—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जांच किस माध्यम से की जा रही है।

श्री चरणसिंह--

मैजिस्ट्रेट के जरिए से।

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)--

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर यहां भेजने में जिला अधिकारी सब इस में शामिल हैं अतः इस की जांच किसी जज से करायेंगे ?

श्री चरणसिंह--

मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि तोड़-मरोड़ कर सूचना भेजी गयी है। हो सकता है कि आप की बात सही हो। लेकिन इस को फर्ज कर के मैं नहीं चल सकता कि उन को सजा दे दी जाय।

श्री चन्द्रबली (जिला देवरिया)--

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जिस दारोगा ने इस बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी है जांच करते समय उस का तबादला करेंगे ?

श्री चरणसिंह--

आप ने यह फर्ज कर लिया है कि पुलिस ने हत्या कर दी है। लेकिन अभी यह नहीं कहा जा सकता। और मैं कह चुका हू कि जांच के बाद अगर पुलिस दोषी पायी गयी तो केवल ट्रांसफर ही नहीं और ज्यादा सजा दी जायगी।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)--

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जिन लोगों के खिलाफ दफा ३९५ और ३४२ की रिपोर्ट लिखी हुई है, वे लोग गिरफ्तार हुए या नहीं ?

श्री चरणसिंह--

इसके लिए सूचना चाहिए।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

मन्त्री जी बतायेंगे कि जो पोस्ट मार्टम रिपोर्ट सिविल सर्जन की आयी है उस में हर्ट फेल्योर या अफीम का कोई जिक्र है ?

श्री रुस्तम सैटिन--

उनकी रिपोर्ट में यही लिखा है कि मृत्यु का कारण निश्चित नहीं किया जा सका। जहां तक अफीम का सम्बन्ध है उस का भी कोई जिक्र नहीं है। लेकिन जिस समय तलाशी ली गई तो मृतक की जेब से कुछ अफीम मिली थी ?

श्री बाबू बदरे (जिला कानपुर)--

क्या पुलिस ने अपनी रिपोर्ट के साथ पोस्टमार्टम की भी रिपोर्ट भेजी है ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो जवाब में आ गया है कि भेजी है।

श्री रुस्तम सैटिन--

मैंने कहा कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बारे में जिक्र है। लेकिन ऐक्चुअल रिपोर्ट की कापी हमारे पास नहीं है।

श्री राजबली (जिला फैजाबाद)--

मन्त्री जी बतायेंगे कि जो वैद्य जी वहां पर संयोग से रिपोर्ट लिखाने पहुंच गए थे और जिन्होंने प्राथमिक चिकित्सा की उन की रिपोर्ट लिखी कि नहीं ? और अगर लिखी गई तो क्या लिखी गयी ?

श्री अध्यक्ष--

उन की रिपोर्ट से क्या मतलब है।

श्री राजबली--

कहा गया कि वैद्य जी संयोग से वहां पहुच गये और उन्होंने प्राथमिक चिकित्सा की तो उस प्राथमिक चिकित्सा में वैद्य जी ने बताया कि यह बचेगा या नहीं बचेगा ?

श्री रुस्तम सैटिन--

उनकी रिपोर्ट लिखी गयी या नहीं लिखी गयी यह जानने के लिए नोटिस की आवश्यकता है लेकिन उन्होंने क्या दवा दी यह तो वह जानें।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

दो अनियमिततायें प्रारम्भ से ही हुयीं। एक तो यह कि किस प्रकार इस मैदा को छीन कर लाया गया और थाने में जमा कराया गया और दूसरे कोई आदमी पकड़ कर ले जाया गया, थाने में भी अनियमितता थी। उनके लड़के द्वारा रिपोर्ट होने पर ३९५ का जुर्म कैसे कायम किया गया ? तो ये जो अनियमिततायें की कार्यवाही हो रही थीं उन में पुलिस की तरफ से कोई कार्यवाही की गयी या नहीं ?

श्री चरणसिंह--

मेरी समझ में नहीं आया कि माननीय मित्रों को सरकार से किस बात की शिकायत है। हजारों, लाखों कर्मचारी ६००, ७०० मील के एरिया में काम कर रहे हैं। उनसे गलतियां होती हैं। माननीय मित्रों को सिर्फ यह देखना है कि उनको यह सरकार शील्ड तो नहीं करना चाहती। मैजिस्टीरियल इक्वायरी हो रही है और हमारी तरफ से कोशिश होगी और जो गलती पर पाया जायगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी। अब जो वह पकड़ कर लाये उसके खिलाफ क्या होगा तो यह कानून की बात है और जो कानून में होगा वही होगा। दूसरे प्राइवेट सिटीजन को अख्तियार है कि किसी को अफेन्स करता देखे तो गिरफ्तार करके पुलिस थाने पर ले जाय। वैसे डैमेजेज की नालिश हो सकती है उसे आप करवाइए। हम शील्ड नहीं कर रहे हैं। कोई राहजनी होती है अथवा डकैती पड़ती है तो लोग उसे पकड़ कर थाने में ले जाते हैं।

आचार्य दीपंकर--

न्यायिक जांच माननीय मुख्य मन्त्री जी को स्वीकार नहीं है तो क्या वह इस मामले को सी० आई० डी० के सुपुर्द करने को तैयार हैं ?

श्री चरणसिंह--

इस मामले में मैं इसे जरूरी नहीं समझता। मामला आलरेडी मैजिस्ट्रेट के विचाराधीन है और वहां तहकीकात वगैरह हो रही है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

माननीय मुख्य मन्त्री को कदाचित् यह खयाल है कि जब कोई व्यक्ति पुलिस की हवालात में मरता है तो उसकी मैजिस्टीरियल इक्वायरी होती है, वह कोई विशेष वस्तु नहीं है लेकिन जिन परिस्थितियों में यह मामला हुआ है जिन में शुरू से ही अनियमिततायें बरती गयी हैं ऐसी हालत में क्या इसे वह सी० आई० डी० को देने को तैयार हैं ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय मुख्य मन्त्री इस सम्बन्ध में बतला चुके हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

जैसा कि रिपोर्ट से जाहिर है, होशियारा सिंह की मृत्यु साढ़े १२ बजे रात्रि में हुई तो कितने बजे उसके सुपुत्र को उसकी सूचना दे दी गयी ?

श्री रुस्तम सैटिन--

करीब १ बजे उनके सम्बन्धियों को खबर दे दी गयी थी।

श्री श्रीराम तिवारी (जिला उन्नाव)--

क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी इस बात को देखते हुए कि वहां पर मैजिस्टीरियल इन्क्वायरी हो रही है और उसमें यह आरोप है कि उस थाने के लोग उसकी हत्या में शामिल हैं वहां के थानेदार का और दूसरे कर्मचारियों का स्थानान्तरण करने की कृपा करेंगे ताकि गवाहान सही बात कह सकें और उनके ऊपर किसी प्रकार का दबाव न पड़ सके ?

श्री चरणसिंह--

माननीय मित्र ने जो सुझाव दिया है उस पर गवर्नमेंट विचार करेगी।

श्री चन्द्रशेखर (जिला वाराणसी)--

क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जब १ बजे उनके सम्बन्धियों को सूचना दे दी गयी तो उनके सम्बन्धी थाने पर कितने बजे पहुंचे ?

श्री चरणसिंह--

यह तो नहीं मालूम लेकिन उनके लड़के ने ४ बजे रिपोर्ट लिखाई।

श्री सरदार सिंह--

जिन बोरियों के सम्बन्ध में होशियार सिंह को थाने बुलाया गया और जिसके संबंध में उसकी मृत्यु हो गयी और यह कहा गया कि चोरबाजार की है, तो क्या यह सही नहीं है कि वह बोरियां करोंदा संघ की थी और करोदा संघ को ही वह उन बोरियों को पहुंचा रहे थे ?

श्री चरणसिंह--

जैसा कि आपने फरमाया कि उनको पुलिस ने बुलवाया, तो पुलिस ने बुलवाया नहीं बल्कि तीन आदमी उसको सवा ग्यारह बजे पकड़ कर ले गए और ६ बज कर २० मिनट पर उन तीनों ने रिपोर्ट लिखाई और बोरी भी लायी गयी थीं और गालिबन एक कांस्टेबिल भी था लेकिन उनके साथ होशियार सिंह नहीं था। वह बोरियां कहां से आयीं थीं यह हमको नहीं मालूम। लेकिन मैं तो फिर आपके जरिए से अर्ज करूंगा कि ऐसा मालूम होता है कि जो रिपोर्ट हमारे पास आयी है उसकी दूसरी तस्वीर भी है। जब मैं यह कह चुका कि मैं उसकी तहकीकात कराऊंगा तो फिर परेशानी क्या है मेरे दोस्तों को ?

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)--

सवा ग्यारह बजे उसको थाने बुलाया गया और १२ बजे उसकी मृत्यु हो गयी और १ बजे उसके लड़के को खबर दी गयी। तो क्या यह सही है कि उसके लड़के को थाने बुलाया गया और उससे कहा गया कि तुम इस तरह की रिपोर्ट लिखाओ कि तुम्हारे पिता की मृत्यु इसलिए हो गयी कि रास्ते में उसको मारा गया और अगर यह रिपोर्ट नहीं लिखाते तो तुम्हारी भी दशा तुम्हारे पिता जी जैसी की जायगी ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो सम्भावना हो सकती है।

श्री रामनरेश शुक्ल--

क्या सरकार को पता है कि पंडित होशियार सिंह एक राजनीतिक पार्टी के सदस्य थे और वे पुलिस वालों का ६ महीने से विरोध कर रहे थे इसीलिए पुलिस ने जानबूझ कर उनको पकड़ कर हवालात में मार डाला?

श्री चरणसिंह--

हमको ऐसी कोई जानकारी नहीं है। माननीय मित्र को ज्यादा मालूम होती है मुजफ्फरनगर जिले की।

श्री राधेश्याम कपूर (जिला लखनऊ)--

क्या माननीय मुख्य मन्त्री यह बतायेंगे कि जो साढ़े तीन बोरी पकड़ी गयीं वह ब्लैक मार्केट की थीं? मैं इसलिए यह प्रश्न पूछ रहा हूं कि ऐसा तो नहीं है कि जो लोग हलवाई संघ के थे वे ब्लैक मार्केटियर हों और इस ईमानदार आदमी को पकड़ कर यह काम कराया हो।

श्री रुस्तम सैटिन--

हमारे पास जो सूचना है वह हमने दे दी। अब जांच में जो तथ्य निकलेंगे वैसी ही कार्यवाही की जायगी।

श्री अध्यक्ष--

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बज कर १५ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे दिन तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
२८ जून, १९६७।

नत्थी 'क'

वित्तीय वर्ष १९६७–६८ के आय-व्ययक की धनराशि को निकाल देने या उसमें कमी करने के प्रस्ताव।

अनुदान सख्या १२––गांव सभायें और पंचायतें

(लेखा शीर्षक ७१–प्रकीर्ण)

क्रम-स०	प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का रूप
१	श्री मुक्तिनाथ राय	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य––गुप्त मतदान का पूरी तौर से पंचायतों के चुनाव में समावेश न करने की आलोचना तथा पंचायतों को अधिक प्रभावकारी बनाने के प्रयास के अभाव की चर्चा करना।
२	श्री इन्द्रमणी ..	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य––यह चर्चा करना कि टिहरी गढ़वाल तथा उत्तर काशी में ग्राम सभाओं की हालत अच्छी नहीं है और वहां पर स्वयं भूमि तथा स्वयं जंगलों की आमदनी से ग्राम सभाओं को वंचित किया गया है।
३	श्री मुक्तिनाथ राय	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में एक रुपए की कमी की जाय। कमी करने का उद्देश्य––सम्पूर्ण नीति की आलोचना एवं सुझाव।
४	श्री मुक्तिनाथ राय	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपए की कमी की जाय। कमी करने का उद्देश्य––गांव सभाओं और पंचायतों के परिचालन हतु निश्चित आर्थिक व्यवस्था करने पर जोर देना।

ी० एस० यू० पी०––ए० पी० ४८ एल० ए०––१९६७––८४६।